क्रियाकलापों का विवरण 2018-19

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

क्रियाकलापों का विवरण

2018-19

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

विषय सूची

सिंहावलोकन	6
संगठनात्मक ढाँचा तथा कार्य	18
विजन एवं मिशन	19
नई वैश्विक आर्थिक सच्चाइयां और भारत	25
भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ	29
विदेश व्यापार नीति और आयात-निर्यात व्यापार	36
निर्यात संवर्धन तंत्र	51
वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन	79
विशेष आर्थिक तंत्र तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें	105
विशिष्ट एजेंसियाँ	112
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए संचालित किये गये कार्यक्रम	121
पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता और संबद्ध गतिविधियाँ	129

सिंहावलोकन

सिंहावलोकन

प्रस्तावना

I. वैश्विक आर्थिक आउटलुक

वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक, अक्टूबर 2018 ने वर्ष 2018 और 2019 के लिए वैश्विक वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत दर्शायी है जो अप्रैल में दोनों वर्षों के लिए की गई भविष्यवाणी की तुलना में 0.2 प्रतिशत कम है। वैश्विक महाशक्तियों के बीच व्यापार युद्ध इतना बढ़ गया है कि 2019 के लिए भविष्यवाणी को हाल ही में घोषित व्यापार उपायों के कारण घटाया गया है, जिसमें चीन से युएस आयात पर 200 बिलियन डालर पर लगाया गया टैरिफ शामिल है।

इस प्रकार डब्ल्यूटीओ की भविष्यवाणियों के अनुसार 2018 में विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है तथा बाजार विनिमय दर पर वैश्विक जीडीपी में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। 2019 में व्यापार की मात्रा में 3.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि वैश्विक जीडीपी की विकास दर घटकर 2.9 प्रतिशत हो जाएगी।

II. भारत की आर्थिक एवं व्यापार स्थिति

वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय व्यापार परिदृश्य सकारात्मक विकास परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। 2017-18 में भारत का समग्र निर्यात (वस्तु एवं सेवा को मिलाकर) 498.61 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.31 प्रतिशत की सकारात्म्क वृद्धि का प्रदर्शन करता है। समग्र निर्यात ने अप्रैल - मार्च 2008-09 से अप्रैल - मार्च 2017-18 तक 6.16 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) दर्ज की।

निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक सम्मिलित कदम उठाए गए हैं / उपाय किए गए हैं। ये लॉजिस्टिक्स पर फोकस सहित व्यापार सुगमता एवं सहायता में सुधार, व्यापार सुगमता, पारदर्शिता बढ़ाने एवं मानव इंटरफेस कम करने के लिए डिजिटीकरण बढ़ाने, जीएसटी के कार्यान्वयन, कौशल विकास, व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने आदि से संबंधित उपाय हैं। वस्तु निर्यात ने प्रतिकूल वैश्विक परिदृश्य के बावजूद 2016-17 और 2017-18 में डालर में मूल्य की दृष्टि से वस्तु निर्यात में क्रमश: 5.17 प्रतिशत और 10.03 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2015-16 पश्चात अवधि में वृद्धि की रुझान का प्रदर्शन किया है।

नई वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावना के बावजूद भारतीय निर्यात सकारात्मक विकास के पथ पर है तथा 2018-19 में वस्तु के निर्यात के 314 बिलियन अमरीकी डालर के आंकड़ों को पार करने की संभावना है, जो 2013-14 में भारत के वस्तु निर्यात द्वारा दर्ज किया गया सर्वोच्च आंकड़ा है।

वस्तु निर्यात : **अप्रैल से दिसंबर** 2018

- अप्रैल से दिसंबर 2018-19 (क्यूआर) की अवधि के लिए वस्तु निर्यातों का संचयी मूल्य 245.44 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2017-18 की अवधि के दौरान इसका संचयी मूल्य 222.77 बिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया था, पिछले वर्ष की तुलना में 10.18 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद (42.02 प्रतिशत), इलेक्ट्रानिक माल (35.84 प्रतिशत), प्लास्टिक एवं लिनोलियम (32.05 प्रतिशत) तथा जैविक एवं अजैविक रसायन (25.73 प्रतिशत) जैसी वस्तुओं के कारण थी।
- अप्रैल से दिसंबर 2018-19 (क्यूआर) की अवधि के लिए व्यापारिक आयातों का संचयी मूल्य 386.65 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2017-18 की अवधि के दौरान इसका संचयी मूल्य 343.3 बिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया था, जो डालर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में 12.61 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कच्चा एवं उत्पाद (42.85 प्रतिशत), मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एवं गैर इलेक्ट्रिकल (19.81 प्रतिशत), कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि (21.56 प्रतिशत) तथा जैविक एवं अजैविक रसायन (21.03 प्रतिशत) जैसी वस्तुओं के कारण थी।
- अप्रैल से मार्च 2017-18 (अनंतिम) में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का वस्तु निर्यात 12.89 प्रतिशत है।
- डब्ल्यूटीओ के डाटाबेस के अनुसार, वर्ष

2017 में भारत वस्तु व्यापार में 1.70 प्रतिशत शेयर के साथ विश्व में 20वां सबसे बड़ा निर्यातक और 2.50 प्रतिशत शेयर के साथ 11वां सबसे बड़ा आयातक देश है।

सेवा व्यापार

- अप्रैल से मार्च 2017-18 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 195.10 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.81 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।
- सेवा निर्यात ने अप्रैल - मार्च 2008-09 से अप्रैल - मार्च 2017-18 तक 7.02 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) दर्ज की।
- सेवा निर्यात 2017-18 में वस्तु व्यापार घाटे के 47.86 प्रतिशत का वित्त पोषण कर रहा है।
- वाणिज्यिक सेवाओं के मामले में विश्व में भारत 9वां सबसे बड़ा निर्यातक (3.4 प्रतिशत के शेयर के साथ) और 10वां सबसे बड़ा आयातक (3.0 प्रतिशत के शेयर के साथ) है।
- अप्रैल से मार्च 2017-18 (अनंतिम) में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का सेवा निर्यात 8.28 प्रतिशत है।
- अप्रैल से नवंबर 2018-19 (अनंतिम) की अवधि के लिए सेवा निर्यात का संचयी मूल्य 134.56 बिलियन अमरीकी डालर था।
- अप्रैल से नवंबर 2018-19 (अनंतिम) की अवधि के लिए सेवा आयात का संचयी मूल्य 82.78 बिलियन अमरीकी डालर था।
- अप्रैल से नवंबर 2018-19 (अनंतिम) की अवधि के लिए सेवा व्यापार सरप्लस का संचयी मूल्य 51.78 बिलियन अमरीकी डालर है।

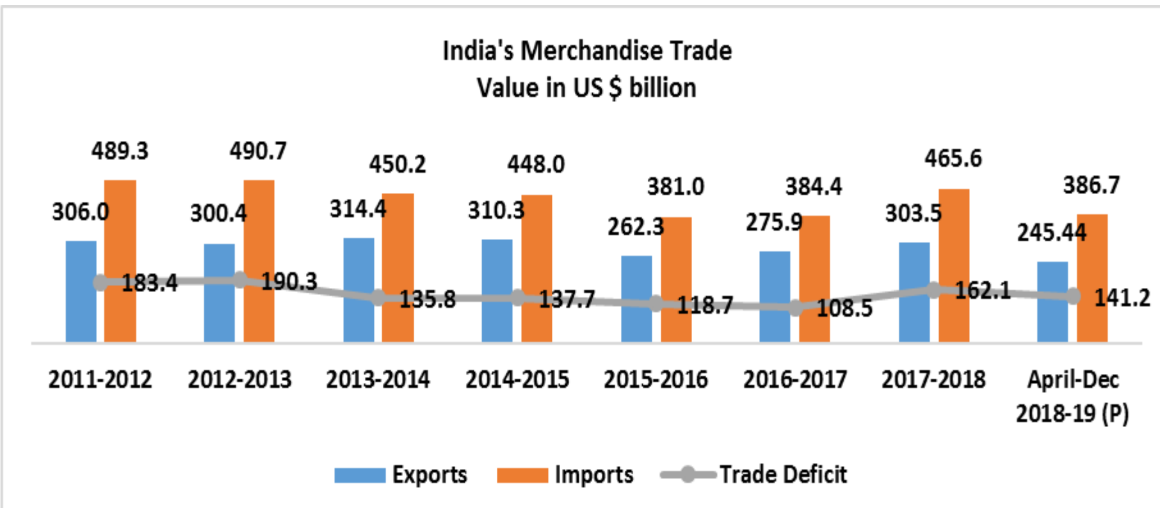

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

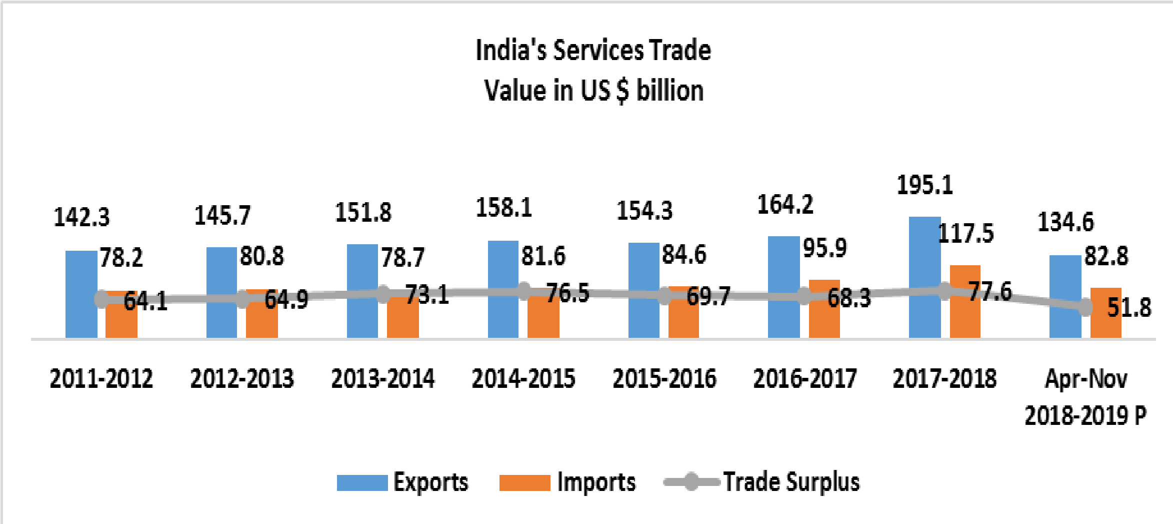

स्रोत : आरबीआई

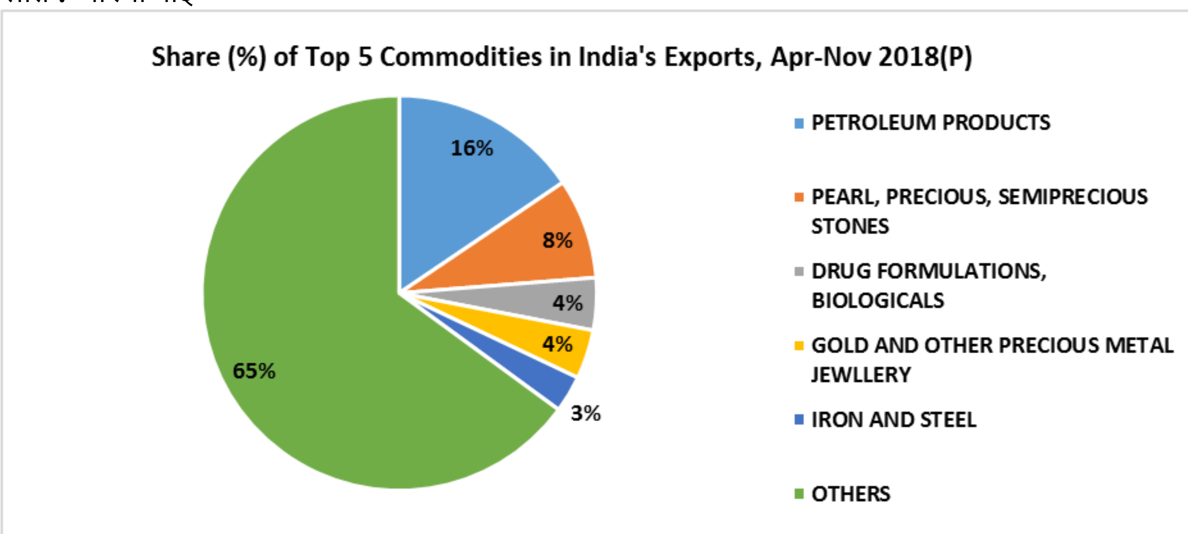

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

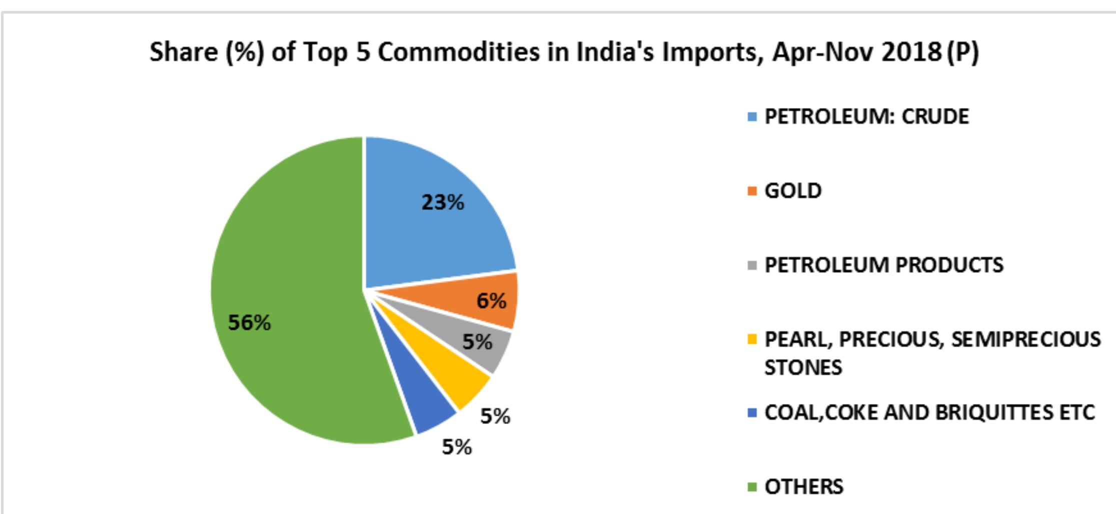

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

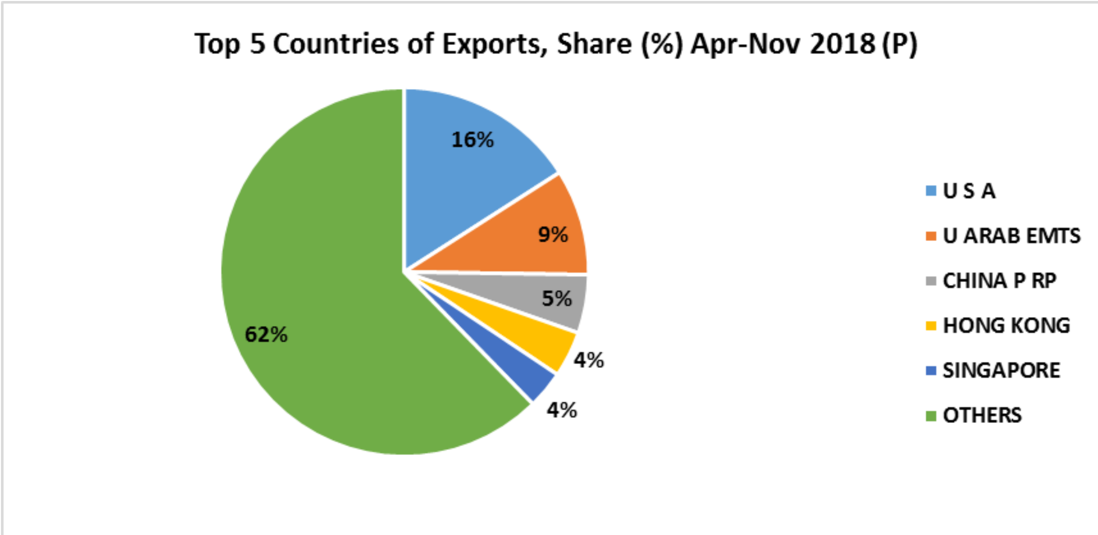

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

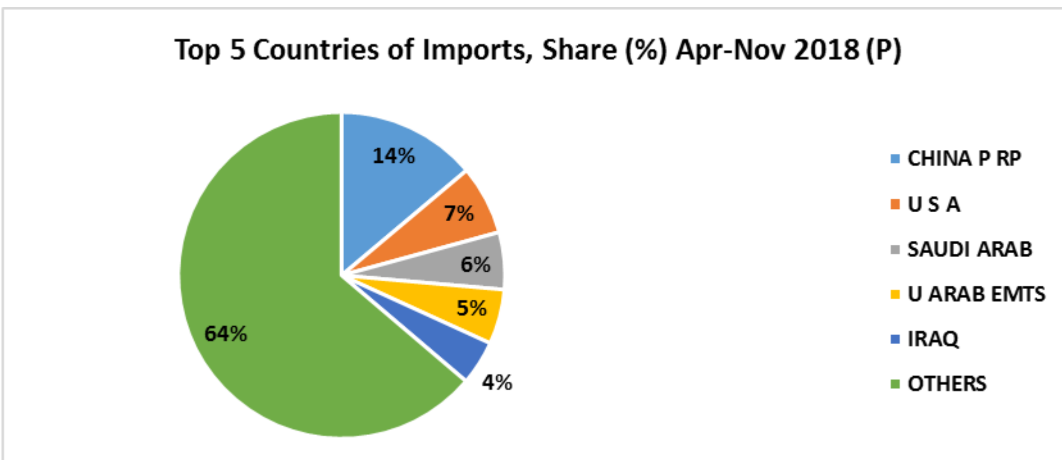

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

III. <u>निर्यात निष्पादन में सुधार के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें</u>

1. व्यापार संवर्धन

- विदेश व्यापार नीति ***2015-20*** दिसंबर ***2017*** में अधिसूचित मध्यावधि समीक्षा
    - एमएसएमई तथा श्रम सघन उद्योगों द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करना विदेश व्यापार नीति को जीएसटी के अनुरूप बनाया गया।

2. कृषि निर्यात का संवर्धन

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को बढ़ाकर 60 बिलियन अमरीकी डालर करने और इस प्रकार 100 बिलियन अमरीकी डालर के कृषि मंत्रालय के लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी सहायता करने के लिए एक संकेन्द्रित योजना के साथ

भारत की अब तक की पहली कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया है।

- कृषि निर्यात नीति का विजन उपयुक्त नीति लिखतों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात संभावना का उपयोग करना और कृषि में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना तथा किसानों की आय बढ़ाना है।
- कृषि निर्यात नीति में सिफारिशें दो श्रेणियों में हैं - रणनीतिक तथा प्रचालनात्मक :
    - रणनीति में नीतिगत उपायों, अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक्स सहायता पर बल और कृषि निर्यात में राज्य सरकारों अधिक भागीदारी शामिल है।
    - प्रचालनात्मक पहलुओं में क्लस्टरों पर बल, मूल्यवर्धित उत्पादों का संवर्धन, ब्रांड ऑफ इंडिया का विपणन आदि शामिल होगा।

3. निर्यातकों के लिए कारोबार करने की सरलता बढ़ाना

- प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म को सुदृढ़ करने तथा निर्यातकों के लिए कारोबार करने की सरलता बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं :
    - डीजीएफटी ने इस वर्ष अपने यहां मौजूद प्रौद्योगिकी हार्डवेयर को अपग्रेड किया है।
    - डीजीएफटी की वेबसाइट पर एक आनलाइन शिकायत निवारण सेवा **Contact@DGFT** शुरू की गई। निर्यातकों और आयातकों के विदेश व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों के लिए यह एकल बिंदु संपर्क है। पिछले वर्ष इस प्लेटफार्म पर 60000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 97 प्रतिशत का निवारण किया गया है।
    - डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली अधिकांश व्यापार संवर्धन योजनाओं एवं प्राधिकारों - आईईसी, अग्रिम प्राधिकार स्कीम, वार्षिक अग्रिम प्राधिकार स्कीम, डीएफआईए, ईपीसीजी स्कम, वार्षिक ईपीसीजी स्कीम, एमआईएस, एसईआईएस, एफपीएस, एफएमएस, एमएलएफपीएस, वीकेजीयूवाई, एसएफआईएस, एसएचआईएस, वृद्धिमूलक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम, प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए प्राधिकार के लिए आयातकों - निर्यातकों द्वारा आनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है। अन्य एजेंसियों (सीमा शुल्क एवं भारतीय रिजर्व बैंक) के साथ इंटरफेस भी इस ईडीआई प्रणाली के माध्यम से है।
    - क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 1 अप्रैल 2016 से जारी किए गए सभी लगान बिलों के लिए सीमा शुल्क से इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त लदान बिल डाटा को आनलाइन देखने की सुविधा सृजित की गई है। अब निर्यातकों को ईओडीसी को भुनाने के लिए लदान बिल की भौतिक प्रति दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भी सीमा शुल्क से इलेक्ट्रानिक रूप से भेजे गए एसबी डाटा का प्रयोग कर सकते हैं।
    - निर्यातक आनलाइन प्लेटफार्म पर आयातक - निर्यातक कोड (आईईसी) का सृजन स्वयं कर सकते हैं।
    - एमईआईएस के तहत 97 प्रतिशत उत्पाद लाइनों के लिए सितंबर 2018 से एमईआईएस लाभ के आनलाइन आटो अनुमोदन की सुविधा शुरू की गई है। अब एमईआईएस आवेदन आनलाइन

अनुमोदित किए जाते हैं तथा अनुमोदन के तीन दिन के अंदर स्क्रिप्ट जारी किए जाते हैं।
  - काल सेंटर को सुदृढ़ किया गया है तथा अब हेल्प डेस्क पर प्राप्त सभी टेलीफोन कॉल की ध्यान से निगरानी की जाती है। एक आईवीआरएस प्रणाली भी स्थापित की गई है।

4. चैंपियन सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाना

- सेवा क्षेत्र को उस समय बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला जब 12 चिह्नित चैंपियन सेवा क्षेत्रों अर्थात आईटी एवं आईटीईएस, पर्यटन एवं आतिथेय सेवा, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन एवं लाजिस्टिक्स सेवा, लेखांकन एवं वित्तीय सेवा, श्रव्य दृश्य सेवा, विधिक सेवा, संचार सेवा, निर्माण एवं संबद्ध इंजीनियरिंग सेवा, पर्यावरण सेवा, वित्तीय सेवा तथा शिक्षा सेवा पर संकेंद्रित ध्यान देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी, 2018 को वाणिज्य विभाग की चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल को मंजूरी प्रदान की।
- हितधारकों तथा वाणिज्य विभाग के परामर्श से अपने-अपने सेवा क्षेत्रों के लिए सेक्टोरल कार्य योजनाएं एवं सेक्टोरल योजनाएं तैयार करने के लिए नोडल मंत्रालय / विभाग चिह्नित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने चिह्नित क्षेत्रों की सेक्टोरल पहलों की सहायता के लिए 5000 करोड़ रुपए की एक समर्पित निधि के लिए भी मंजूरी प्रदान की है। ऐसी परिकल्पना है कि नोडल मंत्रालयों / विभागों की सेक्टोरल योजनाएं छत्रछाया योजना अर्थात चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत प्रचालन करेंगी। जांच समिति ने सीएसएसएस के तहत विभिन्न नोडल मंत्रालयों / विभागों की सेक्टोरल योजनाओं के लिए वित्त पोषण के प्रस्तावों की सिफारिश की है तथा कुछ अन्य के लिए अतिरिक्त निधियां निर्धारित की है।

5. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति में सुधार

- मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व में गठित समिति ने भारत की मौजूदा एसईजेड नीति का अध्ययन किया है।

- समिति का उद्देश्य एसईजेड नीति का मूल्यांकन करना तथा इसे डब्ल्यूटीओ का अनुपालक बनाना, एसईजेड में खाली भूमि के उपयोग को इष्टतम करने के लिए उपायों का सुझाव देना, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर एसईजेड नीति के परिवर्तनों का सुझाव देना और एसईजेड नीति का अन्य सरकारी योजनाओं जैसे कि तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरिडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र तथा खाद्य एवं वस्त्र पार्क के साथ विलय करना था।
- समूह ने 19 नवंबर, 2018 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विभिन्न हितधारक मंत्रालयों से परामर्श करने के लिए 26 दिसंबर, 2018 को एक अंतर्मंत्रालयी परामर्श का आयोजन किया गया। आम जनता से परामर्श के लिए रिपोर्ट 31 जनवरी, 2019 तक सर्वाधिकार क्षेत्र में रखी गई है।

6. अधुनातन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केन्द्र का विकास

- मंत्रालय 25,703 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली में 221.37 एकड़ के क्षेत्रफल में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केन्द्र का विकास कर रहा है। 25,703 करोड़ रुपए
- भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 सितंबर 2018 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। चरण 1 दिसंबर

2019 तक पूरा हो जाएगा तथा चरण 2 दिसंबर 2024 तक पूरा होगा।

7. लाजिस्टिक्स

- सरकार ने यह माना है कि दक्ष लॉजिस्टिक्स प्रतियोगिता की क्षमता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उत्तोलक है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के समेकित विकास के लिए जुलाई 2018 में वाणिज्य विभाग में लॉजिस्टिक्स प्रभाग का गठन किया गया।
- विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018' में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है तथा यह 2017 में 100 से सुधरकर 2018 में 77 हो गई है।
- 'सीमापारीय व्यापार' में रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है और यह 2017 में 146 से सुधकर 2018 में 80 पर पहुंच गई है। यह सकारात्मक छलांग पिछले एक साल में लागू किए गए अनेक सुधारों के कारण है।
- मालगोदाम, कोल्ड चेन तथा एमएमएलपी जैसी लॉजिस्टिक्स की गतिविधियों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है।
- लॉजिस्टिक्स पर अनुसंधान संचालित करने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में आईआईएफटी में लॉजिस्टिक्स तथा व्यापार सुगमता केन्द्र का गठन किया गया है।
- राष्ट्रीय एकीकृत लॉजिस्टिक्स कार्य योजना पर काम चल रहा है। कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क, स्टील, खाद्यान्न, कंटेनर, सेब, टमाटर आदि जैसी अनेक वस्तुओं के लिए हस्तक्षेप चिह्नित किए गए हैं। कार्यान्वित होने पर इनके लिए लॉजिस्टिक्स की लागत में 20000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से अधिक की कटौती होने की संभावना है।

8. सरकारी ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से प्रापण में पारदर्शिता लाना

- सरकारी संगठनों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के प्रापण के लिए पूर्णत: आनलाइन एवं पारदर्शी प्रणाली को सुगम बनाने के उद्देश्य से अगस्त 2016 में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल के रूप में सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) का गठन किया गया।
- गठन होने के बाद लगभग 2 साल की अवधि में जेम सरकार का सबसे बड़ा ई-मार्केट प्लेस बन गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 17000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का प्रापण किया गया है।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 31000 से अधिक संगठन अपने प्रापण के लिए जेम का प्रयोग कर रहे हैं।
- 1.75 लाख से अधिक वेंडर जेम में 7 लाख से अधिक उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं।
- बहुत कम समय में जेम ने इंड टू इंड समाधान प्रदान करने वाले कागज विहीन, संपर्क विहीन तथा नकदी विहीन प्लेटफार्म के माध्यम से गति, दक्षता और पारदर्शिता के साथ देश में सार्वजनिक प्रापण की कायाकल्प कर दी है।

9. डब्ल्यूटीओ के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सुधार

- भारत सुधार के मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ में चर्चा में भाग लेता है ताकि इसे अधिक प्रभावी संस्था बनाया जा सके। विवाद निस्तारण तंत्र, जो डब्ल्यूटीओ के नियमों को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है।
- द्वितीय आरसीईपी नेता शिखर बैठक 14 नवंबर 2018 को हुई थी जहां नेताओं ने वार्ता में सारवान प्रगति को स्वीकार किया।
    - 12 और 13 नवंबर 2018 को आरसीईपी की मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान तीन और अध्याय पूरे किए गए जिससे अब तक कुल 16 में से 7

अध्याय सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं।

- आरसीईपी के संबंध में भारत के दृष्टिकोण पर व्यापक अध्ययन करने के लिए तीन थिंक टैंक की सेवाएं ली जा रही हैं। इसके लिए आईसीआरआईईआर, सीआरटी एवं आईआईएम (बंगलौर) और सीडब्ल्यूटीओएस का चयन किया गया है।

10. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के तहत हाई इंड अनुसंधान को बढ़ावा देना

- विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र *:* पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र ने डब्ल्यूटीओ में रुचि के सभी क्षेत्रों में अनेक पेपर के साथ मजबूत अनुसंधान कार्यक्रम संचालित किया है। इसने अपने व्यापार संसाधन केन्द्र में विशेष रूप से भारत से संबंधित महत्वपूर्ण डब्ल्यूटीओ दस्तावेजों की विशिष्ट ई-डिपाजिटरी भी सृजित की है।
- क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र *(*सीआरटी*) :* यह लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, आसियान, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया और यूएसए सहित विशिष्ट क्षेत्रों और देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संगत व्यापार एवं निवेश संबद्ध मुद्दों पर फोकस के साथ अर्थशास्त्र में अनुसंधान करता है।
- व्यापार एवं निवेश कानून केन्द्र *(*सीटीआईएल*) :* इस केन्द्र का उद्देश्य विधिक विशेषज्ञों का एक समर्पित पूल सृजित करना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश वार्ता तथा विवाद निस्तारण में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान कर सके। इस केन्द्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि डब्ल्यूटीओ कानून, अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून तथा आर्थिक एकीकरण से संबंधित कानूनी मुद्दों में थॉट लीडर बनना भी है।

11. मानक एवं तकनीकी विनियम

- विनियामक अंतरालों को दूर करने के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) अधिसूचित करना
  - भारत में विनियामक अंतराल को दूर करने के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) अधिसूचित करने के बारे में सचिव समिति (सीओएस) के निर्णय के अनुसरण में तथा कोर ग्रुप की समीक्षाओं के माध्यम से अनुवर्तन के रूप में तकनीकी विनियम अधिसूचित करने की गति काफी बढ़ गई है। कमजोर ढंग से परिभाषित विनियमों से परहेज करते हुए, इस संबंध में 'डब्ल्यूटीओ के अनुपालन में क्या करें और क्या न करें' के बारे में विनियामकों को सूचित किया जाता है। तकनीकी विनियम तैयार करने, अपनाने और लागू करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से तालमेल स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए शुरू किया गया सहायता और आउटरीच कार्यमक्रम
  - माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 नवंबर 2018 को एमएसएमई सहायता और आउटरीच कार्यमक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी भाग लेते हैं तथा देश में एमएसएमई के वित्तीय एवं अन्य मुद्दों का समाधान करते हैं। कोटिपरक रूपरेखा की दृष्टि से कार्यक्रम एमएसएमई क्लस्टरों में गुणवत्ता प्रमाण पत्र जैसे कि आईएसओ-9000 के

पंजीकरण को बढ़ावा देता है। कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी साप्ताहिक आधार पर डैशबोर्ड (www.msmesupport.gov.in) पर की जाती है।

- गुणवत्ता के एजेंडा पर और बल देने के लिए वाणिज्य विभाग अगले 100 दिनों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मानक गोष्ठियों का आयोजन करने जा रहा है। मुंबई में एक विशेष राष्ट्रीय मानक गोष्ठ तथा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में क्षेत्रीय मानक गोष्ठियों का प्रस्ताव है।

12. निर्यात में रुझान की निगरानी

- वस्तु एवं सेवा दोनों निर्यात में वृद्धि की मौजूदा रुझान को बनाए रखने और बढ़ाने के उद्देश्य से सुगमता एवं प्रोत्साहन के लिए लागू किए जा रहे उपायों के अलावा, अड़चनों को दूर करने तथा निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट कार्यबिंदुओं को अंतिम रूप देने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के साथ व्यापक परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे कार्यबिंदुओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिनसे इस राजकोषीय वर्ष के अंदर अगले तीन चार महीनों में निर्यात में तत्काल वृद्धि होगी। प्रत्येक वस्तु समूह में मात्रा की दृष्टि से प्रगति का नियमित रूप से जायजा लिया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के अंग के रूप में, यूएस और चीन द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ से उत्पन्न अवसरों पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। दोनों बाजारों के लिए विस्तृत टैरिफ लाइनवार विश्लेषण किया गया है और इन उत्पादों के बड़े निर्यातकों / ईपीसी तथा संबधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है और उनके साथ नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रासंगिक क्षेत्रों में हमारे विदेश स्थित मिशनों के माध्यम से सुगमता तथा व्यवसाय एवं अंतर्मंत्रालयी शिष्टमंडलों की दौरों की व्यवस्था की गई है। इन बाजारों (विशेष रूप से चीन) में बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए भी उपाय किए गए हैं जहां भारत के लिए ऐसी पहुंच फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बासमती से भिन्न चावल के प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया गया है तथा 28 सितंबर 2018 को चीन को 100 टन की पहली खेप भेजी गई है। चीन को सोयाबीन / सफेद सरसों, चीनी, फार्मास्युटिकल, अंगूर, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद, गोमांस, अनार, कॉर्न, बाजरा तथा ज्वार के निर्यात के संबंध में भी पहले की गई हैं।

13. ''निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)''

- वित्त वर्ष 2017-18 से तीन साल की अवधि के लिए टीआईईएस योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात अवसंरचना में अंतरालों को पाटकर, संकेन्द्रित निर्यात अवसंरचना का सृजन करके, निर्यात उन्मुख परियोजनाओं के लिए पहले मील और आखिरी मील तक संपर्क का निर्माण करके और गुणवत्ता एवं प्रमाण पत्र के उपायों पर ध्यान देकर निर्यात की प्रतियोगितात्मकता बढ़ाना है। केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करके उनकी भागीदारी के माध्यम से निर्यात के विकास और प्रगति के लिए उपयुक्त अवसंरचना का सृजन करने पर मुख्य बल दिया जा रहा है। अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार की सहायता प्रदान की जाती है जो सामान्यतया कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निवेश की जा रही इक्विटी से अधिक नहीं होती है या परियोजना में कुल इक्विटी का 50 प्रतिशत होती है। (उत्तर

पूर्वी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर सहित हिमालयन राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी के 80 प्रतिशत तक हो सकता है)।

14. व्यापार निदान महानिदेशालय (डीजीटीआर)

- पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) जो 1997 में गठित किया गया था, को भारत सरकार (कार्यों का आवंटन) नियमावली 2061 में 7 मई 2018 को किए गए संशोधन के फलस्वरूप 17 मई 2018 को व्यापार निदान महानिदेशालय (डीजीटीआर) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। व्यापार निदान के सभी कार्यों अर्थात डीजीएटी, सुरोक्षोपाय महानिदेशालय तथा डीजीएफटी से क्रमश: पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क तथा सुरक्षा के उपाय (क्यूआर) को एकल खिड़की रूपरेखा के तहत शामिल करके डीजीएडी का डीजीटीआर में पुनर्गठन एवं पुन: अभिकल्पन करके डीजीटीआर का सृजन किया गया है। डीजीटीआर विभिन्न सेवाओं एवं विशेषज्ञताओं से चुने गए अधिकारियों से उत्पन्न बहु-आयामी कौशल सेट के साथ व्यावसायिक दृष्टि से एकीकृत संगठन है।
- यह पाटनरोधी, प्रतिकार शुल्क तथा सुरक्षा के उपायों सहित व्यापार निदान के सभी उपायों के प्रशासन के लिए एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ व्यवस्था, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं नियमावली तथा अन्य संगत कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय करारों की प्रासंगिक रूपरेखा के तहत पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से व्यापार निदान की विधियों का प्रयोग करके व्यापार की अनुचित प्रथाओं जैसे कि निर्यातक देशों से डंपिंग तथा करणीय सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करता है।

15. निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों की अधिक भागीदारी

- व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद
  - केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद अधिसूचित की गई है जिसमें अवसंरचना एवं वित्त का काम देखने वाले केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के सचिवों तथा शीर्ष उद्योग संघों के अलावा सभी राज्यों के व्यापार एवं उद्योग मंत्री सदस्य हैं। परिषद की पहली और दूसरी बैठक क्रमश: 8 जनवरी 2016 और 5 जनवरी 2017 को हुई। परिषद की तीसरी बैठक 10 जनवरी 2019 को होनी थी जिसमें सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को भाग लेना था।
- राज्य सरकारों तथा निर्यातकों के साथ संयुक्त बैठकें
  - इस पहल के तहत वाणिज्य सचिव व्यापार से संबंधित आधारभूत सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता तथा अन्य मुद्दों पर राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिए वाणिज्य विभाग, डी जी एफ टी, सीमा शुल्क, कंकोर तथा संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करते हैं। वाणिज्य सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य से निर्यात पर डी जी सी आई एस डाटा, स्थानीय निर्यातकों / सी एच ए द्वारा उल्लिखित स्थानीय कराधान / लेवी से संबंधित मुद्दों, बिजली की उपलब्धता,

रोड / रेल संपर्क आदि पर विचार विमर्श होता है।

- वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की यह पहल निर्यातकों को केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न विनियामक एजेंसियों के साथ अपनी वर्तमान समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक अंत:क्रियात्मक मंच प्रदान करती है।
- इसके अंग के रूप में वाणिज्य सचिव ने 2018-19 के दौरान तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु, असम और मेघालय में ऐसी संयुक्त बैठकों का आयोजन किया है। अन्य राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की संयुक्त बैठक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का पिछले वित्त वर्षों में दौरा किया गया।

16. लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना

- लदान पूर्व एवं रुपए निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) सरकार की ओर से आरबीआई के माध्यम से डीजीएफटी चलाई जा रही है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई और 5 साल की अवधि के लिए है। इस योजना के तहत चिह्नित 416 चार डिजिट टैरिफ लाइन में निर्यातों के लिए पात्र निर्यातकों के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज समानीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विनिर्माता निर्यातक तथा उनके सभी वस्तु निर्यात में सभी एमएसएमई निर्यातक शामिल हैं। इस प्रकार बैंक लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट के रूप में पात्र निर्यातकों को ऋण प्रदान करते हैं तथा ब्याज समानीकरण योजना के तहत शामिल निर्यातकों के संबंध में ब्याज की दर में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कटौती की गई है। इससे चिन्हित निर्यात क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनने तथा उच्च स्तर का निर्यात निष्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- एमएसएमई से घटिया निर्यात निष्पादन तथा एमएसएमई पैकेज के अंग के रूप में प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्राप्त करने में उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि एमएसएमई निर्यातकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और इसके लिए ब्याज समानीकरण की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाएगी। तदनुसार 1 नवंबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में सीसीईए ने लदान पूर्व एवं लदान पश्चात रूपया निर्यात क्रेडिट पर चल रही ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) के तहत एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात के लिए ब्याज समानीकरण की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।
- इसके अलावा, चल रही योजना में मर्चेंट निर्यातकों को भी शामिल करने के लिए निर्यातक समुदाय की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए मर्चेंट निर्यातकों को भी लदान पूर्व एवं लदान पश्चात रूपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) के तहत शामिल किया गया है तथा उनको योजना के तहत चिह्नित 416 टैरिफ लाइनों के अंतर्गत शामिल उत्पादों के निर्यात के लिए ऐसे क्रेडिट पर 3 प्रतिशत की ब्याज समानीकरण दर अनुमत की गई है।

संगठनात्मक
ढांचा तथा कार्य

अध्याय 1 : संगठनात्मक ढाँचा तथा कार्य

विजन एवं मिशन

वाणिज्य विभाग का दीर्घकालिक विजन भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य भागीदार बनाना और भारत के बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में अग्रणी भूमिका निभाना है।
जो नीतिगत साधन अपनाए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं : मध्यम अवधि में लक्षित वस्तु एवं देश पर केंद्रित रणनीति तथा दीर्घ अवधि में विदेश व्यापार नीति।

कार्य

वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), जो अपनाई जाने वाली बुनियादी रूपरेखा तथा रणनीति प्रदान करती है, तैयार करता है, कार्यान्वित करता है और इसकी निगरानी करता है। घरेलू एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते आर्थिक परिदृश्यों का ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु व्यापार नीति की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन एवं व्यापार सुगमता तथा कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है।

विभाग की अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाती है जिनकी सहायता एक विशेष सचिव, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, चार अपर सचिवों, बारह संयुक्त सचिवों तथा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों एवं अनेक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है। कार्य की दृष्टि से विभाग को निम्नलिखित 10 प्रभागों में बांटा गया है :

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग
- विदेश व्यापार क्षेत्र प्रभाग
- निर्यात उत्पाद प्रभाग
- निर्यात उद्योग प्रभाग
- निर्यात सेवा प्रभाग
- आर्थिक प्रभाग
- प्रशासन एवं सामान्य सेवा प्रभाग
- वित्त प्रभाग
- आपूर्ति प्रभाग
- लॉजिस्टिक्स प्रभाग

जो विभिन्न कार्यालय / संगठन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है : (क) दो संबद्ध कार्यालय, (ख) दस अधीनस्थ कार्यालय, (ग) दस स्वायत्त निकाय, (घ) पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, ङ) एक सलाहकार निकाय, (च) चौदह निर्यात संवर्धन परिषद, और (छ) छह अन्य संगठन। पत्राचार के लिए पता सहित इन कार्यालयों / संगठनों की पूर्ण सूची अनुबंध 1 में दी गई है।
विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों / संगठनों के विस्तृत संगठनात्मक ढांचे तथा प्रमुख भूमिकाओं एवं कार्यों पर यहां नीचे चर्चा की गई है :

(क) संबद्ध कार्यालय

(i) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है तथा विदेश व्यापार महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं। 1991 में जब इसकी शुरूआत हुई है, जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण शुरू हुआ, तब से यह संगठन विदेश व्यापार को विनियमित करने एवं बढ़ावा देने के काम में अनिवार्य रूप से लगा हुआ है। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण तथा निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर तब से विदेश व्यापार महानिदेशालय को "सुविधा प्रदाता" की भूमिका सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखकर आयात / निर्यात के नियंत्रण / निषेध के स्थान पर निर्यात / आयात के संवर्धन एवं सुगमता पर बल दिया गया।

(ii) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी)

सरकारी ई-मार्केट प्लेस - विशेष प्रयोजन वाहन (जेम-एसपीवी)

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अप्रैल, 2017 को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा अपेक्षित माल एवं सेवाओं के प्रापण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन के गठन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया जिसे सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम-

एसपीवी) कहा जाएगा। जेम एसपीवी के गठन को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बंद करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया। बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई तथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के पूरे भारत में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / निदेशालयों को बंद कर दिया गया। पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की बंदी को **31** अक्टूबर, **2017** को प्रभावी किया गया।

(iii) व्यापार निदान महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार निदान महानिदेशालय (डीजीटीआर) (पहले इसका नाम पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय था) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) जिसका गठन 1997 में हुआ था, को मई 2018 में एकक खिड़की रूपरेखा के तहत व्यापार निदान के सभी कार्यों अर्थात पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकार शुल्क (सीवीडी), सुरक्षोपाय शुल्क (एसजीडी), सुरक्षा के उपायों (क्यूआर) को शामिल करके पुनगर्ठित किया है तथा डीजीएडी से नाम बदलकर डीजीटीआर किया गया है। डीजीएडी, वाणिज्य विभाग, सुरक्षोपाय महानिदेशालय, राजस्व विभाग और डीजीएफटी के सुरक्षा (क्यूआर) के कार्यों का विलय करके डीजीटीआर का गठन किया गया है। डीजीटीआर विभिन्न सेवाओं एवं विशेषज्ञताओं से चुने गए अधिकारियों से उत्पन्न बहु-आयामी कौशल सेट के साथ व्यावसायिक दृष्टि से एकीकृत संगठन है।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

(i) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है। कोलकाता में इसका कार्यालय स्थित है तथा महानिदेशक इसके मुखिया होते हैं। इसे नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों और विदेशी क्रेताओं द्वारा अपेक्षित व्यापार सांख्यिकी एवं विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचना का संग्रहण करने, संकलन करने और प्रकाशन / प्रसार करने का कार्य सौंपा गया है। यह भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के संकलन एवं प्रसार के लिए आई एस ओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश में पहला बड़ा डाटा प्रसंस्करण संगठन है जिसे 2017 में आईएसओ 9001 : 2015 में अपग्रेड किया गया है।

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विकास आयुक्त का कार्यालय

विशेष आर्थिक क्षेत्र नामक स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं - अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम / नियमावली के अनुसार जब तक विशिष्ट रूप से छूट न दी गई हो, भारत के सभी कानून विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू होते हैं। प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र का अध्यक्ष एक विकास आयुक्त होता है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के अनुसार इसे अभिशासित किया जाता है। विनिर्माण, व्यापार या सेवा की गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों को निबल विदेशी मुद्रा अर्जक होना होता है परंतु वे पहले से निर्धारित किसी मूल्य अभिवृद्धि (रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) या न्यूनतम निर्यात तरजीह जैसी अपेक्षाओं के अधीन नहीं होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री को निर्यात की जाने वाली वस्तु के रूप में माना जाता है तथा वे लागू सीमा शुल्क के भुगतान के अधीन होते हैं।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति)

डीजीएसएंडडी सहित आपूर्ति प्रभाग के भुगतान एवं लेखांकन का कार्य इसके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई स्थित क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से विभागीकृत लेखांकन पद्धति के तहत मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय (आपूर्ति प्रभाग) द्वारा किया जाता है। 31 अक्टूबर 2017 से आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बंद करने के बारे में मंत्रिमंडल के निर्णय के फलस्वरूप सीसीए (आपूर्ति) का कार्यालय बंद कर दिया गया है तथा अब नई दिल्ली एवं कोलकाता में मामूली स्टाफ तथा 02 पीएओ के साथ

सीसीए (वाणिज्य) द्वारा अवशिष्ट कार्य संभाला जा रहा है। आरपीएओ (आपूर्ति), मुंबई तथा आरपीएओ (आपूर्ति), चेन्नई का कार्य क्रमशः आरपीएओ (वाणिज्य), मुंबई तथा आरपीएओ (वाणिज्य), चेन्नई द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है।

(iv) वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य एवं वस्त्र)

वाणिज्य विभाग एवं कपड़ा मंत्रालय का वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली में चार, चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में दो - दो विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से दावों के भुगतान, लेनदेन के लेखांकन, लेखाओं के समेकन तथा अन्य संबद्ध मामलों जैसे कि डीडीओ की सहायता से पेंशन को अंतिम रूप देना एवं भुगतान करना तथा जीपीएफ के अंतिम मामलों का भुगतान, ऋण एवं अग्रिम, सहायता अनुदान का भुगतान, जीपीएफ / सीपीएफ, एनपीएस, एलएससी एवं पीसी आदि के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सीसीए कार्यालय पीएफएमएस (ईएटी / डीबीटी) के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है।

नई दिल्ली स्थित प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा इन विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों का नियंत्रण किया जाता है तथा मुख्य लेखा नियंत्रक विभाग के लेखा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। सीसीए व्यय की बजटिंग, निगरानी एवं नियंत्रण में, वित्तीय प्रबंध प्रणाली से संबंधित मामलों में व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करने, एफआरबीएम अधिनियम के तहत अपेक्षा के अनुसार प्रकटन विवरण, वार्षिक वित्त लेखा, कर से भिन्न राजस्व प्राप्तियों का अनुमान एवं प्रवाह आदि तैयार करने में वित्तीय सलाहकार को सभी सहायता प्रदान करता है। निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं लेखांकन का अध्ययन करने के लिए सीसीए के नियंत्रण में एक आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रकोष्ठ है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सही एवं पर्याप्त हों। पीएफएमएस का पेंशन एवं जीपीएफ मॉड्यूल मंत्रालय में क्रियाशील हो गया है।

पूर्ति प्रभाग - सतर्कता, न्यायिक मामलों एवं पेंशन में संशोधन आदि के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कोलकाता एवं दिल्ली में पूर्ति प्रभाग के दो पीएओ अभी भी अस्तित्व में हैं।

(ग) स्वायत्त निकाय

(i) कॉफी बोर्ड

(ii) रबर बोर्ड

(iii) चाय बोर्ड

(iv) तंबाकू बोर्ड

(v) मसाला बोर्ड

(vi) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

(vii) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

(viii) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

(ix) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

(x) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)

(i) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग के प्रयासों को संपूरित करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। तब से एसटीसी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने भारत में सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दाले, चीनी, खाद्य तेल आदि) और औद्योगिक कच्ची सामग्री के आयात की व्यवस्था की है और भारत से वस्तुओं की एक बड़ी संख्या के निर्यात को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एसटीसीएल लिमिटेड :

एसटीसीएल को मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अक्टूबर 1982 में एक निजी लिमिटेड कंपनी

के रूप में "कार्डमम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के नाम और शैली में निगमित किया गया था।
नाम में परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी ने अपने विपणन आधार को विस्तृत करने तथा इलायची के अलावा मसालों की अन्य श्रेणियों को शामिल करने के उद्देश्य से अगस्त 1987 से स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से निगमन का नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

(ii) एमएमटीसी लिमिटेड

मुख्य रूप से खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात तथा अलौह धातुओं के आयात का काम करने के लिए 1963 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एमएमटीसी से लिमिटेड का निगमन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सहित कारोबार के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए एमएमटीसी ने व्यवसाय के अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। उर्वरक, इस्पात, कोयला एवं हाइड्रोकार्बन, हीरा, बुलियन, कृषि आदि जैसी वस्तुओं को उत्तरोत्तर कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल किया गया।
सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसी की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा इसे अक्टूबर 1994 में 1 मिलियन अमरीकी डालर की शेयर पूंजी के साथ सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित किया गया। शुरूआत से, यह कंपनी वस्तुओं का व्यापार करती है और इसने सिंगापुर में अपने आपको विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित व्यापार कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

(iii) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड को "दि प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" के रूप में 1971 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। 25 नवंबर 1997 को कंपनी का नाम बदलकर पीईसी लिमिटेड रखा गया। पीईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यों में परियोजनाओं, इंजीनियरिंग उपकरण तथा रक्षा उपकरण का निर्यात, बुलियन का आयात तथा औद्योगिक कच्चा माल एवं कृषि वस्तुओं का व्यापार शामिल है।

(iv) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

ईसीजीसी स्वयं संपोषणीय आधार पर निर्यातकों और बैंकों को निर्यात क्रेडिट बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1957 में गठित भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) है। लाभार्थियों - निर्यातकों और बैंकरों दोनों को बीमा और क्षतिपूर्ति ने देश की समग्र निर्यात उपलब्धियों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया है। ईसीजीसी निर्यातकों को क्रेडिट बीमा कवर (जो 'पॉलिसी' के नाम से विख्यात है) प्रदान करता है ताकि राजनीतिक और/या वाणिज्यिक जोखिमों के कारण विदेशी क्रेताओं द्वारा निर्यात की देय राशियों का भुगतान न होने के कारण क्षति के विरुद्ध उनकी रक्षा की जा सके। यह लदान पूर्व तथा लदान पश्चात दोनों चरणों पर निर्यातकों को पर्याप्त बैंक क्रेडिट के प्रवाह का सुनिश्चय करने / बढ़ाने के लिए बैंकों को बीमा (जो बैंकों के लिए निर्यात क्रेडिट बीमा - ईसीआईबी के नाम से विख्यात है) भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) एक महत्वपूर्ण नीतिगत लिखत है जो राष्ट्रीय हित में परियोजना निर्यात की सहायता करने और इस प्रकार विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन में भारत की क्षमता पर स्पष्ट प्रभाव को बनाए रखने में भारत सरकार को समर्थ बनाता है।
परियोजना निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से एनईआईए भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतियोगी बनने तथा सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में मजबूत पकड़ प्राप्त करने में मदद करता है।

भारत से परियोजना निर्यात जो सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में एनईआईए न्यास का गठन किया।

(v) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (टीएफएआई) का नाम बदलने और टीएफएआई में भारतीय व्यापार विकास संगठन (टीडीए) के विलय के बाद वर्ष 1992 में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) का

गठन किया गया। आईटीपीओ भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसूची 'ख' मिनीरत्न श्रेणी-1 सीपीएसई है। इसका पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में है। आईटीपीओ के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में स्थित हैं जिससे भारत और विदेश में आयोजित इसके कार्यक्रमों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार एवं उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

(ङ) निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

इस समय वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। निर्यात संवर्धन परिषदें कंपनी अधिनियम / सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत हैं तथा सलाहकार एवं कार्यपालक दोनों की भूमिकाएं निभाती हैं। इन परिषदों की भूमिकाओं एवं कार्यों का मार्गदर्शन विदेश व्यापार नीति 2015-20 द्वारा होता है जो उनको निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है।

(च) सलाहकार निकाय

(i) व्यापार बोर्ड (बीओटी)

विदेश व्यापार नीति विवरण 2015-2020 के पैरा 300 के तहत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार व्यापार अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 23 मार्च 2016 के माध्यम से व्यापार बोर्ड (बीओटी) का पुनर्गठन किया गया है। व्यापार बोर्ड का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ निरंतर चर्चा एवं परामर्श करना है। भारत के व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार बोर्ड अन्य बातों के साथ विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देगा। व्यापार बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

- उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्यों के आलोक में निर्यात बढ़ाने के लिए अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक दोनों प्रकार की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने के लिए नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना;
- विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, अड़चनों की पहचान करना और निर्यात आय को इष्टतम करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना;
- आयात एवं निर्यात के लिए विद्यमान संस्थानिक रूपरेखा की जांच करना और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे और सरल एवं कारगर बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों का सुझाव देना;
- आयात एवं निर्यात के लिए नीतिगत लिखतों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इष्टतम उपयोग के लिए उनको तर्कसंगत बनाने हेतु कदमों का सुझाव देना; और
- ऐसे मुद्दों की जांच करना जिन्हें भारत के व्यापार के संवर्धन तथा भारतीय माल एवं सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए संगत समझा जाता है।

पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की दूसरी बैठक 20 जनू, 2017 को हुई थी। बैठक के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने रेखांकित किया है कि निर्यात परिदृश्य अब बदल गया है तथा वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई अनेक पहलों के फलस्वरूप पिछले 8 महीनों के दौरान सकारात्मक विकास का प्रदर्शन किया है; व्यापार सुगमता के उत्पादक परिणाम जहां भारत निर्यातों को प्रभावित करने वाली अनेक व्यापार बाधाओं को सरल बनाने में समर्थ हुआ है; वाणिज्य विभाग जीएसटी के संबंध में निर्यातकों के अनेक मुद्दों को समाधान करने के लिए राजस्व विभाग के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

बैठक के दौरान निर्यातकों और संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हुई। आवश्यक कार्रवाई के लिए चर्चा का रिकार्ड (आरओडी) संबंधित मंत्रालय / विभागों / संगठनों को परिचालित किया गया।

(छ) अन्य संगठन

(i) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ)

1965 में स्थापित तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत निर्यात संवर्धन परिषद के

रूप में पंजीकृत भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) निर्यात संवर्धन की शीर्ष संस्था है। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। एफआईईओ की प्रबंध समिति में ईपीसी तथा वस्तु बोर्डों, अपेडा, मपेडा आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। (ब्यौरा अध्याय 5 में उपलब्ध है)

(ii) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल के साथ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत तथा बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत भी 1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) स्थापित किया गया। आईडीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा यह रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आईडीआई हीरा विनिर्माण, हीरा ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग एवं आभूषण निर्माण के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करता है, इस प्रकार जेमोलोजी एक छत के नीचे रत्न एवं आभूषण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल कर रहा है। जीजेईपीसी द्वारा पुन: कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए ज्ञान प्रदाता के रूप में संस्थान गुजरात के भीतरी भागों में 315 लघु / मध्यम डायमंड / ज्वैलरी विनिर्माताओं को कौशल प्रदान करता है / अपग्रेड करता है। आईडीआई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार द्वारा एंकर संस्थान - रत्न एवं आभूषण के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

(iii) फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)

फुटवियर तथा संबद्ध उत्पाद उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए वर्ष 19986 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) की स्थापना की गई।

एफडीडीआई, जो एफडीडीआई अधिनियम, 2017 के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' का दर्जा रखने वाला एक अग्रणी संस्थान है, फुटवियर, चर्म एवं संबद्ध उद्योग में 'वन स्टॉप समाधान प्रदाता' के रूप में काम करता है।

(iv) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)

राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) समापन की प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2018-19 के दौरान इसने कोई कार्य नहीं किया है।

(v) मूल्य स्थिरता निधि न्यास (पीएसएफटी)

वाणिज्य विभाग ने मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण नुकसान के लिए देश में रबर, चाय, कॉफी एवं तंबाकू के सभी छोटे उत्पादकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अप्रैल 2003 में 10 साल की अवधि के लिए मूल्य स्थिरता निधि (पीएसएफ) योजना शुरू की थी। सीसीईए के अनुमोदन से वर्ष 2003 में योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के 432.88 करोड़ रुपए और उत्पादकों के 2.67 करोड़ रुपए (कुल 435.55 करोड़ रुपए) के अंशदान से कॉर्पस फंड का गठन किया गया। मूल्य स्थिरता निधि योजना को कार्यान्वित करने तथा कॉर्पस फंड को प्रचालित करने के लिए वाणिज्य विभाग तथा नाबार्ड द्वारा सितंबर, 2003 में 10 साल की अवधि के लिए मूल्य स्थिरता निधि न्यास (पीएसएफटी) का गठन किया गया। योजना के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पस फंड पर अर्जित ब्याज का उपयोग कॉर्पस फंड में किसी छेड़छाड़ के बगैर योजना को कार्यान्वित करने के लिए किया गया। 30 सितंबर, 2013 को यह योजना बंद कर दी गई।

(vi) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य विदेशी बाजारों में 'ब्रांड इंडिया' के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना तथा भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाना है। इस प्रयोजन के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन सरकार एवं उद्योग जगत के हितधारकों के साथ निकटता से काम करता है।

नई वैश्विक आर्थिक सच्चाइयां और भारत

अध्याय 2 : नई वैश्विक आर्थिक सच्चाइयां और भारत

वैश्विक अर्थव्यवस्था :

वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक, आईएमएफ (अक्टूबर 2018) के अनुसार वर्ष 2018 और 2019 के लिए वैश्विक वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत दर्शायी गई है जो अप्रैल में दोनों वर्षों के लिए की गई भविष्यवाणी की तुलना में 0.2 प्रतिशत कम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2018-19 के लिए वैश्विक वृद्धि के 2017 के स्तर पर स्थिर बने रहने का अनुमान है परंतु इसकी गति अप्रैल में व्यक्त किए गए अनुमान की तुलना में कम जोरदार है और यह कम संतुलित हो गई है। पिछले 6 महीनों में वैश्विक वृद्धि में गिरावट आने के जोखिमों में वृद्धि हुई है तथा वृद्धि होने की संभावनाएं फीकी पड़ी हैं। गिरावट में संशोधन अचंभों जिन्होंने कुछ प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2018 के पूर्वार्ध में गतिविधियों का दमन किया, अप्रैल तथा सितंबर मध्य के बीच कार्यान्वित या अनुमोदित व्यापार उपायों के नकारात्मक प्रभावों तथा देश विशिष्ट कारकों, तंग वित्तीय स्थितियों, भू-राजनीतिक तनावों तथा तेल आयात के अधिक बिलों से उत्पन्न कुछ प्रमुख उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए कमजोर आउटलुक को दर्शाता है। अगले दो वर्षों के बाद जब आउटपुट में अंतर समाप्त हो जाएगा तथा मौद्रिक नीति की सेटिंग सामान्य होने लगेगी तो उम्मीद है कि अधिकाशं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर एक दशक पहले के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले प्राप्त औसत से काफी नीचे चली जाएगी। उभरते एशिया में मध्यम अवधि की संभावनाएं सामान्यतया मजबूत बनी हुई हैं परंतु वस्तु निर्यातकों सहित कुछ उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समकक्ष से कम है, विशेष रूप से प्रति व्यक्ति विकास के लिए जो आज भी राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं या युद्ध एवं संघर्ष में फंसे हुए हैं।

2018 की पहली छमाही में उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्था समूह में औसत विकास स्थिर रहा। उभरते एशिया ने मजबूत वृद्धि दर्ज करना जारी रखा जो 2017 में विस्तार की चार वर्षीय धीमी गति से भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग चालित वृद्धि से सुदृढ़ हुआ, यहां तक कि चीन में गतिविधि संपत्ति क्षेत्र तथा गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थता में विनियामक सख्ती की वजह से दूसरी छमाही में संयमित हुई (आईएमएफ, 2018)। उप सहारा अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में ईंधन का निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में तेल की ऊंची कीमतों से विकास दर ऊपर उठी। लैटिन अमरीका में रिकवरी जारी रही हालांकि अनुमान से अधिक कम दर पर क्योंकि सख्त वित्तीय स्थितियों तथा अर्जेंटीना में सूखा से बोझिल विकास तथा राष्ट्रव्यापी ट्रकर्स हड़ताल से ब्राजील में उत्पादन प्रभावित हुआ।

वैश्विक वित्तीय बाजार मुख्य रूप से यूएस में बढ़ती पॉलिसी दरों, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों तथा पिछले अनुमानों की तुलना में मंदी की संभावनाओं द्वारा चालित हुए हैं (आरबीआई, 2018)। जैसा कि आरबीआई द्वारा अपने 5वें द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में बताया गया है, ऋण लेने की बढ़ती लागतों के कारण कारपोरेट की आय में कमी होने की संभावना से यूएस में इक्विटी बाजार में बिक्री का माहौल देखने को मिला, जबकि यूरोपीय स्टाक मार्केट राजनीतिक अनिश्चितताओं से प्रभावित हुए। जापानी स्टाक मार्केट ने भी वैश्विक सुरागों तथा येन के निरंतर सुदृढ़ीकरण से लाभों को गंवाया। यूरो क्षेत्र में आर्थिक स्थिति ब्रेक्सिट तथा इटली में आर्थिक स्थिति के संबंध में सरोकारों से प्रभावित हुई।

वैश्विक व्यापार की स्थिति :

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार 2018 में विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है तथा बाजार विनिमय दर पर वैश्विक जीडीपी में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। 2019 में व्यापार की मात्रा में 3.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि वैश्विक जीडीपी की विकास दर घटकर 2.9 प्रतिशत हो जाएगी। बढ़ते व्यापार तनाव अनुमान के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं परंतु मौद्रिक नीति के सख्त होने तथा संबद्ध वित्तीय अस्थिरता से भी व्यापार एवं आउटपुट अस्थिर हो सकते हैं। व्यापार से संबंधित संकेतक वैश्विक निर्यात आर्डर तथा आर्थिक नीति में अनिश्चितता सहित गति में गिरावट को दर्शाते हैं। 2018 की पहली छमाही में उत्तरी अमेरिका में सबसे तेज निर्यात वृद्धि रही है तथा एशिया की सबसे मजबूत आयात वृद्धि रही है जबकि संसाधन आधारित अर्थव्यवस्थाएं अभी भी संघर्षरत हैं।

वर्तमान रैंकिंग के अनुसार, भारत विश्व में वस्तु व्यापार का 20वां सबसे बड़ा निर्यातक (1.7 प्रतिशत के शेयर के साथ) और 11वां सबसे आयातक (2.5 प्रतिशत के शेयर के साथ) है। विश्व में वस्तु व्यापार की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा निर्यातक और संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) सबसे बड़ा आयातक है। वाणिज्यिक सेवाओं के मामले में भारत 9वां सबसे बड़ा निर्यातक (3.4 प्रतिशत के शेयर के साथ) और 10वां सबसे बड़ा आयातक (3.0 प्रतिशत के शेयर के साथ) है। यूएसए विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा आयातक है।

भारत की आर्थिक एवं व्यापार स्थिति :

सीएसओ के प्रथम उन्नत अनुमानों के अनुसार, अनुमान है कि 2017-18 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में 2018-19 के दौरान जीडीपी की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहेगी। आईएमएफ के अनुसार, 2018 और 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमश: 7.3 प्रतिशत और 7.4 प्रशित की दर से विकास करने की संभावना है।

जिन क्षेत्रों ने 7.0 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज की उनमें विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य यूटिलिटी सेवाएं, निर्माण, विनिर्माण, लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। अनुमान है कि 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा सेवा से संबंधित प्रसारण', 'वित्तीय, रीयल एस्टेट तथा व्यावसायिक सेवाओं', 'कृषि, वानकी एवं फिशिंग' तथा 'खनन एवं खदान' में विकास दर क्रमश: 6.9 प्रतिशत, 6.8 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत रहेगी।

भारत का पण व्यापार : अप्रैल से दिसंबर 2018-19 की अवधि के लिए निर्यातों का संचयी मूल्य 245.44 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2017-18 की अवधि के दौरान इसका संचयी मूल्य 222.77 बिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया था, जो डालर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में 10.18 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर 2018-19 की अवधि के लिए आयातों का संचयी मूल्य 386.65 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2017-18 की अवधि के दौरान इसका संचयी मूल्य 343.3 बिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया था, जो डालर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में 12.61 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर 2018-19 (अनंतिम) की अवधि के लिए व्यापार घाटे का संचयी मूल्य 141.20 बिलियन अमरीकी डालर है, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2017-18 के दौरान इसका संचयी मूल्य 120.57 बिलियन अमरीकी डालर था।

हाल के वैश्विक आर्थिक मुद्दे और भारत

(क) व्यवसाय करने में सुगमता *:*

डूइंग बिजनेस 2019, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में 190 देशों में भारत 77वें स्थान पर है (2017 में 100वें स्थान से 23 स्थान का सुधार)। इसी वर्ष के लिए व्यवसाय करने में सुगमता की दृष्टि से 190 देशों की सूची में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है, जिसके बाद सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका 8वें स्थान पर है तथा चीन 46वें स्थान पर है और पाकिस्तान 136वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में सुधार डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में रैंकिंग का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किए गए 10 संकेतकों में से 6 संकेतकों में बेहतर निष्पादन के कारण है जो इस प्रकार हैं : व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, बिजली प्राप्त करना, क्रेडिट प्राप्त करना, सीमापारीय व्यापार, संविदाओं को लागू करना। विश्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार भारत शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जिनकी व्यवसाय शुरू करने तथा करने में सरलता की दृष्टि से रैंकिंग में सुधार हाल के दिनों में स्थिर बना हुआ है।

डूइंग बिजनेस 2019 के अनुसार भारत के लिए कुछ पहलों ने व्यवसाय की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया है। राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना 2017-2020 के तहत ऐसी अनेक पहले हैं जिनसे सीमापारीय व्यापार की दक्षता में सुधार हुआ है तथा निर्यात और आयात दोनों के लिए बार्डर तथा दस्तावेजी अनुपालन का समय घटा है। भारत ने बंदरगाह के उपकरणों में भी निवेश किया है, प्रबंधन को सुदृढ़ किया है तथा इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों के प्रवाह में सुधार किया है। 2017 की दूसरी छमाही के दौरान दिल्ली में एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली तथा मुंबई में आनलाइन बिल्डिंग परमिट अनुमोदन प्रणाली के कार्यान्वयन से भारत ने निर्माण परमिट की अपनी प्रक्रिया को सरल तथा केन्द्रीकृत बनाना भी जारी रखा है। जहां तक बिजली प्राप्त करने का संबंध है, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हाल ही में अपनाए

गए विनियमों के तहत यह अपेक्षा है कि आवेदन स्वीकार होने के 15 दिन के अंदर विद्युत कनेक्शन पूरा हो जाना चाहिए। इस विनियम का अनुपालन करने के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने प्रत्येक वाणिज्यिक कनेक्शन की निगरानी के लिए अधिक कार्मिकों तथा ट्रैकिंग उपकरणों और प्रमुख निष्पादन संकेतकों की तैनाती की।

(ख) तेल की कीमतों से संबंधित परिदृश्य *:*

उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, अनेक ऊर्जा निर्यातकों की विकास की संभावनाएं तेल की ऊंची कीमतों से ऊपर उठी हैं परंतु अन्यों के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, ईरान और तुर्की के लिए विकास की दरें संशोधित की गईं जो देश विशिष्ट कारकों, सख्त वित्तीय स्थितियों, भू-राजनीतिक तनावों तथा तेल आयात के अधिक बिलों को दर्शाते हैं (डब्ल्यूईओ, अक्टूबर 2018)।

पिछली नीति के बाद से कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट आई है; अक्टूबर 2018 के पूर्वार्ध में 85 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर पहुंचने के बाद नवंबर 2018 के अंत तक भारतीय कच्चे तेल की कीमत गिरकर 60 अमरीकी डालर प्रति बैरल से नीचे पहुंच गई। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट अधिक आपूर्ति तथा भू-राजनीतिक तनावों के कम होने को दर्शाती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत के विकास की संभावनाओं में मजबूती आने की उम्मीद है क्योंकि इससे कारपोरेट जगत की आय में सुधार होगा तथा अधिक डिस्पोजेबल आय के माध्यम से निजी खपत में वृद्धि होगी। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नोट किया कि मुख्य मुद्रास्फीति के लिए साधारण संभावना मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में अनपेक्षित कमी तथा अपेक्षाकृत अल्प अवधि में तेल की कीमतों में भारी गिरावट द्वारा चालित है। एमपीसी ने यह भी नोट किया कि हालांकि बढ़ते व्यापार तनाव, वैश्विक आर्थिक स्थितियों के तंग होने तथा वैश्विक मांग में मंदी आने से घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के कुछ जोखिम हैं परंतु हाल के सप्ताहों में तेल की कीमतों में गिरावट, यदि बनी रहती है, अनुकूल हवा प्रदान करेगी (एमपीसी की 5वीं द्विमासिक बैठक, 5 दिसंबर 2018, आरबीआई)।

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां

अध्याय 3 : भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां

भारत का निर्यात निष्पादन

मार्च से अप्रैल 2017-18 के दौरान भारत का वस्तु निर्यात 303.53 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.03 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक मंदी के कारण भारत के निर्यात क्षेत्र को हुए नुकसान के बावजूद वस्तु निर्यात में मार्च से अप्रैल 2008-09 से लेकर मार्च से अप्रैल 2017-18 तक 5.64 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) दर्ज की गई। 2013-14 के बाद वैश्विक मंदी के प्रभाव में वृद्धि हुई तथा चीन जैसी अर्थव्यस्थाएं भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रहीं, 2014-15 और 2015-16 में भारत के वस्तु निर्यात में क्रमश: 1.29 प्रतिशत और 15.48 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। तथापि, लॉजिस्टिक्स, डिजिटीकरण एवं कौशल विकास आदि में सुधार सहित सुगमता एवं सहायता के संबंध में सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से सरकार भारत को प्रभावित करने वाले कारणों पर अंकुश लगाने में सफल रही तथा 2015- 16 की अवधि के बाद वृद्धि की प्रवृत्ति दिखने लगी तथा 2016-17 और 2017-18 में वस्तु निर्यात में क्रमश: 5.17 प्रतिशत और 10.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल से सितंबर (क्यूई) 2018-19 कीb अवधि के दौरान निर्यात बढ़ता रहात था इसमें 10.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

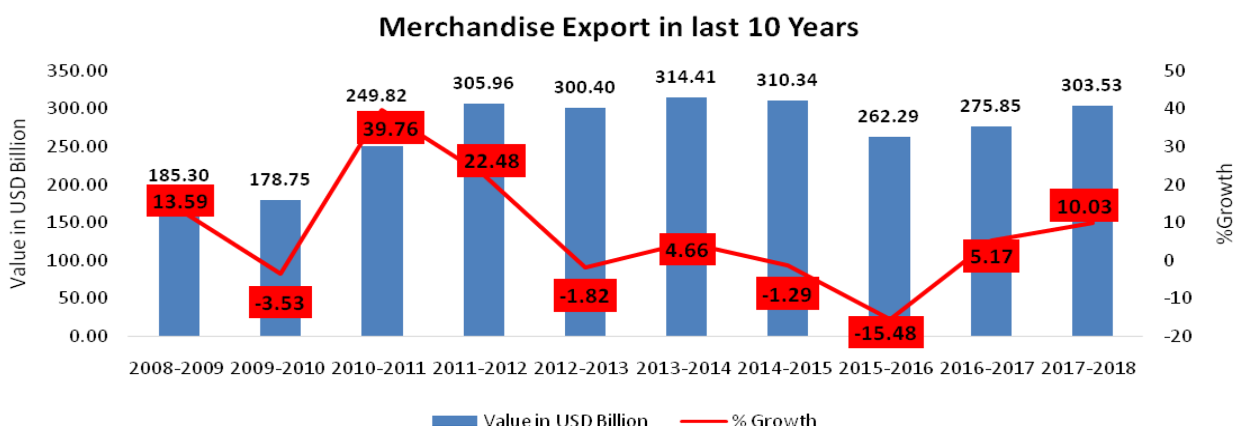

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

विश्व व्यापार का परिदृश्य

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) अपेडेट, अक्टूबर 2018 में की गई नवीनतम भविष्यवाणी में, भारत की विकास दर बढ़कर 2018 में 7.3 प्रतिशत और 2019 में 7.4 प्रतिशत होने की उम्मीद व्यक्त की गई है। 2017 और 2018 दोनों के लिए वैश्विक उत्पाद विकास दर को 3.7 प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि वर्ष 2018 और 2019 में क्रमश: 2.4 में 2.1 प्रतिशत की दर से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास की उम्मीद व्यक्त की गई है, उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 2018 और 2019 दोनों के लिए 4.7 प्रतिशत दर्शाई गई है।

2016 में 2.2 प्रतिशत की तुलना में 2017 में विश्व व्यापार की मात्रा में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; उम्मीद है कि इसमें 2018 में 4.2 प्रतिशत की कटौती तथा 2019 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा अप्रैल 2018 में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत 1.70 प्रतिशत शेयर के साथ विश्व में 20वां सबसे बड़ा निर्यातक और 2.50 प्रतिशत शेयर के साथ 11वां सबसे बड़ा आयातक देश है।

निर्यात

अप्रैल से दिसंबर 2018-19 (क्यूई) की अवधि के लिए निर्यातों का संचयी मूल्य 245.44 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान इसका संचयी मूल्य 222.77 बिलियन अमरीकी डालर

दर्ज किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.18 प्रतिशत अधिक है।

आयात

अप्रैल - मार्च 2017-18 (अनंतिम) की अवधि के लिए आयात का संचयी मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान 384.36 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 465.58 बिलियन अमरीकी डालर था जो 21.13 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर 2018-19 (क्यूई) की अवधि के लिए आयात का संचयी मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान 343.34 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 386.65 बिलियन अमरीकी डालर था जो 12.61 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

अप्रैल से नवंबर 2018-19 के दौरान (अनंतिम) तेल के आयात का मूल्य 80.00 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो पूर्ववर्ती वर्ष की तद्नुरूपी अवधि में 52.58 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के तेल आयात की तुलना में 52.15 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल से नवंबर 2018-19 के दौरान (अनंतिम) तेल से इतर मदों के आयात का मूल्य 268.79 बिलियन अमरीकी था जो पूर्ववर्ती वर्ष में 248.73 बिलियन अमरीकी डालर के तेल से इतर मदों के आयात से 8.07 प्रतिशत अधिक है।

व्यापार संतुलन

अप्रैल से मार्च 2017-18 में व्यापार घाटा अनुमानित तौर पर 162.06 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 108.51 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे से अधिक है। अप्रैल से दिसंबर 2018-19 (क्यूई) की अवधि के लिए व्यापार घाटे का संचयी मूल्य 141.20 बिलियन अमरीकी डालर है, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2017-18 के दौरान इसका संचयी मूल्य 120.57 बिलियन अमरीकी डालर था

सारणी - क : **2008-09** से **2018-19** (अनंतिम) की अवधि के लिए व्यापार के आंकड़े						
(मूल्य करोड़ रुपए में)						
क्र. सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि का प्रतिशत	आयात	वृद्धि का प्रतिशत	व्यापार संतुलन
1	2008-2009 :	8,40,755	28.19	1,374,436	35.77	-5,33,680
2	2009-2010 :	8,45,534	0.57	13,63,736	-0.78	-5,18,202
3	2010-2011 :	11,36,964	34.47	16,83,467	23.45	-5,46,503
4	2011-2012 :	1,465,959	28.94	2,345,463	39.32	-8,79,504
5	2012-2013 :	16,34,318	11.48	26,69,162	13.8	-10,34,844
6	2013-2014 :	19,05,011	16.56	27,15,434	1.73	-8,10,423
7	2014-2015 :	18,96,348	-0.45	27,37,087	0.8	-8,40,738
8	2015-2016	17,16,384	-9.49	2,490,306	-9.02	-773,921
9	2016-2017	1,849,434	7.75	2,577,675	3.51	-728,242
10	2017-2018	1,956,515	5.79	3,001,033	16.42	-1,044,519
अप्रैल से दिसंबर 2017		1,436,614		2,214,371		-777,757
अप्रैल से दिसंबर 2018-19 (क्यूई)		1,711,906	19.16	2,697,307	21.81	-985,401

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

सारणी - ख : **2008-09 से 2018-19** (अनंतिम) की अवधि के लिए व्यापार के आंकड़े						
(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)						
क्र. सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि का प्रतिशत	आयात	वृद्धि का प्रतिशत	व्यापार संतुलन
1	2008-2009	185295	13.59	303696	20.68	-118401
2	2009-2010	178751	-3.53	288373	-5.05	-109621
3	2010-2011	249816	39.76	369769	28.23	-119954
4	2011-2012	305964	22.48	489319	32.33	-183356
5	2012-2013	300401	-1.82	490737	0.29	-190336
6	2013-2014	314405	4.66	450200	-8.26	-135794
7	2014-2015	310338	-1.29	448033	-0.48	-137695
8	2015-2016	262291	-15.48	381008	-14.96	-118717
9	2016-2017	275852	5.17	384357	0.88	-108505
10	2017-2018	303526	10.03	465581	21.13	-162055
अप्रैल से दिसंबर 2017		222,767		343,339		-120,572
अप्रैल से दिसंबर 2018-19 (क्यूई)		245,444	10.18	386,648	12.61	-141,203

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

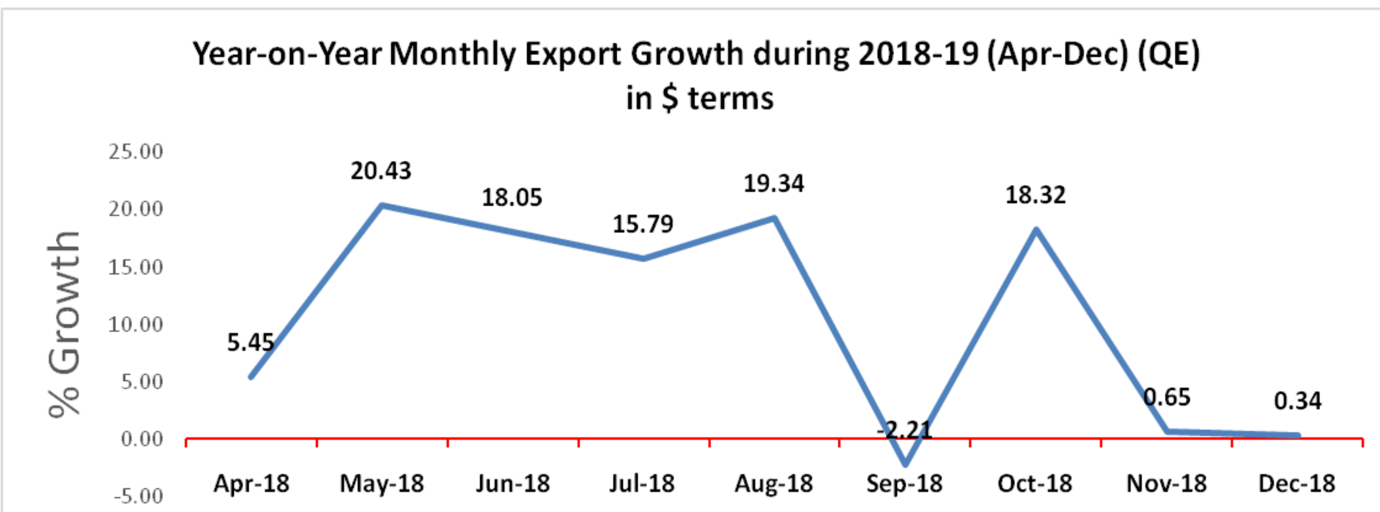

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात :

अप्रैल - नवंबर 2018-19 (अनंतिम) की अवधि के दौरान शीर्ष 10 वस्तुओं के निर्यात का शेयर 47.76 प्रतिशत था तथा विस्तृत योगदान नीचे पाई चार्ट में दिया गया है।

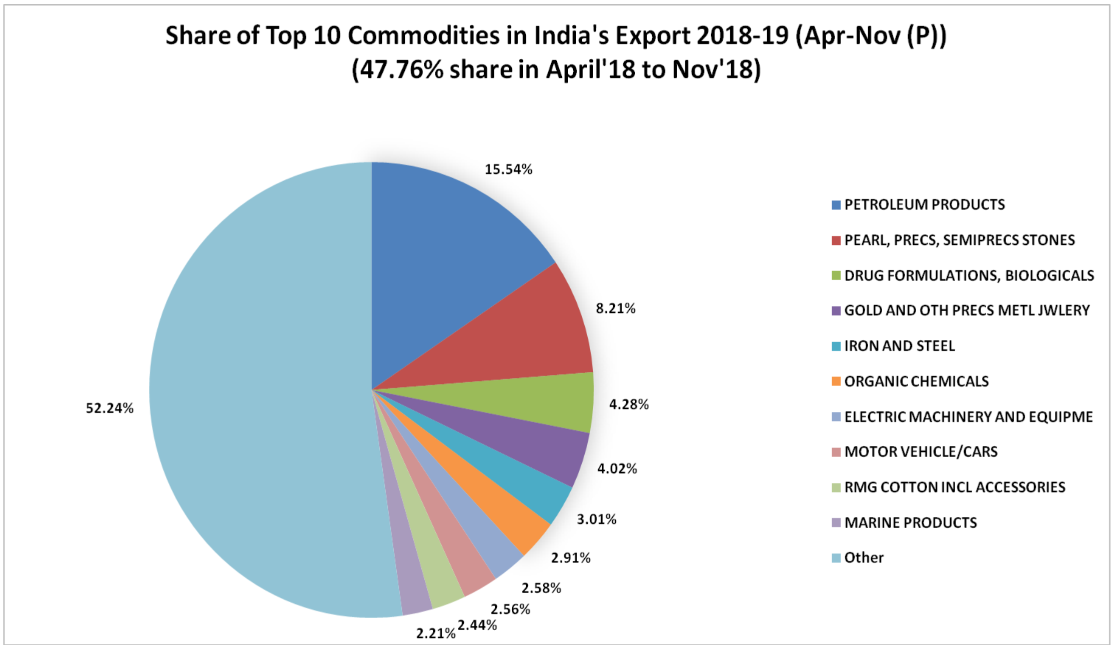

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल - नवंबर 2018-19 (अनंतिम) के दौरान शीर्ष 10 वस्तुओं का निर्यात निष्पादन (वृद्धि की दृष्टि से) नीचे दर्शाया गया है :

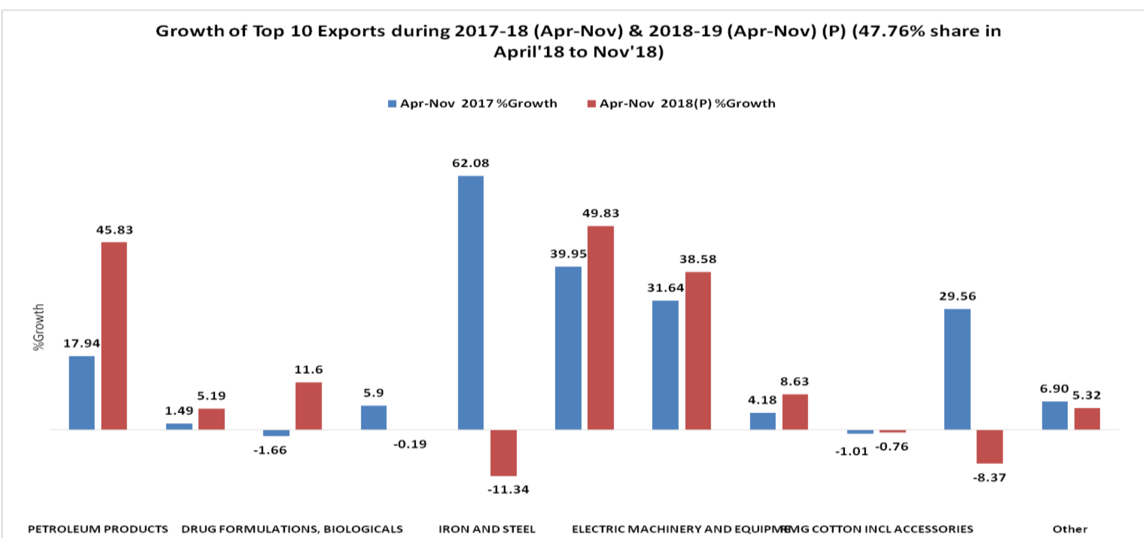

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

<u>प्रमुख वस्तुओं का आयात</u>

मुख्य रूप से पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम उत्पादों मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर तथा कोयला, कोक तथा ब्रिकेट आदि के अधिक आयात के कारण अप्रैल से नवंबर 2018 (अनंतिम) की अवधि के दौरान 10 प्रधान वस्तुओं के आयात का शेयर 58.94 प्रतिशत है।

अप्रैल - नवंबर 2018 (अनंतिम) के दौरान भारत के कुल आयात में शीर्ष 10 वस्तुओं का शेयर नीचे पाई चार्ट में दिया गया है :

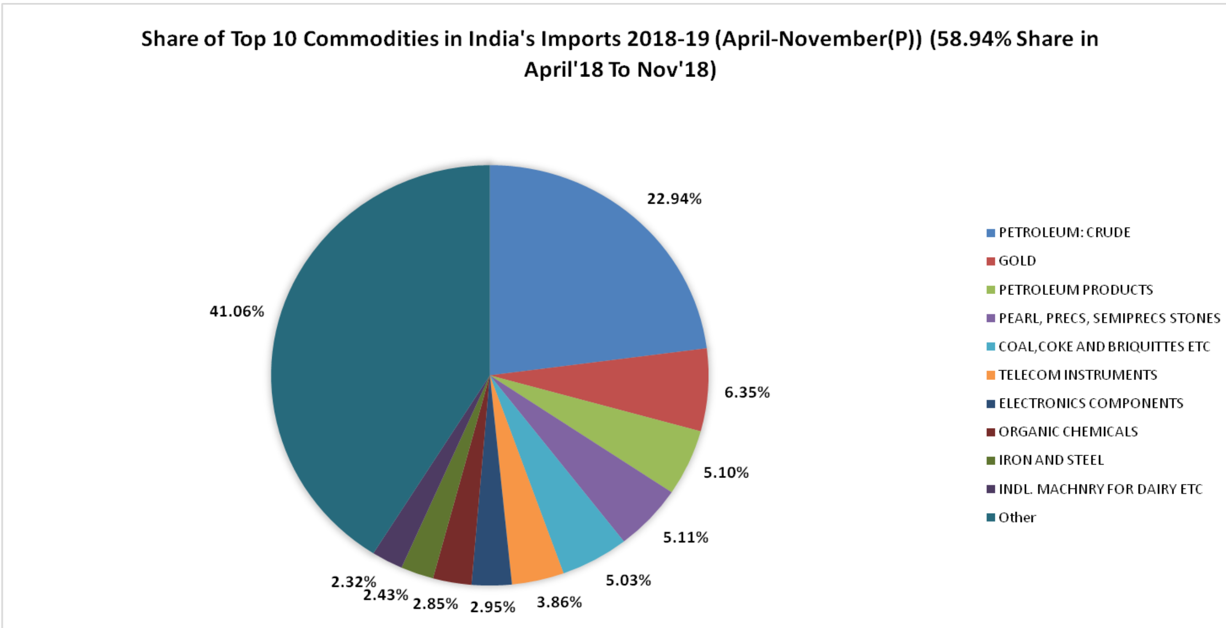

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल - नवंबर 2017-18 (अनंतिम) के दौरान शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं का आयात निष्पादन (वृद्धि की दृष्टि से) नीचे दर्शाया गया है :

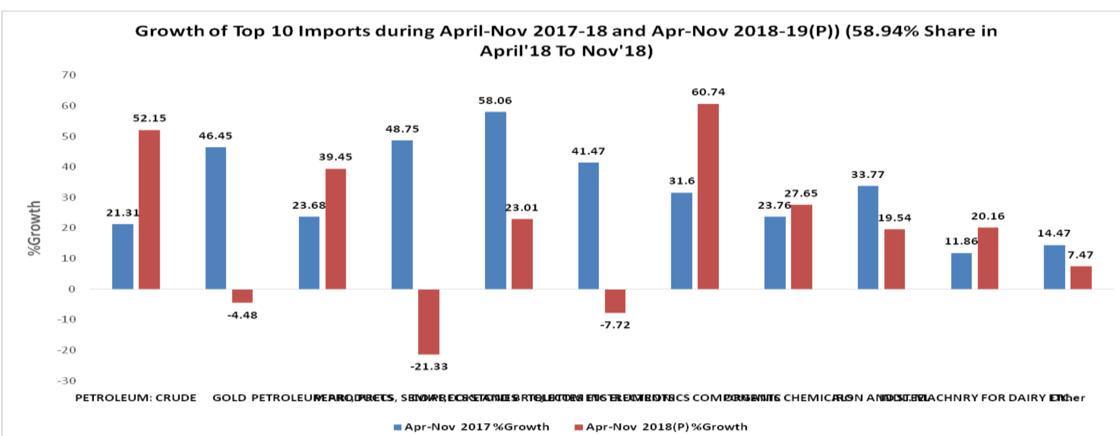

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

भारत के विदेश व्यापार की दिशा

अप्रैल - नवंबर 2018-19 (अनंतिम) के दौरान भारत के निर्यात के प्रमुख गंतव्यों तथा आयात के स्रोतों का शेयर नीचे पाई चार्ट में दिया गया है।

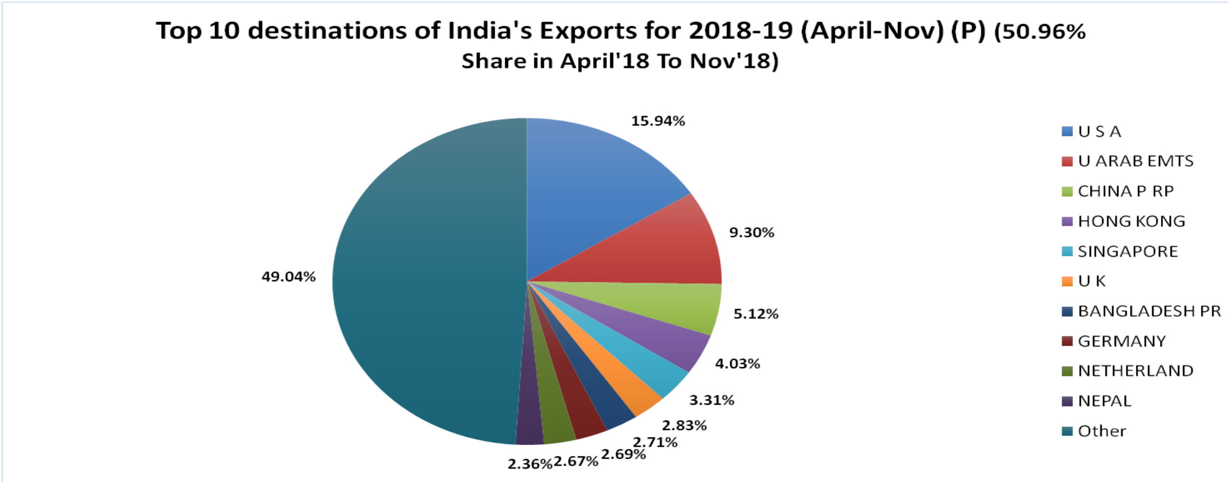

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

जहां तक निर्यात का संबंध है, अप्रैल से नवंबर 2018 (अनंतिम) की अवधि के दौरान यूएसए (15.94 प्रतिशत) निर्यात गंतव्य का सबसे महत्वपूर्ण देश रहा है जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (9.30 प्रतिशत), चीन लोक जनवादी गणराज्य (5.12 प्रतिशत), हांगकांग (4.03 प्रतिशत) और सिंगापुर (3.31 प्रतिशत) का स्थान है।

जहां तक आयात का संबंध है, अप्रैल से नवंबर 2018 (अनंतिम) की अवधि के दौरान, चीन लोक जनवादी गणराज्य का शेयर सबसे अधिक (16.49 प्रतिशत) था जिसके बाद यूएसए (5.62 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (4.86 प्रतिशत) सऊदी अरब (4.64 प्रतिशत), और स्विटजरलैंड (4.38 प्रतिशत) का स्थान है।

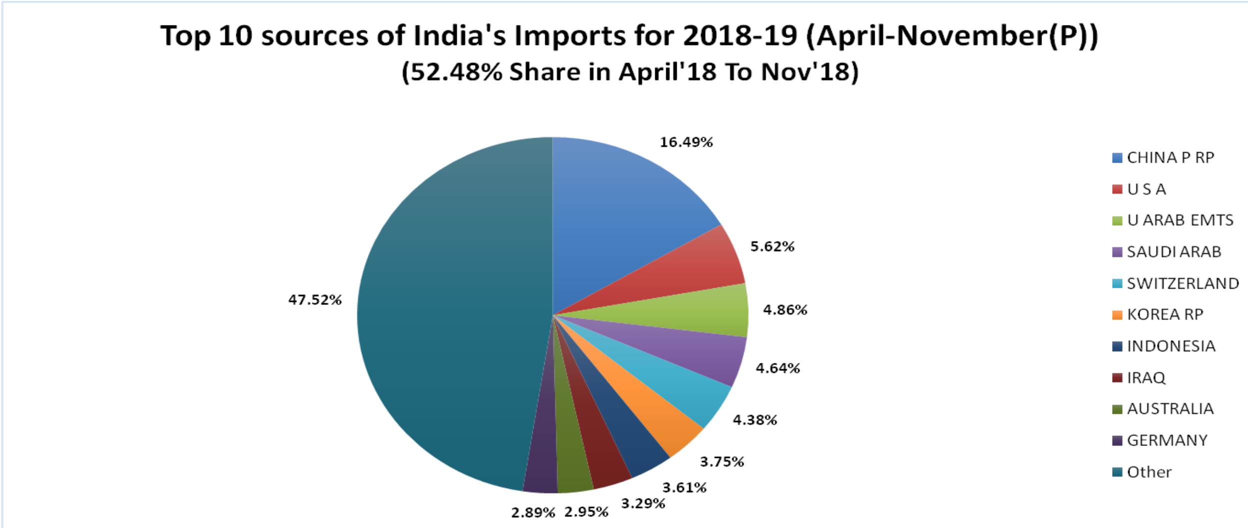

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

विदेश व्यापार नीति और आयात-निर्यात व्यापार

अध्याय 4 : विदेश व्यापार नीति तथा आयात निर्यात व्यापार

I. प्रस्तावना

1 अप्रैल 2015 को जारी की गई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 माल एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के विमोचन के साथ, एफटीपी

विवरण, प्रक्रिया हैंडबुक, परिशिष्ट तथा आयात - निर्यात फार्म भी 01 अप्रैल 2015 को जारी किए गए। प्रक्रियाओं का हैंडबुक विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ किसी निर्यातक या आयातक अथवा किसी लाइसेंसिंग / क्षेत्रीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करता है। इस प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं : -

(क) प्रक्रिया हैंडबुक
(ख) परिशिष्ट तथा आयात - निर्यात फार्म और
(ग) मानक इनपुट - आउटपुट मानदंड (एस आई ओ एन)

2015-2020 के लिए विदेश व्यापार नीति वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल करने हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद करके भारत के निर्यात बास्केट में विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए पण एवं सेवा व्यापार में विदेश व्यापार के लिए स्थिर एवं स्थायी नीति परिवेश प्रदान करने; निर्यात एवं आयात के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों को अन्य पहलों जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया तथा कारोबार करने की सरलता से जोड़ने का प्रयास करती है। अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विदेश व्यापार नीति ड्यूटी को नगण्य करने, प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों को पूरा करती है तथा अवसंरचनात्मक अदक्षताओं तथा निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात से जुड़ी संबद्ध लागतों को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य से भारत के निर्यात में तेजी लाने के लिए संवर्धनात्मक उपायों का प्रावधान करती है।

विदेश व्यापार नीति को जीएसटी के संगत प्रावधानों को शामिल करने के लिए उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया है।

II. विदेश व्यापार नीति 2015-20

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य में 2015 से 2020 की अवधि के लिए विजन, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है जो विदेश व्यापार नीति की नींव हैं। इसमें न केवल निर्यात संवर्धन के लिए अपितु व्यापार के संपूर्ण ईको सिस्टम में वृद्धि के लिए भी परिकल्पित बाजार एवं उत्पाद रणनीति तथा अपेक्षित उपायों का वर्णन किया गया है।

यह विदेश व्यापार के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं पर पहला व्यापक वक्तव्य है। विदेश व्यापार के निष्पादन में सुधार के लिए एक विस्तृत रूपरेखा विकसित करना आवश्यक है जो अनेक प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय की संभावना प्रदान करे। एफ टी पी वक्तव्य के माध्यम से विदेशी क्षेत्र पर समग्र सोच को व्यक्त किया गया है, सबसे पहले इसमें कुछ संरचनात्मक एवं संस्थानिक संस्थानों पर ध्यान देने के लिए सरकारी रणनीति का वर्णन किया गया है, जो विदेश व्यापार क्षेत्र के निष्पादन में सुधार के लिए प्रासंगिक हैं। दूसरा, इसमें बताया गया है कि किस तरह सरकार व्यापार साझेदारों के साथ व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण करार करेगी तथा भारतीय उद्यमों के लिए बेहतर कार्य करेगी। विदेश व्यापार नीति में 'समग्र सरकार का दृष्टिकोण' अपनाया गया है। एफ टी पी के माध्यम से सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में एक प्रमुख पथभंजक पहल शुरू की है जिसे विभाग को मुख्य धारा के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में ले जाना है।

विदेश व्यापार नीति में दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं अर्थात विनिर्दिष्ट बाजारों को विनिर्दिष्ट माल के निर्यात के लिए "भारत से पण निर्यात स्कीम (एम ई आई एस)" और अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए "भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)"।

भारत से पण निर्यात स्कीम (एमईआईएस)

1 अप्रैल 2015 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 में भारत से पण निर्यात स्कीम (एमईआईएस) शुरू की गई है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं / उत्पादों जिनका भारत में उत्पादन / विनिर्माण होता है, के निर्यात में शामिल अवसंरचनात्मक कमियों तथा संबद्ध लागतों को समायोजित करना है। यह योजना निर्यात के वसूले गए एफओबी मूल्य के 2, 3, 4, 5 और 7, 10 और 20 प्रतिशत की दर पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की दृष्टि से निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये स्क्रिप हस्तांतरणीय हैं तथा सीमा शुल्क सहित कतिपय केन्द्रीय शुल्कों / करों के भुगतान के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। योजना के तहत 8057 टैरिफ लाइनों के निर्यात शामिल हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एमईआईएस के लिए उपलब्ध कुल वार्षिक वित्तीय राशि 30,819.91 करोड़ रुपए है। 2018-19 में (26 नवंबर 2018 तक) प्रदान किए गए लाभों की कुल राशि लगभग 24901 करोड़ रुपए थी।

एमईआईएस के तहत ''व्यवसाय करने की सरलता'' के लिए की गई पहलें

- एमईआईएस सूची के अधिकांश एचएस कोड के लिए प्रणाली द्वारा अधिप्रमाणित तंत्र के तहत किसी मैनुअल हस्तक्षेप के बगैर एमईआईएस लाभ मंजूर करने के लिए आनलाइन ई-कॉम मॉड्यूल लांच किया गया तथा सितंबर 2018 से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इसके अलावा मॉड्यूल में एक सुविधा शामिल की गई है ताकि निर्यातक द्वारा प्राधिकार को ट्रैक किया जा सके।
- यादृच्छिक चयन के स्थान पर एमईआईएस के तहत एचएस कोड के आधार पर मामलों की छानबीन करने के लिए एक नई जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है तथा डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वयन के अधीन है।
- कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ कृषि उत्पादों जैसे कि बंगाल चना, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, सोया तेल रहित केक तथा बासमती से भिन्न चावल को वर्ष 2018-19 में सीमित अवधि के लिए एमईआईएस लाभ प्रदान किया गया है।

भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)

एसईआईएस के तहत, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं जो भारत से शेष विश्व को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो हस्तांतरणीय हैं तथा सीमा शुल्क सहित कतिपय केन्द्रीय शुल्कों / करों का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा में, इन सभी सेवाओं के लिए 1 नवंबर 2017 से निर्यात के लिए दरों में 2 प्रतिशत की और वृद्धि की गई है जिससे अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन की राशि 1140 करोड़ हो गई है। 2017-18 में एसईआईएस के लिए कुल वित्तीय राशि 2640 करोड़ रुपए है।

एसईआईएस योजना के तहत आवेदन करने हेतु निर्यातकों के लिए एक नया आवेदन पत्र सार्वजनिक नोटिस 15 दिनांक 28 जून 2018 के माध्यम से अधिसूचित किया गया जिसमें अनावश्यक फील्डों को समाप्त कर दिया गया है। नए आवेदन पत्र के आधार पर एसईआईएस के लिए आनलाइन मॉड्यूल भी लांच किया गया है तथा एएनएफ 3बी के तहत अपेक्षित सभी दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है।

निम्नलिखित सारणी 2017-18 तथा अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान स्क्रिप के मूल्यों तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी किए गए स्क्रिप का ब्यौरा दर्शाती है :

निर्यात संवर्धन की स्कीमें		**2017-18**	अप्रैल से नवंबर **2018**
भारत से पण निर्यात स्कीम (एमईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	2,18,402	1,98,344
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	25,994.22	25,350.90
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	9,78,286.29	8,22,056.99
भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)	स्क्रिप की संख्या	5,569	3,799
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,475.05	2,338.52
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	15,87,378.86	5,76,145.31

III. *पिछली विदेश व्यापार नीतियों के तहत निर्यात संवर्धन की अन्य स्कीमें*

स्क्रिप विभिन्न स्कीमों जैसे कि (i) फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस), (ii) फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस), (iii) विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (iv) वृद्धिमूलक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम, (v) भारत से सेवित स्कीम और (vi) स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) के तहत भी जारी की जाती है। निम्नलिखित सारणी में 2017-18 तथा अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान स्क्रिप के मूल्यों तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप का ब्यौरा दिया गया है :

निर्यात संवर्धन की स्कीमें		**2017-18**	अप्रैल से नवंबर **2018**
फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)	स्क्रिप की संख्या	2,044	654
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	163.92	59.95
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	4,951.61	1,786.70
फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस)	स्क्रिप की संख्या	6,142	2,230
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	371.79	293.00
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	15,985.10	14,565.38
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई)	स्क्रिप की संख्या	484	85
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	15.33	3.23

	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	331.04	73.13
भारत स्कीम से सेवित (एसएफआईएस)	स्क्रिप की संख्या	751	234
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	308.54	95.17
स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन स्क्रिप (सी एच आई एस)	स्क्रिप की संख्या	61	9
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	36.84	6.02
वृद्धिपरक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (आई ई आई एस)	स्क्रिप की संख्या	519	137
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	114.00	52.16

चित्र **4.1 2017-18** तथा अप्रैल से नवंबर **2018** के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप की संख्या को दर्शाता है।

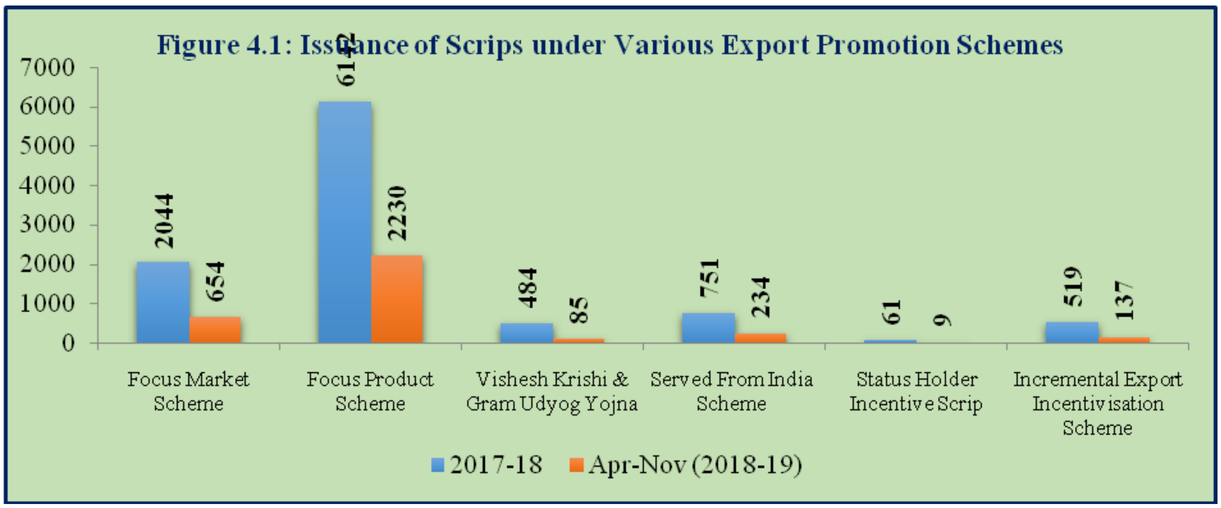

Figure 4.1: Issuance of Scrips under Various Export Promotion Schemes

चित्र **4.2 2017-18** तथा अप्रैल से नवंबर **2018** के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप के मूल्य को दर्शाता है।

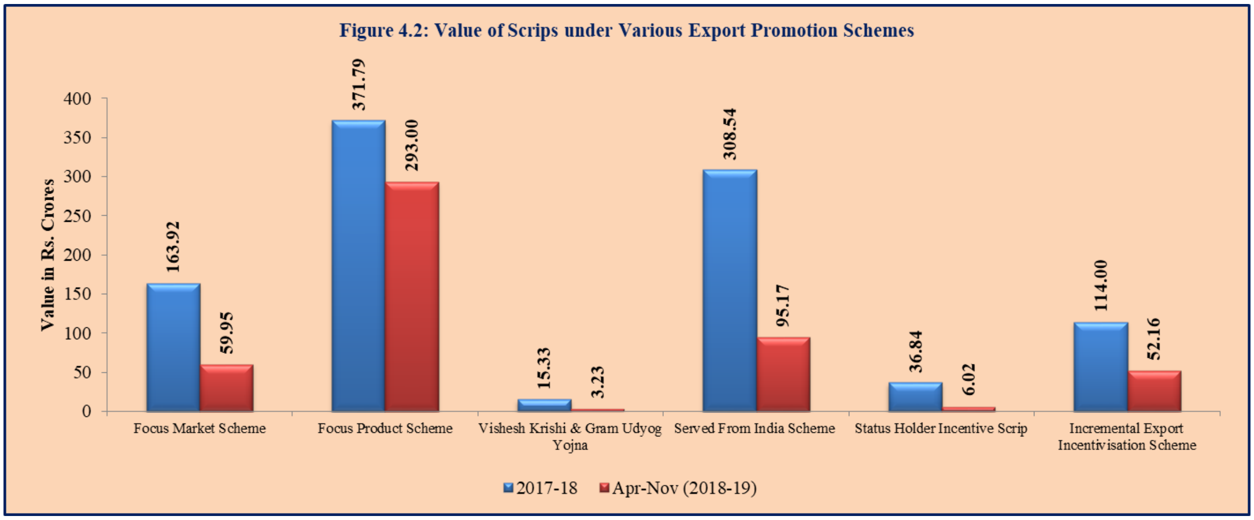

चित्र **4.3 2017-18** तथा अप्रैल से नवंबर **2018** के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाता है।

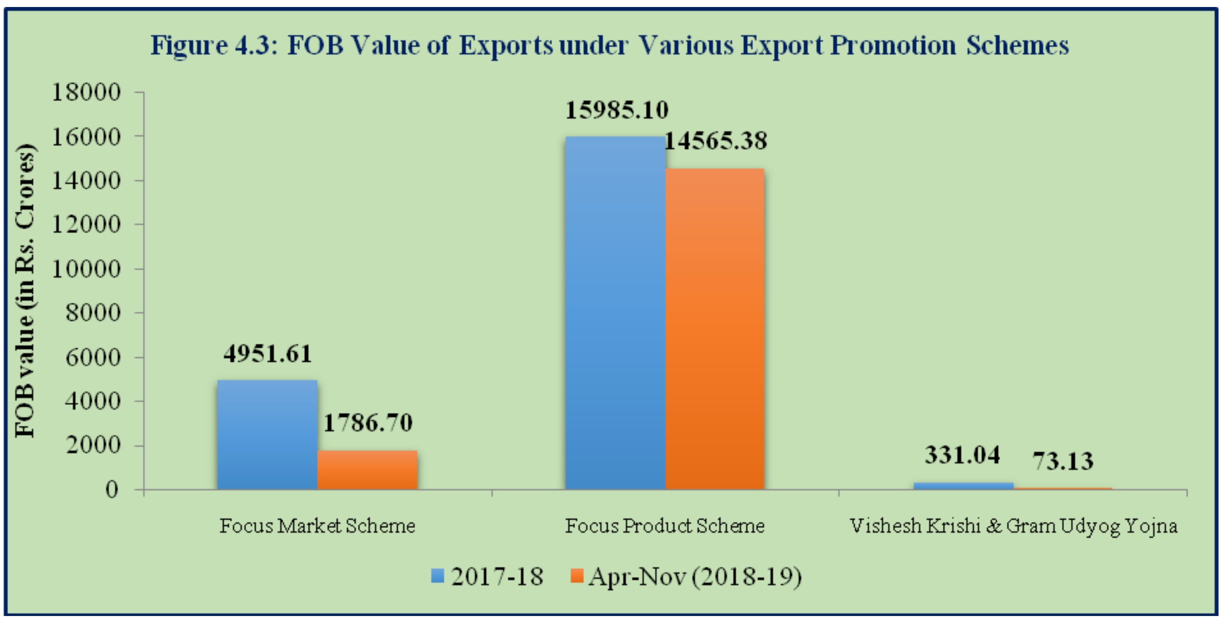

IV. शुल्क माफी की स्कीमें

शुल्क निष्प्रभावन / माफी की स्कीमें सरकार के इस सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं कि "सामानों और सेवाओं का निर्यात किया जाना है न कि करों और उगाहियों का"। इसका प्रयोजन यह है कि इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात / प्रापण की अनुमति दी जाए अथवा या तो प्रयुक्त इनपुट्स के लिए या प्रयुक्त इनपुट्स पर शुल्क घटक के लिए पुन:पूर्ति की अनुमति दी जाए। इन योजनाओं का संक्षिप्त नीचे दिया गया है:

अग्रिम प्राधिकार स्कीम

स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित इंधन, ऑयल, और कैटेलिस्ट आदि

के साथ इनपुट्स के ड्यूटी मुक्त निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। इनपुट्स की या तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मानकों (एस आई ओ एन) के अनुसार या वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अंतर्गत तदर्थ मानक आधार पर अनुमति दी जाती है। मानक तकनीकी समिति यानि मानक समिति द्वारा नियत किए जाते हैं। यह सुविधा वास्तविक निर्यातों (जिनमें एस ई जेड इकाईयों एवं एस ई जेड विकासकों को की जाने वाली आपूर्तियां भी शामिल हैं) और मध्यवर्ती आपूर्तियों सहित डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए उपलब्ध है। कतिपय मदों के सिवाय विहित न्यूनतम मूल्य वृद्धि 15 प्रतिशत है। निर्यातकों को एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, मात्रावार एवं मूल्यवार दोनों दृष्टियों से निर्यात बाध्यताएं पूरी करनी होती हैं। प्राधिकारों को इकट्ठा करने की सुविधाएं सरलीकृत की गईं और शक्तियां क्षेत्रीय प्राधिकरणों को विकेन्द्रित की गईं। विनिर्धारित शर्तों के पूरे होने की शर्त के अधीन कतिपय मदों, जो निर्यात किए जाने के लिए प्रतिबंधित थीं, के निर्यात की अनुमति, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत, प्रदान की गई है।

विदेश व्यापार नीति (2015-2020) में (i) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत सामान्य 18 माह के स्थान पर रक्षा, सैन्य स्टोर, एयरोस्पेस एवं परमाणु ऊर्जा की श्रेणी में आने वाली निर्यात की मदों के लिए 24 माह की लंबी निर्यात बाध्यता (ईओ) अवधि प्रदान की गई है। ऐसे सैन्य सामानों की सूची अलग से अधिसूचित की गई है जिनके लिए रक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। (ii) अग्रिम प्राधिकार के विरूद्ध आयात भी ट्रांजिश्नल उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय ड्यूटी से छूट के लिए पात्र होंगे। विदेश व्यापार नीति 2002-07 और विदेश व्यापार नीति 2004-09 के दौरान जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों को क्लब करने के लिए एकबारगी छूट दी जाती है। विदेश व्यापार नीति 2002-07, विदेश व्यापार नीति 2004-09 के तहत जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों तथा विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत 5 जून 2012 से पूर्व जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों की निर्यात बाध्यता अवधि बढ़ाने के लिए एकबारगी छूट प्रदान की जाती है। 31 मार्च 2018 को या इससे पहले संबंधित आरए में निर्यात बाध्यता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध दाखिल करने की आवश्यकता थी।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.07 (क) में प्रदान की गई स्वयं पुष्टि योजना के अनुपालन में, योजना का लाभ लेने के लिए विस्तृत प्रक्रिया को पैरा 4.07 (क) - पुष्टि योजना के रूप में एचबीपी 2015-2018 में शामिल किया गया है। वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार भी जारी किया जा सकता है जहां परिणामी उत्पाद के लिए तदर्थ मानदंड मौजूद हैं। आयात से पहले किए गए निर्यात जहां प्राकृतिक रबर एवं सिल्क के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार जारी किया गया है, के लिए ईओडीसी के नियमितीकरण एवं निर्गम के लिए परिशिष्ट 30क तथा परिशिष्ट 4जे की शर्तों में एकबारगी छूट प्रदान की गई है।

ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए)

1 मई, 2006 से क्रियाशील ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के तहत ऐसे उत्पादों के लिए निर्यात पश्चात आधार पर ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार जारी किए जाएंगे जिनके लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) अधिसूचित किए गए हैं, जब निर्यात पूरा हो जाएगा। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निर्यात के पूरा हो जाने के बाद एसआईओएन के अनुसार प्राधिकार या आयातित इनपुट्स के अंतरण को सुगम बनाना है। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के उपबंध अग्रिम प्राधिकार स्कीम के सदृश हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 20 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य वृद्धि अपेक्षित है। जिन मदों के लिए परिशिष्ट में अग्रिम प्राधिकार के तहत अधिक मूल्य वृद्धि निर्धारित की गई है, उनके लिए भी वही मूल्य वृद्धि लागू होगी जो ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार के लिए लागू है। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में निर्यात पूर्व ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार को बंद कर दिया गया है।

डीएफआईए के तहत सफेद चीनी के निर्यात को 30 सितंबर 2018 तक एसआईओएन - ई 52 के तहत अनुमत किया गया है तथा ऐसे मामलों में डीएफआईए केवल 1 अक्टूबर 2019 को या इसके बाद जारी किया जाएगा। ऐसे डीएफआईए

30 सितंबर 2021 तक आयात के लिए मान्य होंगे।

रत्नों एवं आभूषण क्षेत्र के लिए स्कीमें

हमारे कुल वस्तु निर्यात में रत्न एवं आभूषण के निर्यात का हिस्सा बहुत बड़ा है। यह एक रोजगार उन्मुख क्षेत्र है। वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से इस क्षेत्र से होने वाले निर्यातों में काफी गिरावट आई है।

नामित एजेंसियों से या तो अग्रिम में या पुन:पूर्ति के रूप में बहुमूल्य धातु (सोना / चांदी / प्लेटिनम) के ड्यूटी मुक्त आयात / प्रापण की अनुमति दी गई है। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए लागू स्कीमें इस प्रकार हैं :

- नामित एजेंसियों से बहुमूल्य धातुओं का अग्रिम प्रापण भराई
- रत्नों के लिए भराई प्राधिकार
- उपभोज्य वस्तुओं के लिए भराई प्राधिकार
- बहुमूल्य धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार

उद्योग द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए पोस्ट, पुश बैक, लॉक जैसे निष्कर्षों जो 3 कैरट तथा अधिक परंतु अधिकतम 22 कैरट के गोल्ड वाले आभूषण के नगों को एकसाथ मिलाने में मदद करते हैं, को भी ड्यूटी मुक्त योजना के तहत अनुमत किया गया है।

शुल्क माफी की स्कीमों के तहत प्राधिकार जारी किया जाना

विभिन्न स्कीमों अर्थात अग्रिम प्राधिकार, ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) तथा भराई लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण) के तहत प्राधिकार जारी किए जाते हैं। 2017-18 तथा अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या, आयातों के सी आई एफ मूल्य तथा निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है

शुल्क माफी की स्कीमें		2017-18	अप्रैल - नवंबर 2018
अग्रिम प्राधिकार	प्राधिकारों की संख्या	21,505	15,241
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	1,79,242.63	1,29,269.06
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,00,914.89	2,55,052.64
ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए)	प्राधिकारों की संख्या	815	870
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	2,246.90	2,551.22
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,047.40	4,247.98
पुन:पूर्ति लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण)	प्राधिकारों की संख्या	63	78
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	59.22	58.15

	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	667.68	960.02

चित्र **4.4 2017-18** तथा अप्रैल से नवंबर **2018** के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या को दर्शाता है।

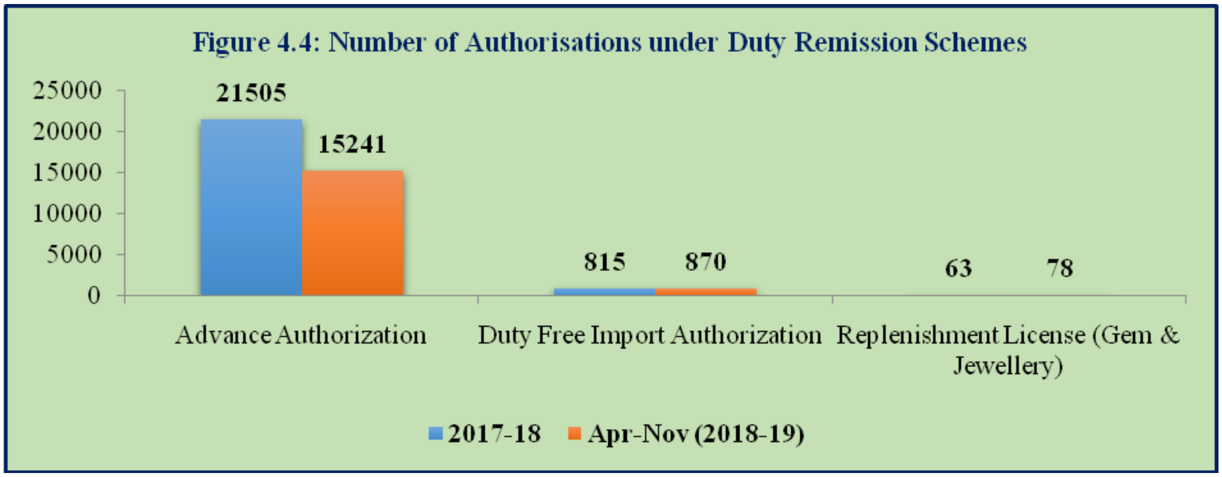

चित्र **4.5 2017-18** तथा अप्रैल से नवंबर **2018** के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत आयात के सीआईएफ मूल्य को दर्शाता है।

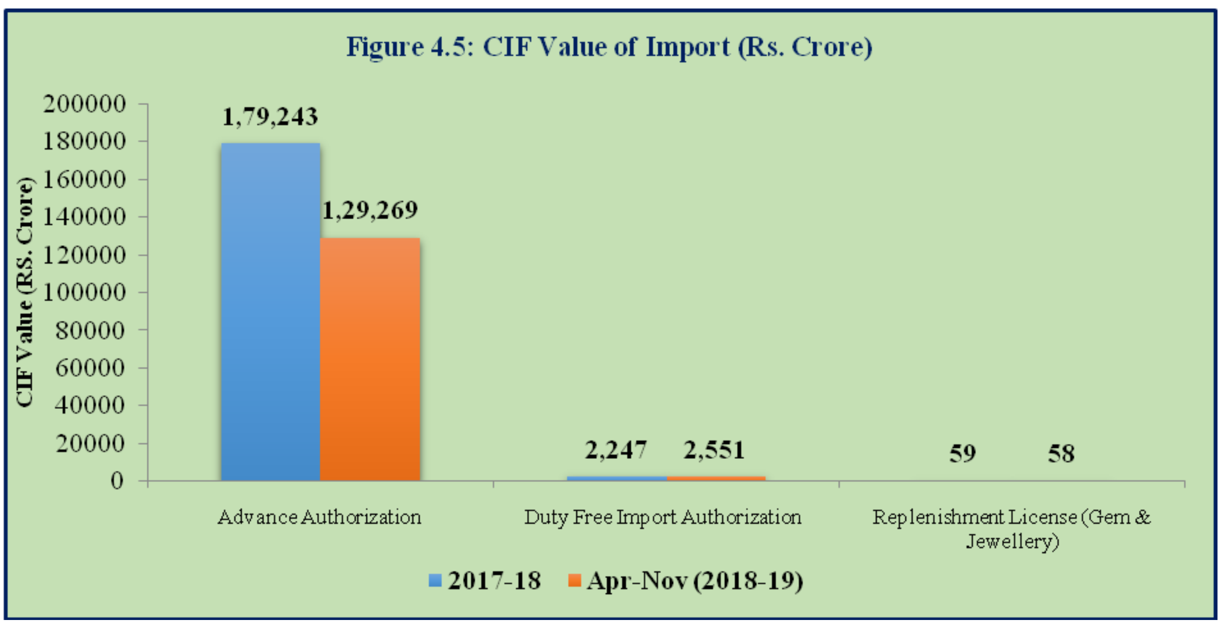

चित्र **4.6 2017-18** तथा अप्रैल से नवंबर **2017** के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाता है।

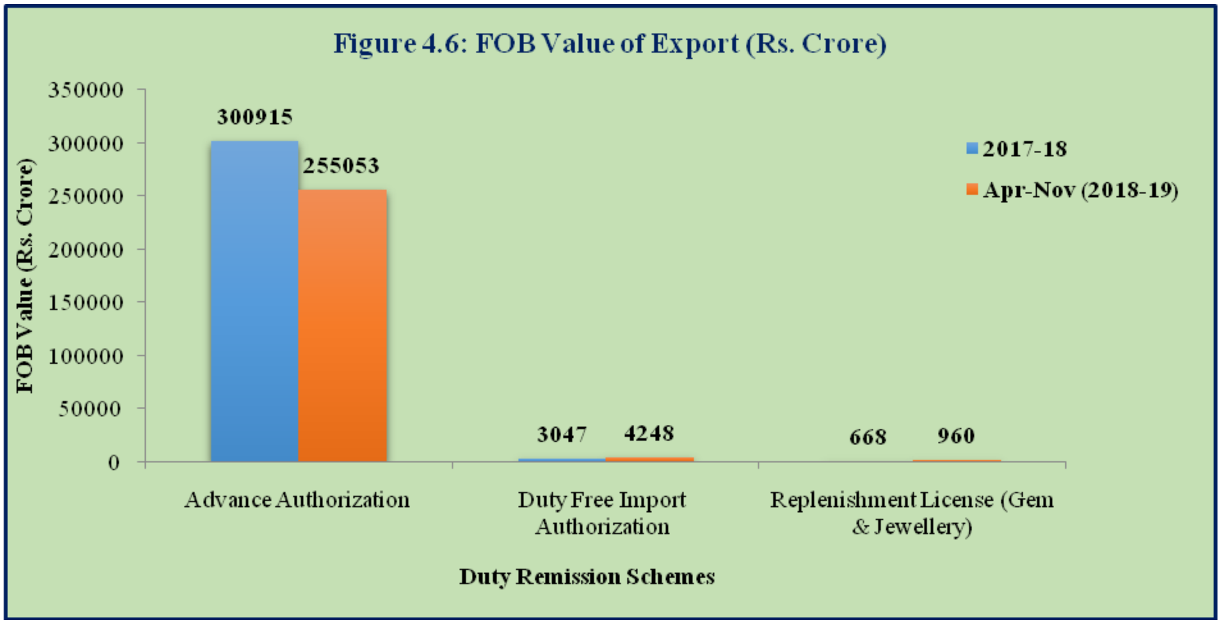

चित्र **4.7** अप्रैल से नवंबर **2018** के दौरान जारी किए गए स्क्रिपों की कुल संख्या में विभिन्न स्कीमों के शेयर को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अप्रैल से नवंबर **2018** के दौरान जारी किए गए कुल स्क्रिप में एमईआईएस के तहत जारी किए गए स्क्रिप का शेयर सबसे अधिक अर्थात **96.52** प्रतिशत था।

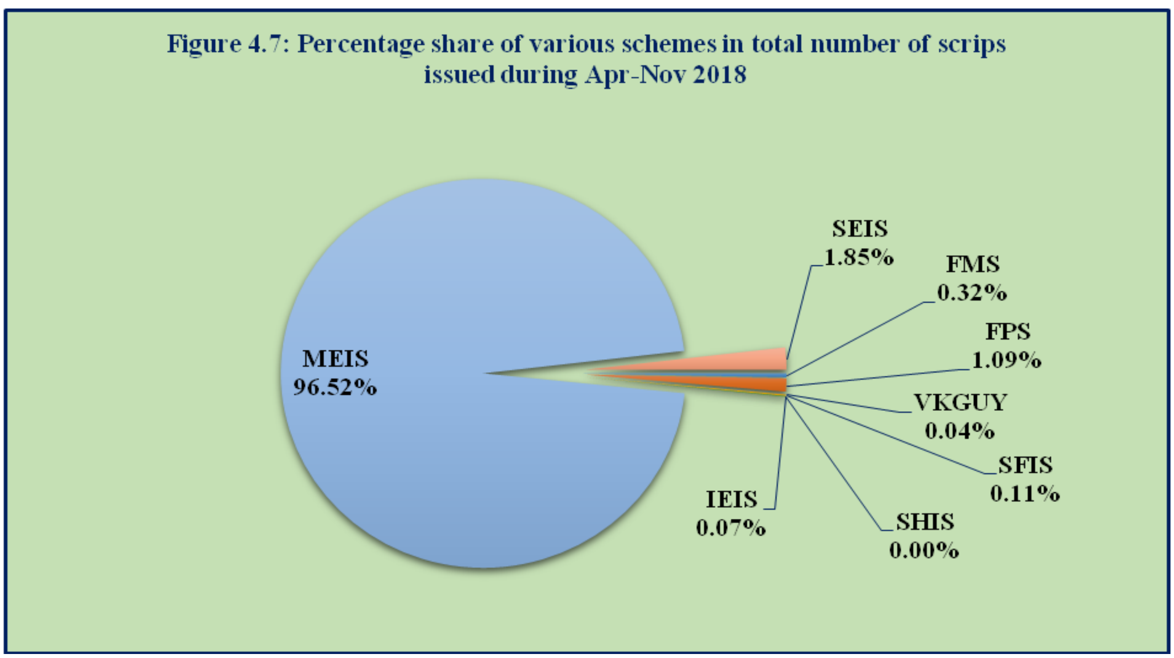

V. पूंजी माल निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) स्कीम

पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम का उद्देश्य भारत की निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए कोटिपरक माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजी माल के आयात को सुगम बनाना है। ईपीसीजी स्कीम जीरो कस्टम ड्यूटी पर पूंजी माल के आयात की अनुमति प्रदान करती है परंतु प्राधिकार के जारी होने की तिथि से परिगणित 6 साल की अवधि में पूंजी माल पर बचाए गए शुल्क, कर और उपकर के 6 गुने के समतुल्य निर्यात करने की शर्त को पूरा करना होगा।

(क) पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के लिए पूंजी माल के आयात को अनुमति प्रदान करती है। भौतिक निर्यातों के लिए ईपीसीजी प्राधिकार के तहत आयातित पूंजी माल को केवल 31 मार्च 2019 तक आईजीएसटी तथा क्षतिपूर्ति उपकर से भी छूट प्रदान की गई है, जो राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में प्रावधान के अनुसार कस्टम टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 20 की क्रमशः उपधारा 7 और उपधारा 9 के तहत लगाए जा सकते हैं। विकल्प के तौर पर, प्राधिकार धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.07 के प्रावधानों के अनुसरण में देशज स्रोतों से भी पूंजी माल का प्रापण कर सकते हैं।

(ख) पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा परियोजना आयात के लिए पूंजी माल का आयात भी अनुमत है।

(ग) प्राधिकार जारी होने की तिथि से 24 माह के लिए आयात के लिए मान्य है। ई पी सी जी प्राधिकार की पुनः वैधता अनुमत नहीं होगी।

(घ) पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सेकेंड हैंड पूंजी माल के आयात की अनुमति नहीं है।

(ङ) ईपीसीजी योजना के तहत विशिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे पूंजी माल की सूची सार्वजनिक नोटिस संख्या 47/2015-20 दिनांक 6 दिसंबर 2018 के माध्यम से अधिसूचित की गई है जो आयात के लिए अनुमत नहीं हैं / अनुमत हैं।

(च) इस स्कीम में प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 5.13 के अनुसार कतिपय विनिर्दिष्ट सेक्टरों/उत्पादों के सिवाय समग्र निर्यात बाध्यता अवधि, जिसमें विस्तारित अवधि भी शामिल है, के भीतर उसी और सदृश उत्पादों के लिए पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातक द्वारा हासिल किए गए निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखना भी अपेक्षित है।

(छ) ई पी सी जी स्कीम के कार्य क्षेत्र को ऐसे सेवा प्रदाताओं पर भी लागू किया गया है जो डी जी एफ टी, वाणिज्य विभाग या राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा निर्यात उत्कृष्टता के किसी टाउन में सामान्य सेवा प्रदाता (सी एस पी) के रूप में नामित / प्रमाणित है, बशर्ते विदेश व्यापार नीति 2015-20 / प्रक्रिया हैंडबुक (2015-20) की निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन हो :

(i) *सामान्य सेवा प्रदाता की निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए गणना की जाने वाली सामान्य सेवा के प्रयोक्ताओं द्वारा निर्यात के तहत संबंधित लदान बिल में सामान्य सेवा प्रदाता के ई पी सी जी प्राधिकार के ब्यौरे होंगे तथा आरए को ऐसे निर्यात से पूर्व प्रयोक्ताओं के ब्यौरों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए;*

(ii) *ऐसे निर्यात को सी एस पी / प्रयोक्ता के ई पी सी जी के अन्य प्राधिकारों के संबंध में विशिष्ट निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा; और*

(iii) *प्राधिकार धारक से बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी जो बचाई गई ड्यूटी के*

समतुल्य होगी। बैंक गारंटी सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा या सामान्य सेवा प्रदाता के विकल्प पर किसी भी प्रयोक्ता या उनके संयोजन द्वारा प्रदान की जा सकती है।

(iv) *विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 5.02 (ख) में निर्यात उत्कृष्टता के टाउन में विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग या राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता (सी एस पी) नामित / प्रमाणित करने के लिए दिशानिर्देश।*

(ज) ई पी सी जी लाइसेंस का धारण करने वाला व्यक्ति किसी घरेलू विनिर्माता से पूंजी माल प्राप्त कर सकता है। ऐसे घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत समवत निर्यात लाभ के लिए तथा ऐसे लाभों के लिए पात्र होंगे जो समवत निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत जीएसटी नियमावली के तहत प्रदान किया जा सकता है। ऐसा घरेलू स्रोतन निर्यात उन्मुख यूनिटों से भी अनुमत होगा तथा इन आपूर्तियों को विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.09 (क) के प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्यात उन्मुख यूनिट द्वारा सकारात्मक एन एफ ई की पूर्ति के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(झ) प्राधिकार धारक आयात के पूरा होने की तिथि से 6 माह के अंदर संबंधित आरए को प्राधिकार धारक के विकल्प पर क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क प्राधिकारी अथवा किसी स्वतंत्र सनदी इंजीनियर से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि प्राधिकार धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के कारखाने / परिसर में पूंजी माल को संस्थापित किया गया है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उक्त अवधि को 5000 रुपए के संरचना शुल्क के साथ आरए 12 माह की अधिकतम अवधि तक एकबारगी समय विस्तार प्रदान कर सकता है। जहां प्राधिकार धारक स्वतंत्र सनदी इंजीनियर के प्रमाण पत्र का विकल्प चुनता है, तो वह सूचना / रिकार्ड के रूप में क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाण पत्र की प्रति भेजेगा। प्राधिकार धारक को निर्यात बाध्यता की संपूर्ण अवधि के दौरान शिफ्टिंग के 6 माह के अंदर संबंधित आरए को नया इंस्टालेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन प्राधिकारक धारक के आईसी तथा आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य यूनिटों में पूंजी माल को शिफ्ट करने की अनुमति होगी।

(ञ) स्पेयर के आयात के मामले में प्राधिकार धारक द्वारा आयात की तिथि से तीन साल के अंदर संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(ट) आयात के लिए एच बी पी के पैरा 4.37 के अनुसार ई पी सी जी प्राधिकार पंजीकरण के एकल बंदरगाह के साथ जारी किया जाता है। तथापि, निर्यात एच बी पी के पैरा 4.37 में निर्दिष्ट किसी भी बंदरगाह से किया जा सकता है।

(ड) ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता सामान्य निर्यात बाध्यता का 75 प्रतिशत होगी, जैसा कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 में उल्लिखित है। ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों की सूची एच बी पी 2015-20 के पैरा 5.29 में दी गई है।

(ढ) जम्मू और कश्मीर, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित इकाईयों के लिए विनिर्दिष्ट ईओ, ईओ का 25 प्रतिशत होगा जैसाकि एफ टी पी के पैरा 5.01 में विनिर्धारित है।

(ण) पूंजी माल का आयात निर्यात बाध्यता के पूरे हो जाने तक वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन होता है।

निर्यात उपरांत ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) निर्यातक इस योजना के विकल्प का चयन करके संबंधित आरए के पास एएनएफ5ए

में आवेदन दाखिल करके इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। निर्यातक द्वारा पूंजी माल के आयात के समय सभी लागू शुल्कों का भुगतान नकद रूप में किया जाएगा। आरए निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए प्राधिकार जारी करेगा :

(i) प्राधिकार के ढांचे पर "आयात के लिए नहीं"

(ii) औसत ईओ, यदि कोई हो

(iii) लागू विशिष्ट ईओ के 85 प्रतिशत की दर से विशिष्ट ईओ, जिसकी गणना इस रूप में की जाएगी कि आयात में ड्यूटी छूट का लाभ लेना है, और

(iv) ईओपी, जो प्राधिकार जारी किए जाने की तिथि से आरंभ होगा

ईपीसीजी प्राधिकारों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

पूंजी माल निर्यात संवर्धन योजना के तहत जारी किए गए प्राधिकार		
ईपीसीजी स्कीम	**2017-18**	अप्रैल से नवंबर **2018**
प्राधिकारों की संख्या	15,406	8,662
ड्यूटी के रूप में बचाई गई राशि (करोड़ रु)	11,839.18	10,677.65
निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	73,051.20	65,248.47

चित्र 4.8 2017-18 तथा अप्रैल से सितंबर 2018 के दौरान बचाई गई ड्यूटी की राशि तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या को दर्शाता है।

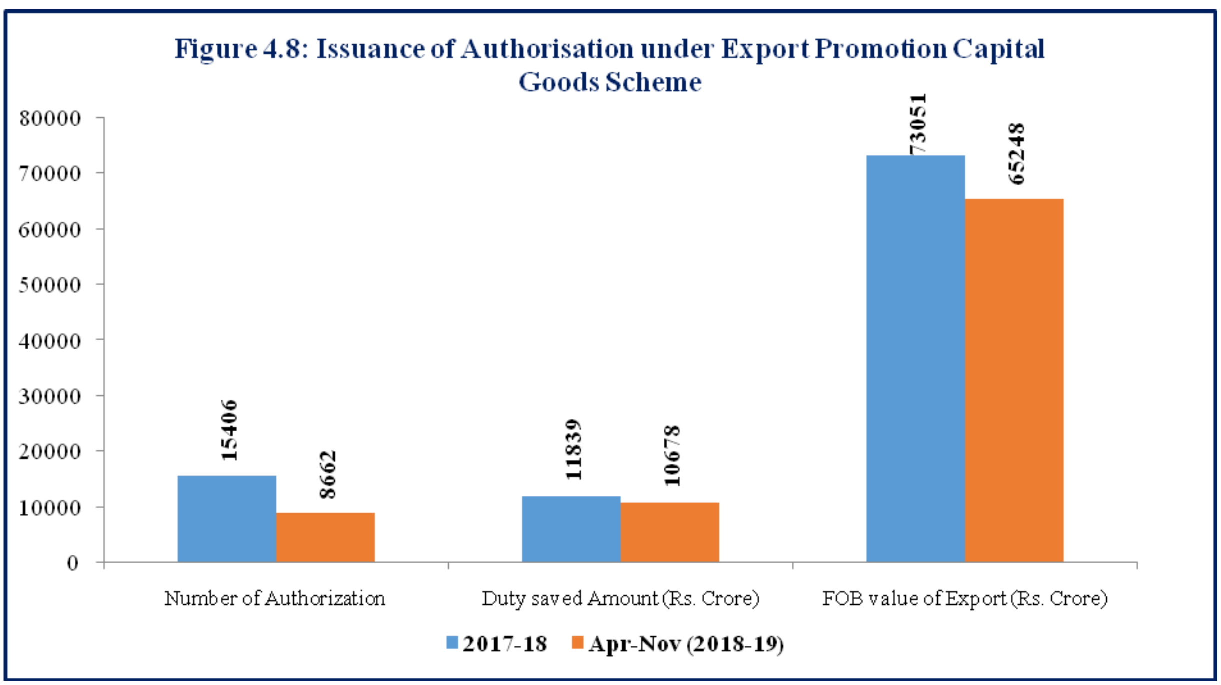

VI लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना

लदान पूर्व एवं रुपए निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) सरकार की ओर से आरबीआई के माध्यम से डीजीएफटी चलाई जा रही है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई और 5 साल की अवधि के लिए है। इस योजना के तहत चिह्नित 416 चार डिजिट टैरिफ लाइन में निर्यातों के लिए पात्र निर्यातकों के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज समानीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विनिर्माता निर्यातक तथा उनके सभी वस्तु निर्यात में सभी एमएसएमई निर्यातक शामिल हैं। इस प्रकार बैंक लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट के रूप में पात्र निर्यातकों को ऋण प्रदान करते हैं तथा ब्याज समानीकरण योजना के तहत शामिल निर्यातकों के संबंध में ब्याज की दर में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कटौती की गई है। इससे चिन्हित निर्यात क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनने तथा उच्च स्तर का निर्यात निष्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है। 2017-18 के दौरान इस योजना के तहत ब्याज छूट प्रदान करने के लिए 2752 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया।

VII. स्टेटस होल्डर की मान्यता

माल, सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक जिनके पास आयातक - निर्यातक कोड (आईसी) नंबर है, स्टेटस होल्डर के रूप में मान्यता के लिए पात्र हैं, जो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को छोड़कर वर्तमान वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के निर्यात निष्पादन पर निर्भर होता है। वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस प्राप्त करने के लिए पार की जाने वाली दहलीज की वर्तमान सीमा चालू वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों में तीन मिलियन अमरीकी डालर है। नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 में संबंधित एजेंसियों द्वारा स्टेटस होल्डर के कंसाइनमेंट की हैंडलिंग में कतिपय विशेषाधिकारों एवं तरजीही व्यवहार तथा प्राथमिकता का प्रावधान है। इसके अलावा, स्टेटस धारकों को अग्रिम प्राधिकार जारी करने तथा बाद में इसके किसी संशोधन के लिए 4 एवं 5 स्टार स्टेटस धारकों के लिए एक दिन और 1, 2 एवं 3 स्टार स्टेटस धारकों के लिए दो दिन की संक्षिप्त समय सीमा क्षेत्रीय प्राधिकारियों के लिए निर्धारित की गई है।

जो विनिर्माता स्टेटस धारक भी हैं उनको भारत से उद्गम के रूप में अपने विनिर्मित माल को स्वयं प्रमाणित करने के लिए समर्थ बनाया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न तरजीही व्यापार करारों (पी टी ए), मुक्त व्यापार करारों (एफ टी ए), व्यापक आर्थिक सहयोग करारों (सी ई सी ए) और व्यापक आर्थिक साझेदारी करारों (सी ई पी ए), जो प्रचालन में हैं, के तहत तरजीही व्यवहार के लिए अर्हक होना है। 1507 आईईसी धारक हैं जिन्हें 2017-18 के दौरान वन स्टार तथा इससे अधिक स्टार वाले स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।

VIII. निर्यात बंधु स्कीम

भारत सरकार ने अपनी विदेश व्यापार नीति के अंग के रूप में 13 अक्टूबर 2011 को निर्यात बंधु स्कीम की संकल्पना तैयार की थी जिसे पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सलाह देने के लिए एक नई योजना के रूप में विदेश व्यापार नीति 2009-14 में शामिल किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य नए एवं संभावित निर्यातकों तक पहुंचना और प्रबोधन कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों तथा व्यक्तिगत सुगमता के माध्यम से उनको परामर्श प्रदान करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कदम रख सकें और डीजीएफटी अधिकारियों के समय से एवं उपयुक्त मार्गदर्शन के माध्यम से भारत से निर्यात को प्रोत्साहित कर सकें।

वर्ष 2018-19 के लिए निधियों का कुल आवंटन 100 लाख रुपए था जिसमें से 50.47 लाख रुपए 19 दिसंबर 2018 तक विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों को आवंटित किए गए हैं। अब तक निर्यात बंधु योजना के सी1 (नए आईईसी होल्डर), सी2 (उत्कृष्टता का कस्बा / औद्योगिक क्लस्टर) और सी3 (व्यवसाय विद्यालयों / विश्वविद्यालयों में सेमिनार) के तहत संचालित कार्यक्रमों में 3843 व्यक्तियों ने भाग लिया है।

IX विदेश व्यापार महानिदेशालय में नई पहलें

डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली विभाग के साथ निर्यात एवं आयात समुदाय के विभिन्न इंटरफेस

में उनकी सहायता करती है। डीजीएफटी ने आईईसी, विदेश व्यापार नीति की विभिन्न योजनाओं, विशिष्ट आयात एवं निर्यात प्राधिकार आदि के लिए आवेदन करने के लिए एक सुरक्षित ईडीआई एवं आईटी प्रणाली स्थापित की है। इसने अन्य प्रशासनिक विभागों अर्थात सीमा शुल्क, बैंक, सीबीडीटी तथा ईपीसी के साथ डाटा विनिमय तंत्र स्थापित किए हैं।

2. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान डीजीएफटी द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं : -

(i) आईईसी के आटोमेटिक निर्गम का कार्यान्वयन।
(ii) शिकायतों / शंकाओं / सुझावों के लिए टिकट एवं प्रबंध प्रणाली 'Contact@DGFT' का कार्यान्वयन।
(iii) इलेक्ट्रानिक शुल्क भुगतान के लिए ई-एमपीएस का कार्यान्वयन।
(iv) सीएमएफ आधारित नए डीजीएफटी पोर्टल का शुभारंभ।
(v) एमईआईएस स्क्रिप का आटोमेटिक निर्गम।
(vi) 2017-18 के लिए एसईआईएस मॉड्यूल का कार्यान्वयन
(vii) विलंब को कम करने के लिए डीजीएफटी (मुख्यालय) से स्कोमेट लाइसेंस का केन्द्रीकृत निर्गम।
(viii) डीजीएफटी के लिए एंड्रायड तथा आईओएस आधारित मोबाइल ऐप्प का विकास।
(ix) आईईसी तथा एमईआईएस के आटोमेटिक निर्गम के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली।
(x) आइसगेट से प्राप्त शिपिंग के लिए शिपिंग बिल व्यू फीचर।
(xi) निर्यातकों के लिए नार्म्स कमेटी स्टेटस के लिए सेंट्रलाइज्ड व्यू।
(xii) निर्गम एवं विलंब के लिए केंद्रीकृत रिपोर्ट।

3. इसके अलावा 5 दिसंबर 2017 को आयोजित विदेश व्यापार नीति 2015-20 की समीक्षा के दौरान सीएसटी / टीईडी / डीबीके के रिफंड से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा तद्नुसार अधिसूचित किया गया है। परिशिष्टों तथा आयात निर्यात फार्मों को अपडेट भी किया गया है तथा सार्वजनिक नोटिस संख्या 36/2015-20 और सार्वजनिक नोटिस संख्या 37/2015-20 दिनांक 4 सितंबर 2018 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

निर्यात संवर्धन तंत्र

अध्याय 5 : निर्यात संवर्धन तंत्र

अवसंरचना सहायता

राज्य प्रकोष्ठ :

राज्य प्रकोष्ठ "निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)" के माध्यम से निर्यात अवसंरचना के सृजन तथा निर्यात के संवर्धन में राज्यों के साथ भागीदारी का काम देखता है।

"निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)"

वित्त वर्ष 2017-18 से तीन साल की अवधि के लिए टीआईईएस योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात अवसंरचना में अंतरालों को पाटकर, संकेन्द्रित निर्यात अवसंरचना का सृजन करके, निर्यात उन्मुख परियोजनाओं के लिए पहले मील और आखिरी मील तक संपर्क का निर्माण करके और गुणवत्ता एवं प्रमाण पत्र के उपायों पर ध्यान देकर निर्यात की प्रतियोगितात्मकता बढ़ाना है। केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करके उनकी भागीदारी के माध्यम से निर्यात के विकास और प्रगति के लिए उपयुक्त अवसंरचना का सृजन करने पर मुख्य बल दिया जा रहा है। अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार की सहायता प्रदान की जाती है जो सामान्यतया कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निवेश की जा रही इक्विटी से अधिक नहीं होती है या परियोजना में कुल इक्विटी का 50 प्रतिशत होती है। (उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर सहित हिमालयन राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी के 80 प्रतिशत तक हो सकता है)।

200 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ योजना का कुल परिव्यय 600 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 80 करोड़ रूपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, 80 करोड़ रुपए में से 19.977 करोड़ रुपए की राशि 5 परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत / आवंटित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 15 निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए योजना के तहत संशोधित अनुमान में 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

तत्कालीन एएसआईडीई योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों का मानचित्रण :

टीआईईएस के तहत प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को परियोजना निगरारी एजेंसी (पीएमए) के रूप में तैनात किया गया है। विचारार्थ विषय के अनुसार पीएमए को तत्कालीन एएसआईडीई योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों का मानचित्रण करना है। अब तक, पीएमए द्वारा लगभग 139 परियोजनाओं के मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

राज्यों में निर्यात से संबंधित अवसंरचना अंतरालों का मानचित्रण :

पीडब्ल्यूसी के विचारार्थ विषयों में से एक राज्यों में निर्यात से संबंधित अवसंरचना अंतरालों का मानचित्रण करना था। इसके अंग के रूप में पीएमए चरण 1 में 6 राज्यों अर्थात गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और असम में निर्यात अवसंरचना अंतराल का मूल्यांकन कर रहा है।

निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों की अधिक भागीदारी के लिए कदम

1. व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद :

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद अधिसूचित की गई है जिसमें अवसंरचना एवं वित्त का काम देखने वाले केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के सचिवों तथा शीर्ष उद्योग संघों के अलावा सभी राज्यों के व्यापार एवं उद्योग मंत्री सदस्य हैं। परिषद की पहली और दूसरी बैठक क्रमश: 08 जनवरी 2016 और 05 जनवरी 2017 को बुलाई गई तथा परिषद की तीसरी बैठक दिसंबर 10 जनवरी 2019 को आयोजित करने

का प्रस्ताव है जिसमें सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र भाग लेंगे।

पहली और दूसरी तीसरी बैठक के दौरान राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबंधितों के साथ उठाया गया तथा उनके समाधान के लिए प्रयास किए गए। परिषद राष्ट्रीय व्यापार नीति पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए को मंच प्रदान करती है।

2. राज्य सरकारों तथा निर्यातकों के साथ संयुक्त बैठकें :

इस पहल के तहत वाणिज्य सचिव व्यापार से संबंधित आधारभूत सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता तथा अन्य मुद्दों पर राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिए वाणिज्य विभाग, डी जी एफ टी, सीमा शुल्क, कंकोर तथा संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करते हैं। वाणिज्य सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य से निर्यात पर डी जी सी आई एस डाटा, स्थानीय निर्यातकों / सी एच ए द्वारा उल्लिखित स्थानीय कराधान / लेवी से संबंधित मुद्दों, बिजली की उपलब्धता, रोड / रेल संपर्क आदि पर विचार विमर्श होता है। राज्य के निर्यात बासकेट पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय करारों के संभावित प्रभावों पर भी चर्चा होती है ताकि राज्य उद्योग के विकास की योजना बना सकें। चर्चा के दौरान राज्य विभिन्न अड़चनों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना के बारे में उल्लेख करते हैं।

सामान्य तौर पर राज्य सरकार के साथ इस बैठक से पहले या इसके बाद राज्य के निर्यातकों / फ्रेड फारवर्डरों / सी एच ए के साथ बैठक होती है। खुले सत्र में संभार तंत्रीय अड़चनों सहित निर्यातकों के समक्ष मौजूद अड़चनों पर चर्चा होती है। यह निर्यातक बिरादरी के एक बड़े वर्ग को वाणिज्य सचिव तथा स्थानीय विनियामक विभागों के प्रमुखों के साथ सीधे चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करती है ताकि वे अपने विस्तार की योजना बना सकें। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की यह पहल निर्यातकों को केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न विनियामक एजेंसियों के साथ अपनी वर्तमान समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक अंत:क्रियात्मक मंच प्रदान करती है। अंत:क्रियात्मक सत्रों में भागीदारी बहुत अधिक होती है क्योंकि राज्यों के निर्यातक विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस अनन्य मंच का प्रयोग करते हैं।

इसके अंग के रूप में वाणिज्य सचिव ने 2018-19 के दौरान तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु, असम और मेघालय में ऐसी संयुक्त बैठकों का आयोजन किया है। अन्य राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की संयुक्त बैठक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का पिछले वित्त वर्षों में दौरा किया गया।

3. राज्य विशिष्ट निर्यात रणनीतियां **:**

निर्यात की क्षमता वाली मदों का विकास करने और शिनाख्त करने तथा उनके संवर्धन के लिए राज्य विशिष्ट निर्यात रणनीतियां तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी निर्यात रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में जैविक खेती के संवर्धन, मानकों एवं प्रमाणन के संवर्धन, सेवा निर्यात के संवर्धन तथा निर्यात अवसंरचना एवं लाजिस्टिक्स में सुधार को शामिल करें।

राज्य सरकारों द्वारा निर्यात रणनीति के विकास की स्थिति :

अब तक 17 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, असम, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, पुड्डूचेरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, चंडीगढ़, ओडिशा की निर्यात रणनीतियां तैयार हो गई हैं। इस विभाग की एमएआई योजना के तहत एफआईईओ द्वारा 8 और राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा, उत्तराखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना की निर्यात रणनीति तैयार की जा रही है। राजस्थान अपने दम पर अपनी निर्यात

रणनीति तैयार कर रहा है। शेष राज्यों में से कुछ राज्यों ने निर्यात रणनीति तैयार करने के लिए आईआईएफटी आदि जैसे संगठनों की सेवाएं ली हैं।

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

इस समय वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। निर्यात संवर्धन परिषदें कंपनी अधिनियम / सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत हैं तथा सलाहकार एवं कार्यपालक दोनों की भूमिकाएं निभाती हैं। इन परिषदों की भूमिकाओं एवं कार्यों का मार्गदर्शन विदेश व्यापार नीति 2015-20 द्वारा होता है जो उनको निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है।

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ आई ई ओ)

1965 में स्थापित तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में पंजीकृत भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) निर्यात संवर्धन की शीर्ष संस्था है। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। एफआईईओ की प्रबंध समिति में ईपीसी तथा वस्तु बोर्डों, अपेडा, मपेडा आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

एफआईईओ 26000 से अधिक सदस्य निर्यातकों तथा नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और निर्यात के संवर्धन में सहायक है। एफआईईओ का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्धन से जुड़े विभिन्न संगठनों को सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। विदेश व्यापार नीति में एफआईईओ को निर्यात करने वाली स्टेटस होल्डर फर्मों तथा अनेक उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। यह उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) भी जारी करता है, जो माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में अनेक देशों द्वारा अपेक्षित है।

एफआईईओ भारतीय व्यापार पोर्टल **(www.indiantradeportal.in)** को अनुरक्षित और अपडेट कर रहा है। अब व्यापार पोर्टल में सबसे मनपसंद राष्ट्र (एमएफएन) दरें, तरजीही टैरिफ तथा 87 देशों के सेनिट्री और फाइटो सेनिट्री तथा तकनीकी व्यापार बाधाएं शामिल हैं। एफआईईओ की 'एफआईईओ न्यूज' नामक एक मासिक बुलेटिन तथा 'इनट्रेड अपडेट' नामक एक साप्ताहिक ई-बुलेटिन भी हैं जो निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले साप्ताहिक वैश्विक घटनाक्रमों की जानकारी प्रदान करती हैं। एफआईईओ सदस्यों एवं गैर सदस्यों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से क्रेताओं / विक्रेताओं को एक ई-प्लेटफार्म प्रदान करता है तथा पूरी दुनिया में ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन करता है।

एफआईईओ ने अपने सदस्यों को वाणिज्यिक सूचना एवं विपणन सहायता प्रदान करने के लिए पूरे विश्व के अग्रणी चैंबर्स के साथ 95 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम एक निर्यात संवर्धन स्कीम है जिसे स्थाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के तहत निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा शीर्ष व्यापार निकायों को सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता करने के लिए प्रावधाना हैं (उत्पाद पंजीकरण तथा विदेश में इंजीनियरिंग / फार्मास्यूटिकल / रासायनिक / कृषि रासायनिक उत्पादों आदि के परीक्षण प्रभारों के लिए)। फरवरी, 2018 में स्कीम को आखिरी बार संशोधित किया गया। एमएआई स्कीम के तहत वित्त पोषण के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- विश्व स्तरीय माल एवं सेवाओं के प्रदाता के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना एवं प्रोत्साहित करना।

- भारत को स्रोतन के एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना।
- भारत के लिए एक मजबूत ब्रांड इमेज सृजित करना।
- भारतीय माल एवं सेवाओं का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभिचिह्नित बाजारों में विदेशों में प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्यातकों / उद्योग निकायों को सुगमता प्रदान करना।
- नए / संभावित बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा वैश्विक व्यापार पर सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में निर्यातकों को सुगमता प्रदान करना।

स्कीम के तहत शामिल विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों तथा शीर्ष व्यापार संगठन के माध्यम से एमएआई स्कीम के तहत सहायता मंजूर की जाती है। प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया में स्कीम के तहत अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से प्रस्तावों की जांच शामिल है।

वर्ष 2018-19 के दौरान स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए 277 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

पिछले 10 वर्षों के लिए एम ए आई आवंटन / निर्मुक्ति का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

एम ए आई आवंटन / निर्मुक्ति का वर्षवार ब्यौरा (करोड़ रुपए में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
2014-15	199.99	199.99
2015-16	224.99	224.99
2016-17	220.51	200.51
2017-18	213.25	213.25
2018-19 (07 दिसंबर 2018 तक की स्थिति के अनुसार)	249.99	178.23

प्रमुख कार्यक्रम जिनको 2018-19 के दौरान एम ए आई स्कीम के तहत सहयता प्रदान की गई

क्र. सं.	क्षेत्र	परिषद	तिथि
1	वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस)	सीआईआई / एसईपीसी	मई, 2018
2	अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी (आईफेक्स 2018)	फार्मेक्सिल	मई, 2018
3	एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया	फिक्की / एसईपीसी	दिसंबर, 2018
4	इंडिया इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो	ईईपीसी	मार्च, 2018
5	इंडस फूड	टीपीसीआई	जनवरी, 2019
6	आसियान - इंडिया एक्सपो एंड समिट	फिक्की	फरवरी, 2019
7	इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो (आईआईजेएस)	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद	अगस्त, 2018

8	इंडी कोलंबिया 2018	ईईपीसी	सितंबर, 2018
9	हांगकांग ज्वैलरी एवं जेम फेयर, हांगकांग	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद	सितंबर, 2018
10	इंडिया कार्पेट एक्सपो	कार्पेट निर्यात संवर्धन परिषद	अक्टूबर, 2018
11	डोमोटेक्स, जर्मनी	कार्पेट निर्यात संवर्धन परिषद	जनवरी, 2019
12	अरबप्लास्ट, यूएआई	प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद	जनवरी, 2019

रत्न एवं आभूषण

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, इस साल अपने गठन के 52 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है। 30 नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 6790 के आसपास है। रत्न एवं आभूषण विनिर्माण क्षेत्र भारत का अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्र है। राजकोषीय वर्ष अप्रैल से अक्टूबर 2018-19 के दौरान भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात ने 24259.51 मिलियन अमरीकी डालर का निष्पादन दर्ज किया जो 1.63 प्रतिशत की मामलू गिरावट को दर्शाता है। देश के कुल पण निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान 12.73 प्रतिशत के आसपास है। इसके तहत भारी संख्या में एस एम ई यूनिटें शामिल हैं जो कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों को रोजगार देती हैं, जिनमें से लगभग सभी यूनिटें असंगठित क्षेत्र में हैं।

वर्ष **2018-19** के दौरान (नवंबर तक**),** रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने भारत एवं विदेशों में निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया **:**

- इटली में 19 से 24 जनवरी, 2018 तक आयोजित विसेंजा ओरो 2018
- बर्मिंघम में 4 से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित ज्वैलरी एंड वाच बर्मिंघम 2018
- म्यूनिख में 16 से 19 फरवरी 2018 तक आयोजित इनहोर्जेंटा 2018
- 27 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक हांगकांग में आयोजित हांगकांग इंटरनेशनल डायमंड, जेम एंड पर्ल शो 2018
- हांगकांग में 1 से 5 मार्च 2018 तक हांगकांग इंटरनेशनल ज्वैलरी शो 2018
- बासेल, स्विटजरलैंड में 22 से 27मार्च 2018 तक बासेल वर्ल्ड 2018
- एंटवर्प, बेल्जियम में 6 से 9 मई 2018 तक काराटस + 2018
- लास वेगास, यूएसए में 1 से 4 जून, 2018 तक जेसीके लास वेगास शो 2018
- 21 से 24 जून 2018 तक हांगकांग ज्वैलरी एंड जेम फेयर
- सिंगापुर में 26 से 29 जुलाई 2018 तक सिंगापुर इंटरनेशनल ज्वैलरी एक्सपो
- 12 से 16 सितंबर 2018 तक सितंबर हांगकांग ज्वैलरी एंड जेम फेयर
- इटली में 22 से 26 सितंबर 2018 तक विसेंजा ओरो फाल 2018
- दुबई में 14 से 17 नवंबर 2018 तक वीओडी दुबई इंटरनेशनल ज्वैलरी शो
- बहरीन में 20 से 24 नवंबर 2018 तक ज्वैलरी अरेबिया 2018

उपर्युक्त के अलावा जीजेईपीसी ने **2018-19** में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया **:**

- जयपुर में 8 से 10 जनवरी 2018 तक पहला इंडिया रफ जेम स्टोन शो
- मुंबई में 10 से 13 फरवरी 2018 तक आईआईजेएस सिग्नेचर और आईजीजेएमई

- मुंबई में 13 और 14 फरवरी को डिजाइन इंसपिरेशन पर सेमिनार
- जयपुर में 15 से 17 अप्रैल 2018 तक इंडिया जेम स्टोन वीक
- मुंबई में 23 से 25 अप्रैल 2018 तक डायमंड डिटेक्शन एक्सपो और सिंपोजियम का तीसरा संस्करण
- हैदराबाद में 29 अप्रैल से 1 मई 2018 तक इंडिया सार्क मिडिल ईस्ट बायर सेलर मीटर का तीसरा संस्करण
- मुंबई में 11 मई 2018 को बैंकिंग समिट
- मुंबई में 7 से 9 अगस्त 2018 तक पहला भारत - आस्ट्रेलिया ज्वैलरी क्रेता - विक्रेता बैठक
- मुंबई में 9 से 13 अगस्त 2018 तक इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो का 35वां संस्करण
- न्यूयार्क, यूएसए में 20 से 23 अगस्त 2018 तक इंडिया डायमंड वीक (लूज डायमंड)
- नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर 2018 तक भारत चांदी क्रेता - विक्रेता बैठक का पहला संस्करण
- मुंबई में 23 से 25 अक्टूर 2018 तक इंडिया इंटरनेशनल डायमंड वीक (लूज डायमंड)
- नई दिल्ली में 23 और 24 नवंबर 2018 तक भारत सोना क्रेता - विक्रेता बैठक का दूसरा संस्करण
-

सामान्य सुविधा केन्द्र **(**सीएफसी**) :**

11 मार्च 2018 को अमरेली में तीसरे सामान्य सुविधा केन्द्र का उद्‌घाटन किया गया। गुजरात में जूनागढ़ में चौथे सीएफसी का कार्य पूरा हो गया है तथा शीघ्र उद्‌घाटन किया जाएगा।

रफ डायमंड के कंसाइनमेंट के आयात के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र

विशेष अधिसूचित क्षेत्र अपने प्रचालन का चौथा वर्ष शुरू कर रहा है तथा पिछले तीन वर्षों में बहुत सफलता के साथ अपने प्रचालनों का संचालन किया है। विश्व की सभी प्रमुख खनन कंपनियां नियमित रूप से इनको देखने आ रही हैं। इसने भारतीय डायमंड उद्योग से बहुत अच्छा रिस्पांस प्राप्त किया है तथा प्रति विजिट 202 विजिटरों की औसत संख्या तथा प्रति विजिट 80 कंपनियों की औसत संख्या के साथ एमएसएमई के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहा है। दिसंबर 2015 में उद्‌घाटन के बाद से अब तक 55 प्रतिशत से अधिक की औसत अक्यूपेंसी के साथ आईडीटीसी - एसएनजेड में विजिट के लिए इस्तेमाल किए गए दिनों की संख्या 577 से अधिक है जो विशाल है यदि हम पूरी दुनिया में समान सेटअप से इसकी तुलना करें। विशेष अधिसूचित क्षेत्र ने दिसंबर 2019 तक खनन कंपनियों से बुकिंग प्राप्त की है जो परियोजना के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज तक 16000 से अधिक विजिटर्स ने विशेष अधिसूचित क्षेत्र का दौरा किया है। शुरुआत से लेकर अब तक आईडीटीसी - एसएनजेड में मात्रा की दृष्टि से कुल 1.5 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के रफ डायमंड के 9 मिलियन कैरट प्रदर्शित किए गए हैं। विदेशी खनन कंपनियों अर्थात अलरोसा - रूस, डी बीयर्स - यूके, रियो टिंटो - आस्ट्रेलिया, डोमिनियन डायमंड कार्प - कनाडा और ओकावांगो डायमंड कंपनी (ओडीसी) - बोत्सवाना जो कुल मिलाकर रफ डायमंड के कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत उत्पादन करती हैं, ने देखने के लिए अपने डायमंड प्रदान किए हैं तथा पूरे भारत से 737 अनोखी भारतीय डायमंड विनिर्माता / व्यापार कंपनियों ने दर्शन सत्रों में भाग लिया है।

चमड़ा निर्यात परिषद

चमड़ा उद्योग के बारे में

- भारतीय अर्थव्यवस्था में चमड़ा उद्योग का प्रमुख स्थान है। यह क्षेत्र निर्यात से अधिक आय अर्जित करने में निरंतरता के लिए विख्यात है तथा देश के लिए शीर्ष 10 विदेशी मुद्रा अर्जकों में से एक है। 2017-18 के दौरान चमड़ा तथा चर्म उत्पादों के निर्यात का मूल्य 5.74 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया।
- चमड़ा उद्योग कच्चे माल की प्रचुरता की दृष्टि से संपन्न है क्योंकि भारत में विश्व के 20 प्रतिशत मवेशी और भैंस तथा 11 प्रतिशत बकरी और भेंड़ की

आबादी है। साथ ही यहां कुशल जनशक्ति, नवाचारी प्रौद्योगिकी है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों का उद्योग अनुपालन बढ़ रहा है और संबद्ध उद्योगों से समर्पित सहायता मिल रही है।

- चमड़ा उद्योग एक रोजगार गहन क्षेत्र है जो लगभग 4.42 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है, जिसमें से अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों से हैं। लगभग 30 प्रतिशत शेयर के साथ चमड़ा उत्पाद क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार का दबदबा है।

निर्यात निष्पादन

भारत से चमड़ा और चर्म उत्पादों के निर्यात ने 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमश: -9.84 प्रतिशत और -3.23 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद 2017-18 के दौरान 1.65 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

वस्तु एवं सेवा कर

- 21 जुलाई 2018 को आयोजित जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है :
- 27 जुलाई, 2018 से स्लाइड फास्टेनर और स्लाइड फास्टेनर के पार्ट्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। 27 जुलाई, 2018
- भारत में क्लियरेंस के कस्टम स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक एयरक्राफ्ट से माल के परिवहन के रूप में सेवाओं तथा भारत में क्लियरेंस के कस्टम स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक वेजल से माल के परिवहन के रूप में सेवाओं के लिए जीएसटी से छूट की अवधि 30 सितंबर 2018 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 की गई है।
- 27 जुलाई, 2018 से 1000 प्रति पेयर तक के फुटकर बिक्री मूल्य के फुटवियर के लिए जीएसटी में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इस विस्तार से पूर्व शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट 500 रुपए तक के फुटकर बिक्री मूल्य वाले फुटवियर के लिए उपलब्ध थी।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान

फुटवियर तथा संबद्ध उत्पाद उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए वर्ष 19986 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) की स्थापना की गई।

एफडीडीआई, जो एफडीडीआई अधिनियम, 2017 के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' का दर्जा रखने वाला एक अग्रणी संस्थान है, फुटवियर, चर्म एवं संबद्ध उद्योग में 'वन स्टॉप समाधान प्रदाता' के रूप में काम करता है।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान फुटवियर, लेदर, फैशन, रिटेल एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में कौशल अंतराल को पाटकर भारतीय उद्योग को सुगमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान अपनी विशिष्ट पाठ्यचर्या के साथ कुशल जनशक्ति, अधुनातन प्रयोगशालाओं, विश्व स्तरीय अवसंरचना तथा अनुभवी संकाय की मांग को पूरा करके इस्तेमाल न की गई प्रतिभा एवं उद्योग तथा इसके वैश्विक समकक्षों के बीच कड़ी के रूप में काम कर रहा है।

नोएडा, फुर्सतगंज, चेन्नई, कोलकाता, रोहतक, छिंदवाड़ा, गुना, जोधपुर, अंकलेश्वर, बन्नूर, पटना और हैदराबाद में स्थित अपने कैंपस के माध्यम से दीर्घावधिक कार्यक्रमों (यूजी और पीजी) तथा अल्पावधिक (प्रमाण पत्र) कार्यक्रमों का संचालन करके एफडीडीआई कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

क्र. सं.	स्नातक डिग्री कार्यक्रम (अवधि - 4 वर्ष)	मास्टर डिग्री कार्यक्रम (एमडेस) (अवधि - 2 वर्ष)
1.	बीडेस (फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन)	एमडेस (फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन)
2.	बीडेस (लेदर गुड्स एवं असेसरीज डिजाइन)	एमबीए (रिटेल एवं फैशन मर्केंडाइज)
3.	रिटेल एवं फैशन मर्केंडाइज में स्नातक	एमडेस (सीएडी)
4.	बीडेस (फैशन डिजाइन)	

कार्यस्थल के गतिशील परिवेश, अनोखी एवं नवाचारी अंतर्वस्तु एवं प्रदायगी तंत्र तथा उद्योग / शैक्षिक संस्थाओं में विश्व व्यापी स्तर पर उच्च स्वीकृति के लिए अपनी प्रासंगिकता के कारण प्रशिक्षण एवं परामर्श के क्षेत्र में संस्थान को उल्लेखनीय वैश्विक पहचान मिली हुई है। इसने राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर दिया है तथा बंगलादेश, श्रीलंका जैसे एशियाई देशों तथा इथोपिया, बोत्सवाना, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे अनेक अफ्रीकी देशों में प्रशिक्षण एवं परामर्श के क्षेत्र में अपने लिए एक आला स्थान का सृजन किया है।

वर्ष के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप / इवेंट :

1. श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा एफडीडीआई, हैदराबाद कैंपस का उद्घाटन किया गया एफडीडीआई के हैदराबाद कैंपस जिसे वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा संसद सदस्य श्री बूरा नरसैया गौड़ की उपस्थिति में 5 जुलाई 2018 को किया गया।

फीता काटते हुए तथा एफडीडीआई हैदराबाद कैंपस का उद्घाटन करते हुए माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु

अधुनातन कैंपस में 700-750 छात्रों को प्रशिक्षण देने की क्षमता है तथा यह फुटवियर एंड लेदर उत्पाद डिजाइन प्रौद्योगिकी, फुटकर प्रबंधन तथा फैशन मर्केंडाइज के क्षेत्र में उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण तथा हाई इंड सहायता सेवाओं का सुनिश्चय करता है।

2. 'मेक इन इंडिया - **2.0**' **(**एमआईआई**)** कार्यक्रम के तहत मानकों का उन्नयन एवं विकास **:**

इसके तहत अर्ध-सैनिक बलों के लिए पीयू रबर सोल वाले टैक्टिकल बूट (ऊंची एड़ी), अर्ध सैनिक बलों (आरएएफ) के लिए पीयू रबर सोल के एंटी रायट शूज, राज्य पुलिस विभाग के लिए पीयू रबर सोल वाले डर्बी ब्लैक शूज, अर्ध सैनिक बलों के लिए फुल रबर नी / एंकल बूट तथा भारतीय सेना के लिए लाइट वेट, एंटी स्किड, एंटी पेनिस्ट्रेशन कंबैट बूट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की फुटवियर क्षेत्रीय समिति (सीएचडी-19) : पैनल-1 द्वारा मानकों का उन्नयन / विकास किया गया है।

इसके अलावा एक नया मानक (आईएस-17012:2018) - "पीयू रबर सोल वाले ऊंची एड़ी के टैक्टिकल बूट" को बीआईएस द्वारा सितंबर 2018 में एमआईआई - 2.0 के तहत प्रकाशित किया गया है।

3. छात्रों का प्लेसमेंट **:**

2017-2018 के प्लेसमेंट में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान से प्रतिभाओं को चुनने के लिए आपस में होड़ करते हुए असंख्य मल्टीनेशनल तथा कारपोरेट दिखे। इंडक्शन के लिए मार्च 2018 से नोएडा कैंपस में प्लेसमेंट के लिए एक केन्द्रीकृत अभियान चलाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि यूनिकलो (जापान), विक्टोरिनोक्स (जर्मनी), पूका शूज (दुबई), अपैरल ग्रुप (कुवैत), जोमातो, डी लार्ड्स, ब्लैकबेरी, डिक्सी टेक्सटाइल तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्लाथ ब्रांड एचएंडएम कैंपस भर्ती के लिए पहली बार एफडीडीआई आईं। सुपरहाउस, वर्सेटाइल इंटरप्राइजेज, कैंपस शूज, अरविंद फुटवियर, इंडो - यूरो फुटवियर, कास्मिक ग्रुप, हाउस ऑफ रायसंस, टैक एग्जिम, शांतनु एंड निखिल, हरप्रीत नरूला जैसी कंपनियों ने एफडीडीआई से छात्रों का चयन किया।

4. कंप्यूटर नेटवर्किंग सेंटर **(**सीएनसी**)** तथा एफडीडीआई के प्रायोगिक प्लांट का उन्नयन **:**

सीएनसी तथा एफडीडीआई के प्रायोगिक प्लांट का उन्नयन के लिए, करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है जिसमें से 41.29 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

बुनियादी रसायन, कास्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

बुनियादी रसायन एवं कास्मेटिक्स निर्यात संवर्धन परिषद जो केमेक्सिल के नाम से विख्यात है, का गठन वर्ष 1963 में मुंबई में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य भारत से विभिन्न विदेशी राष्ट्रों में डाई एवं डाई इंटरमीडिएट, बुनियादी जैविक एवं अजैविक रसायनों, कृषि रसायन सहित, कास्मेटिक्स, साबुन, डिटर्जेंट, प्रसाधन सामग्री एवं आवश्यक तेल तथा अरंडी के तेल के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। 31 मार्च 2018 तक की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 3310 है।

केमेक्सिल का मुख्यालय मुंबई में है तथा अहमदाबाद, बेंगलूर, कोलकाता और नई दिल्ली में इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

केमेक्सिल की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं :

- रसायन उद्योग / निर्यातकों की आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए सरकारी प्राधिकारियों से संपर्क बनाए रखना और निर्यात में तेजी लाने के लिए उपयुक्त विदेश व्यापार नीति रूपरेखा एवं बजटीय सहायता का सुनिश्चय करना।
- निर्यात की अड़चनों तथा प्रचालन से जुड़ी बाधाओं को दूर करना।
- निर्यात संवर्धन के सीधे कार्य करना जैसे कि विभिन्न देशों में व्यापार शिष्टमंडल भेजना और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- रीवर्स क्रेता - विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा विदेशी शिष्टमंडलों की मेजबानी करना।
- बाजार सूचना तथा सांख्यिकीय सहायता प्रदान करना।

- विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क, ड्यूटी ड्राबैक, बैंकिंग, ईसीजीसी आदि के संबंध में सदस्य निर्यातकों के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करना।
- निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को समझने में निर्यातकों की मदद करना।
- क्षमता निर्माण पहल के रूप में, निर्यात क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, नीति / प्रक्रियात्मक मामलों, सरकारी योजनाओं आदि में नवीनतम परिवर्तनों से निर्यातकों को अवगत कराने के लिए सेमिनारों / कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- सदस्य निर्यातकों को वीजा के लिए सिफारिशें, उत्पत्ति प्रमाण पत्र, उत्पाद शुल्क बांड के नवीकरण के लिए पत्र आदि जारी करना।

निर्यात निष्पादन :

वर्ष के दौरान अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक परिषद के निर्यात निष्पादन का मूल्य 15914.61 मिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए केमेक्सिल का निर्यात निष्पादन 14231.59 मिलियन अमरीकी डालर था जो अप्रैल से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए निर्यात की तुलना में 28.50 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां :

निर्यात संवर्धन की गतिविधियों / कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनमें केमेक्सिल ने अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 के दौरान भाग लिया है / आयोजित किया है –

विदेशों में कार्यक्रम *: -*

1	शंघाई, चीन, शंघाई वर्ल्ड एक्सपो एग्जिवीशन एंड कनवेंशन सेंटर (स्वीक) में 11 से 13 अप्रैल 2018 तक आयोजित 18वीं चीन इंटरडाई प्रदर्शनी 2018
2	दुबई, यूएई में 8 से 10 मई 2018 तक आयोजित तीसरी ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी
3	सैगोन एग्जिबीशन एंड कनवेंशन सेंटर (सेक) हो ची मिन्ह शहर, वियतनाम में 13 से 15 जून 2018 तक कलर वियतनाम 2018 / स्पेशल केमिकल वियतनाम 2018 एग्जिबीशन
4	कोलोन, जर्मनी में 20 और 21 जून 2018 को मैक ब्रुक्स एग्जिबीशन लिमिटेड यूके द्वारा आयोजित केमस्पेक यूरोप 2018 एग्जिबीशन
5	साओ पाउलो, ब्राजील में 28 से 30 अगस्त 2018 तक डाइकेम ब्राजील 2018 एग्जिबीशन

प्लासिटक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकोंसिल)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (जो प्लेक्सकोंसिल के नाम से विख्यात है) का गठन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा 1955 में भारत से सभी प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया।

प्लेक्सकोंसिल का प्रधान कार्यालय मुंबई में है तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय भारत के उत्तरी (नई दिल्ली), दक्षिणी (चेन्नई) और पूर्वी (कोलकाता) क्षेत्र में हैं।

निर्यात निष्पादन :

परिषद के दायरे में उत्पादों के निर्यात का मूल्य 2016-17 में 7,558 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2017-18 में 8,850 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है जो 17.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उपर्युक्त अवधि के दौरान भारत का प्लास्टिक निर्यात विशेष रूप से लैटिन अमेरिका एवं कैरीबियन, उत्तर पूर्व एशिया तथा यूरोपीय संघ को मजबूत रहा। प्लास्टिक शीट / फिल्म / प्लेट; वोवेन सैक / एफआईबीसी; आप्टिकल मदों; कार्यालय एवं स्कूल के लिए लेखन सामग्री और फोटो फिल्म के अधिक नौप्रेषण के कारण 2017-18 के दौरान मूल्यवर्धित प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात ने 12.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

अप्रैल से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए प्लेक्सकोंसिल का निर्यात निष्पादन 6,190 मिलियन अमरीकी डालर है जो अप्रैल से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए निर्यात की तुलना में 28.19 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

भारत में कार्यक्रम *:* -

- वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्लास्टिक उत्पादों के शीर्ष निर्यातकों को सम्मानित करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र में जुलाई 2018 में अपने निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन किया।
- मुंबई में जुलाई 2018 में जीएसटी पश्चात परिदृश्य, वर्तमान रिफंड तंत्र पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा चर्चा सत्र का आयोजन किया।
- यूएस - जीएसपी कार्यक्रम के लिए भारत की पात्रता की समीक्षा के संबंध में सदस्यों को जानकारी प्रदान की तथा www.regulations.gov पर डाकेट आईडी के तहत प्रस्तुतियां / टिप्पणियां दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में समझाया।
- कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह / जीएसटी / एफटीपी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा सत्र का सह आयोजन किया।

रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल)

कैपेक्सिल जो एक अग्रणी निर्यात संवर्धन परिषद तथा आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन है, की स्थापना 1958 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रसायन आधारित एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए की गई। 31 मार्च 2018 तक की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 3,862 है।

कैपेक्सिल का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थिति है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं।

निर्यात निष्पादन

- वर्ष के दौरान अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक परिषद के निर्यात निष्पादन का मूल्य 18,143.96 मिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल से दिसंबर 2018 के दौरान रसायन आधारित संबद्ध उत्पादों का निर्यात 200 से अधिक देशों को किया गया। अप्रैल से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए निर्यातों का संचयी मूल्य 15,729.53 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 20.8 प्रतिशत की सकात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

निर्यात संवर्धन के उपाय
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अर्थात आज तक कैपेक्सिल ने निर्यात संवर्धन के उपाय के रूप में भारत के अंदर और विदेश में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया है / भाग लिया है :
विदेशों में कार्यक्रम :

- लंदन बुक फेयर, यूके (स्वयं वित्त पोषण आधार पर / कोई एमडीए / एमएआई सहायता नहीं), 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2018
- 25 अप्रैल 2018 से 1 मई 2018 के दौरान आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2018
- 22 अगस्त से 26 अगस्त 2018 के

दौरान बीजिंग, चीन में बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर

- शरजाह, संयुक्त अरब अमीरात में 31 अक्टूबर से 10 नवंबर के दौरान शरजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2018

भारत में कार्यक्रम :

- कैपेक्सिल ने 24 अप्रैल 2018 को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय विपणन पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- कैपेक्सिल के दक्षिणी क्षेत्र में 17 अप्रैल 2018 को पशु उपोत्पाद पैनल के लिए "चर्चा सत्र सह प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया।
- कैपेक्सिल के दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय में 25 जुलाई 2018 को चेन्नई में "जीएसटी तथा इसके निहितार्थ पर चर्चा" का आयोजन किया।
- एफ्रो एशियन बुक काउंसिल (एएबीसी) के सहयोग से कैपेक्सिल ने 31 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में "अफ्रीका - एशियाई पुस्तक संगोष्ठी : अवसर एवं चुनौतियां" नामक सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि थे तथा संगोष्ठी में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

शेफेक्सिल को पहले लाख निर्यात संवर्धन परिषद के नाम से जाना जाता था, जो लाख तथा लाख आधारित उत्पादों के दीर्घावधिक विकास एवं निर्यात संवर्धन के लिए उत्प्रेरक एजेंसी के रूप में 1957 से उद्योग की भागीदारी में काम कर रहा था। इस परिषद का उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से भारत के गैर इमारती वन उत्पादों (एनटीएफपी) के निर्यात की पूर्ण क्षमता को साकार करना, भारतीय एनटीएफपी के लिए ग्लोबल ब्रांड का निर्माण करना आदि है। लाख निर्यात संवर्धन परिषद गैर इमारती वन उत्पाद के लिए नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है। शेफेक्सिल के तहत प्रमुख उत्पाद समूहों में लाख तथा लाख आधारित उत्पाद, सब्जियों के अर्क एवं जड़ी बूटियों के सत्र, ग्वारगम, अचल सब्जी, ऑयल केक तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अनेक उत्पाद शामिल हैं।

शेफेक्सिल का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है तथा इसकी कोई शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।

निर्यात निष्पादन :

वर्ष के दौरान अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक परिषद के निर्यात निष्पादन का मूल्य 1917.21 मिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए शेफेक्सिल का निर्यात निष्पादन 1516.51 मिलियन अमरीकी डालर है जो अप्रैल से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए निर्यात की तुलना में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

परिषद के सदस्यों में असंगठित, लघु तथा मध्यम आकार की कंपनियां शामिल हैं। इसकी वजह से बाजार स्थल से जुड़ी इसकी चुनौतियां अलग तरह की हैं जैसे कि उत्पाद मूल्य श्रृंखला का कम होना, गुणवत्ता के मुद्दे तथा पता लगाना संभव न होना आदि। इस समय अधिकांश उत्पादों का निर्यात कच्चे रूप में या सीमित प्रसंस्करण के बाद किया जा रहा है; इसलिए परिषद के लिए मूल्यवर्धन की गतिविधियां बढ़ाना प्रमुख प्राथमिकता है।

निर्यात संवर्धन के उपाय

परिषद द्वारा संचालित की गईं संवर्धनात्मक गतिविधियां

विदेशों में कार्यक्रम:

वित्त वर्ष **2017-18 :**

- शंघाई, चीन में 8वां चीन अंतर्राष्ट्रीय डाई उद्योग, पिगमेंट एवं वस्त्र रसायन प्रदर्शनी, 2017, 12 से 14 अप्रैल 2017
- बांडुंग, इंडोनेशिया में 1 से 3 नवंबर 2017 के दौरान आयोजित की गई इंटरडाई एशिया प्रदर्शनी 2017

- वित्त वर्ष **2018-19 :**
- 11 से 13 अप्रैल 2018 तक शंघाई, चीन में आयोजित चाइना इंटरडाई एग्जिबीशन 2018
- ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, 8 से 10 मई 2018

भारत में कार्यक्रम :

- 2 जुलाई 2017 को शिलांग में तथा 4 जुलाई 2017 को कोलकाता में वाणिज्य विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के साथ बैठक
- 4 फरवरी 2018 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु के साथ चर्चा बैठक
- 22 से 24 मार्च 2018 को मुंबई में आयोजित कैप (इंडिया) 2018

फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल)

भारतीय फार्मा, जो अत्यधिक ज्ञान आधारित उद्योग है, निरंतर बढ़ रहा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2017-18 के दौरान भारतीय फार्मा निर्यात ने 17.27 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान किया। भारतीय फार्मा भारत में ऐसे कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसने वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी के बावजूद लगातार वृद्धि दर का प्रदर्शन किया है। 55 प्रतिशत से अधिक फार्मा निर्यात अत्यधिक विनियमित बाजारों को होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एफडीए के यहां पंजीकृत ड्रग मास्टर फाइलों (डीएमएफ) में भारत का हिस्सा 37 प्रतिशत के आसपास है (3980 डीएमएफ और 4325 एएनडीए) जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किसी देश का सर्वाधिक नंबर है। भारत को तकरीबन 1,597 उपयुक्तता प्रमाण पत्र (सीईपी), 1300 से अधिक टीजीए अनुमोदनों के साथ प्रत्यायित किया गया है तथा यूएस एफडीए द्वारा 700 साइटों को अनुमोदित किया गया है।

निर्यात की प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं :

भारत डीपीटी तथा बीसीजी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मांग का 65 प्रतिशत और खसरा के टीकों का 90 प्रतिशत उत्पादन करता है।

शीर्ष 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से 8 कंपनियां भारत से हैं।

भारत का 55 प्रतिशत से अधिक निर्यात अथ्यधिक विनियमित बाजारों जैसे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप को किया जाता है। भारत के लिए यूएसए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अफ्रीका के 6000 मिलियन अमरीकी डालर के जेनरिक बाजार में भारत का योगदान 50 प्रतिशत है।

भारतीय विनिर्माताओं के लिए विपणन के विशाल अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा संविदा अनुसंधान एवं विनिर्माण सेवा (सीआरएएमएस), नैदानिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान आदि के लिए आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत की संभावनाएं कौशल, लागत एवं प्रदायगी संबंधी लाभों के कारण प्रबल होती जा रही हैं।

निर्यात की वर्तमान रुझानें

2017-18 की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से सितंबर 2018-19 के दौरान फार्मास्युटिकल के निर्यात में 12.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी देशों को निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है, जो हमारे कुल निर्यात आवश्यकता का 67.44 प्रतिशत पूरा करते हैं जहां विकास दरें क्रमश: 11.91 प्रतिशत, 16.30 प्रतिशत और 5.27 प्रतिशत हैं। अप्रैल से सितंबर 2018 के दौरान अब तक फार्मास्युटिकल की सभी श्रेणियों अर्थात आयुष (9.31 प्रतिशत), बल्क ड्रग एवं ड्रग इंटरमीडिएट (11.53 प्रतिशत), ड्रग फार्मुलेशन एवं बायोलाजिकल (13.66 प्रतिशत), हर्बल उत्पाद (8.79 प्रतिशत), सर्जिकल (6.93 प्रतिशत) और टीके (0.17 प्रतिशत) ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। अक्टूबर 2018 के महीने में फार्मास्युटिकल निर्यात का मूल्य 1.514 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले साल के इस महीने की तुलना में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

फार्मा निर्यात के संवर्धन के लिए वाणिज्य विभाग / फार्मेक्सिल द्वारा शुरू की गई पहलें

ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना :

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फार्मा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2012 में शुरू की गई ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना 2017-18 में भी जारी है। आईबीईएफ की सहायता से फार्मेक्सिल ने सीपीएचआई वर्ल्ड वाइड, सीपीएचआई जापान जैसे अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के अलावा दुबई में आयोजित अरब हेल्थ में ब्रांड संवर्धन की गतिविधियां संपन्न की है। अरब हेल्थ में ब्रांडिंग की गतिविधियों ने सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है तथा इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों से अच्छा रिस्पांस प्राप्त करने में मदद की हैं।

एपीआई के आयात पर निर्भरता घटाना :

एपीआई के आयात पर निर्भरता कम करने तथा भारतीय एपीआई उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को जारी रखते हुए वाणिज्य विभाग ने नीतियों / रोडमैप का निर्माण करने के लिए हितधारकों के साथ अनेक परामर्शों का आयोजन किया। फार्मेक्सिल ने इस विषय पर सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं, उद्योग तथा विद्वत जगत में अनेक परामर्श बैठकों का भी आयोजन किया। वाणिज्य विभाग ने एपीआई, इंटरमीडिएट तथा प्रमुख शुरुआती सामग्री के विनिर्माण के लिए अनन्य क्लस्टरों की स्थापना में शामिल करने के लिए फार्मास्युटिकल विभाग को प्रारूप राष्ट्रीय नीति 2017 पर अपनी टिप्पणियां प्रदान की है तथा नीति अंतिम रूप दिए जाने के अधीन है।

निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस प्रणाली :

फार्मा निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। लघु निर्यातकों के जायज सरोकारों को ध्यान में रखते हुए एसएमई को 1 जुलाई 2019 तक अभिभावक - बच्चा संबंध का अनुरक्षण करने तथा डीएवीए पोर्टल पर डाटा अपलोड करने से छूट प्रदान की गई। निर्यातकों की शंकाओं को दूर करने तथा प्रणाली के अबाध कामकाज का सुनिश्चय करने के लिए आवधिक आधार पर एनआईसी, जीएस1 और फार्मेक्सिल द्वारा सेमिनारों / कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

टैरिफ से भिन्न व्यापार बाधाएं :

वाणिज्य विभाग / फार्मेक्सिल टैरिफ से भिन्न व्यापार बाधाओं जो सदस्यों द्वारा उनके पास लाई जाती हैं, को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। उत्पादों का पंजीकरण करते समय ईराक कुछ देशों को तरजीही व्यवहार प्रदान कर रहा था। काफी आग्रह के बाद भारत को इस सूची में शामिल किया गया तथा उन देशों के समकक्ष माना गया।

उभरते बाजारों में पैठ :

वाणिज्य विभाग / फार्मेक्सिल चीन और जापान जैसे कुछ प्रमुख बाजारों में भारत का शेयर बढ़ाने के लिए पहल कर रहे हैं। चीन द्वारा 28 उत्पादों पर ड्यूटी में कटौती के संबंध में हाल की घोषणा के बाद, चीन में सदस्यों का निर्यात बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने के लिए परिषद द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- इन लाइनों के तहत शामिल कैंसर रोधी दवाओं की सूची तथा छूट प्राप्त 28 टैरिफ मदों की सूची का परिचालन।
- अवसरों के बारे में भारतीय कंपनियों में जागरूकता पैदा करना तथा सीएफडीए के पास उत्पादों का पंजीकरण कराने के लिए उनका मार्गदर्शन करना ताकि चीन को अधिक निर्यात किया जा सके।
- शंघाई, चीन में 20 से 22 अगस्त 2018 के दौरान एक बी2बी बैठक का आयोजन तथा सीएफडीए के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन।
- फास्ट ट्रैक अनुमोदन के तंत्र का पता लगाने के अलावा चीन में विनियामक आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।

भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की मान्यता के लिए प्रयास :

वाणिज्य विभाग की सहायता से फार्मेक्सिल ने शुरू में सार्क तथा अफ्रीकी देशों के लिए विशेष प्रयासों के साथ अन्य विकासशील देशों द्वारा भारतीय फार्माकोपिया के संवर्धन / मान्यता के लिए कदम उठाए हैं।

फार्मेक्सिल ने घाना एफडीए द्वारा आईपी की मान्यता के लिए उनके साथ वार्ता शुरू की। घाना से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग, वाणिज्य विभाग तथा फार्मास्युटिकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की तथा घाना के साथ मामले पर कार्रवाई की जा रही है। वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में 25 और 26 अक्टूबर 2018 को अफगानिस्तान के दौरे के दौरान राष्ट्रीय दवा एवं स्वास्थ्य उत्पाद विनियामक प्राधिकरण (एनएमएचआरए), अफगानिस्तान से भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया।

आनलाइन सीओओ जारी करना

वाणिज्य विभाग तथा प्रशासन समिति की सलाह के अनुसार परिषद ने गैर तरजीही देशों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करना शुरू किया। सदस्यों द्वारा परिषद की इस पहल की सराहना की जा रही है तथा विभिन्न शहरों से अनेक सदस्यों ने इस सुविधा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

सीओपीपी की वैधता

उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप, इस समय दो साल की वैधता के साथ जारी किए जा रहे सीओपीपी के स्थान पर तीन साल की वैधता के साथ फार्मास्युटिकल उत्पाद प्रमाण पत्र (सीओपीपी) जारी करने के लिए अनुरोध कर रहा है। फार्मेक्सिल से अभिवेदन तथा वाणिज्य विभाग के आग्रह के आधार पर डीसीजीआई ने 8 मई 2018 से सीओपीपी की वैधता अवधि बढ़ाकर 3 साल करने के लिए अधिसूचना जारी की।

अरब हेल्थ :

लगातार 12वीं बार फार्मेक्सिल ने जनवरी 2018 में दुबई में अरब हेल्थ में भारतीय मंडप का आयोजन किया। इस मंडप में फार्मास्युटिकल, न्यूट्रास्युटिकल, सर्जिकल उत्पादों आदि में व्यापार करने वाली 56 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

इफेक्स **2018**

इफेक्स 2018 जिसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किया - भारतीय फार्मा क्षेत्र के लिए सबसे बड़े नेटवर्क कार्यक्रम के छठवें संस्करण का आयोजन 8 से 10 मई 2018 तक नई दिल्ली में किया गया जिसका उद्देश्य फार्मा तथा स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र को एक छतरी के नीचे लाना था। 500 भारतीय प्रदर्शकों, 120 देशों, 670 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा आगंतुकों की संख्या 10 हजार थी।

सीपीएचआई चीन :

फार्मेक्सिल ने 21 भारतीय कंपनियों के साथ 21 से 23 जून 2018 के दौरान इस कार्यक्रम में भारतीय मंडप का आयोजन किया।

फार्मेक्सिल तथा सीसीसीएमएचपीआईई, चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

अगस्त 2018 में फार्मास्युटिकल के क्षेत्र में सहयोग पर फार्मेक्सिल तथा सीसीसीएमएचपीआईई, चीन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। व्यवसाय के उद्यमों के लिए साझीदार ढूंढने तथा विनियामक प्रथाओं को समझने में दोनों पक्षों की फार्मा कंपनियों की मदद के लिए चीन और भारत में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए।

मघरेब फार्मा एक्सपो :

मघरेब फार्मा एक्सपो अल्जीरिया जो अफ्रीकी क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, में प्रमुख फार्मा कार्यक्रमों में से एक है। भारतीय फार्मा निर्यातकों के लिए, विशेष रूप से एपीआई, न्यूट्रास्युटिकल्स, फार्मा मशीनरी निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए फार्मेक्सिल ने 17 से 19 सितंबर 2018 के दौरान इस कार्यक्रम में भाग लिया। मंडप में 17 भारतीय निर्यातकों ने भाग लिया।

ईरान फार्मा :

ईरान फार्मास्युटिकल सिंडीकेट हर साल एक फार्मा कार्यक्रम अर्थात ईरान फार्मा का आयोजन करता है। ईरान में काफी संख्या में निर्मित फार्मुलेशन विनिर्माण यूनिटें हैं। एपीआई निर्यातकों के लिए निर्यात के अच्छे अवसरों की उपलब्धता तथा भारतीय फार्मा विनिर्माताओं के लिए संविदा विनिर्माण के अवसरों को ध्यान में रखते हुए फार्मेक्सिल ने 24 से 27 सितंबर 2018

के दौरान इस कार्यक्रम में मंडप लगाया जिसमें 19 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

एलएसी को व्यवसाय शिष्टमंडल :

लैटिन अमेरिका के देशों को भारतीय फार्मा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फार्मेक्सिल के सतत प्रयासों के अंग के रूप में 3 से 14 सितंबर 2018 के दौरान ब्राजील ग्वाटेमाला, होंडुरस में व्यवसाय शिष्टमंडल भेजे गए। शिष्टमंडल में 21 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

सीपीएचआई वर्ल्डवाइड **2018**

सीपीएचआई वर्ल्डवाइड अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कार्यक्रमों में से एक है। वाणिज्य विभाग की सहायता से फार्मेक्सिल 2005 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। इस साल यह कार्यक्रम 9 से 11 अक्टूबर 2018 के दौरान मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुआ तथा परिषद ने भारतीय मंडप लगाया जिसमें 55 कंपनियों ने भाग लिया। यूके एमएचआरए के साथ मिलकर परिषद ने भारत - यूके तथा यूरोपीय संघ फार्मा समिट पर एक सेमिनार का आयोजन किया जहां भारत तथा यूके एवं यूरोपीय संघ के बीच फार्मा व्यवसाय के लिए चुनौतियों, अवसरों पर उद्योग, यूके एमएचआरए के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुति दी।

भारत के फार्मा निर्यात को बढ़ाने के लिए रणनीति :

क्षेत्रवार मुद्दों की पहचान, जिनके समाधान से निर्यात में वृद्धि हो सकती है, सहित भारत के फार्मा निर्यात को मजबूत करने के लिए हितधारकों साथ परामर्श करके एक रणनीति तैयार की गई है - इस रणनीति को विभिन्न विभागों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है और हितधारकों के फीडबैक के आधार पर इसमें निरंतर संशोधन एवं सुधार किए जा रहे हैं।

पी ई सी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड को एसटीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 21 अप्रैल, 1971 को बनाया गया था। पीईसी लिमिटेड 27 मार्च, 1991 से वाणिज्य विभाग के अतंर्गत एक स्वतंत्र कंपनी बन गई। 27 मार्च, 1991

गतिविधियां

- पीईसी मुख्य रूप से परियोजनाओं, इंजीनियरिंग उपकरण और विनिर्मित वस्तुओं, रक्षा उपकरण व भंडारों के निर्यात और औद्योगिक कच्चे माल, सर्राफा और कृषि जिंसों के आयात में लगी हुई है।
- व्यवसाय की मौजूदा श्रंखलाओं का दृढ़ीकरण और साथ-साथ नए उत्पादों और नए बाजारों का विकास।
- गैर अभियांत्रिकी वस्तुओं अर्थात, कोयला एंव कोक, लौह अयस्क, खाद्य तेलों, स्टील की रद्दी आदि के निर्यात में विविधता।
- अग्रेतर निर्यातों के लिए जवाबी व्यापार / विशेष व्यापार व्यवस्थाएं।

विजन :

हितधारकों को स्थायी मूल्य प्रदान करते हुए अग्रणी एवं विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनना।

मिशन :

- सतत लाभ का सुनिश्चय करने के लिए ग्राहकों को समेकित व्यापार समाधान प्रदान करना।
- इंजीनियरिंग माल एवं परियोजनाओं में अग्रणी मर्चेंट निर्यातक बनने पर बल देना।
- औद्योगिक कच्चा माल तथा वस्तु सहित अनेक सेगमेंट में शीर्ष तीन व्यापार कंपनियों में शामिल होना।
- सार्वजनिक नीति तथा सामाजिक जिम्मेदारी के एक कारगर तथा जवाबदेह लिखत के रूप में काम करना।

उद्देश्य

- लाभ उन्मुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनना।
- बाजार में अपेक्षाओं के अनुरूप हितधारकों को पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करना।

- वैश्विक एवं घरेलू बाजार में नए अवसरों की तलाश करना।
- विशेष रूप से छोटे एवं मझोले उद्यमों से इंजीनियरिंग परियोजनाओं एवं उपकरणों के निर्यात पर अधिक ध्यान देना।
- वस्तुओं जैसे कि कृषि उत्पाद, औद्योगिक कच्चा माल, रसायन एवं बुलियन में व्यापार करना।
- विश्वसनीय, दीर्घावधिक तथा पेशेवर रूप में दक्ष संगठन के रूप में कारपोरेट की छवि को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना।
- उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना।
- सार्वजनिक नीति तथा सामाजिक जिम्मेदारी के एक कारगर लिखत के रूप में काम करना।

<u>खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी)</u>

सिंहावलोकन

भारत वैश्विक बाजारों को अच्छी खेल सामग्रियों एवं खिलौनों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। भारतीय खेल सामग्रियों तथा खिलौनों का निर्यात विश्व के अधिकांश देशों को हो रहा है क्योंकि भारत अच्छे एवं सस्ते उत्पादों का निर्माण कर रहा है। उद्योग तेजी से नई प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है और उनको शामिल कर रहा है, तेजी से बदलते वैश्विक रुझानों को ध्यान में रखते हुए नई उत्पाद श्रेणियों में कदम रख रहा है। जब हम बाजार मांग तथा कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से हमारे देश की क्षमता, जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों पर नजर डालते हैं तो परिदृश्य बहुत सकारात्मक है।

संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य

एसजीईपीसी 22 जनवरी 1958 से कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी है जिसे खेल सामग्रियों एवं खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य और ध्येय भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुसरण में इस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। एसजीईपीसी का प्रबंधन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय निदेशक तथा प्रशासन समिति (सीओए) द्वारा किया जाता है, जिसमें भारतीय उद्योग से चयनित प्रतिनिधियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

एसजीईपीसी की गतिविधियों की रेंज में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो उद्योग के निष्पादन को प्रोत्साहित करती हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपस्थिति बढ़ाने में मदद करती हैं।

विजन एवं मिशन

भारत से खेल के सामानों एवं खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देना।

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां

भारतीय खेल सामग्रियों एवं खिलौनों का अब निर्यात 150 देशों को हो रहा है। खेल के सामानों और खिलौनों के निर्यात के लिए शीर्ष 10 गंतव्य यूके, यूएसए, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्पेन और कनाडा हैं। 38.03 करोड़ रुपए के कुल निर्यात के साथ पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 43 प्रतिशत और 97 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आयरलैंड और स्पेन शीर्ष 10 गंतव्यों की सूची में शामिल होने वाले नए देश हैं। उल्लेखनीय है कि उद्योग के सुझाव के अनुसार एसजीईपीसी ने उभरते बाजारों में बीएसएम का आयोजन किया जिससे लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम पहले की तरह शीर्ष पोजीशन पर बना हुआ है परंतु मूल्य की दृष्टि से निर्यात में 2.77 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई। भारत से इस क्षेत्र के कुल निर्यात के मूल्य में शीर्ष 10 गंतव्यों का योगदान 78 प्रतिशत है।

निर्यात उत्पादन के निर्यात संवर्धन तंत्र केन्द्र - एसईजेड और ईओयू

भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुसरण में एसजीईपीसी खेल के सामानों और खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों का आयोजन करता है।

एसजीईपीसी पूरे भारत से समान हित वाली कंपनियों के लिए एक साझा प्लेटफार्म है जहां विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वे मिल सकती हैं, संवर्धन के लिए साझी रणनीतियों पर निर्णय ले सकती हैं और जहां से वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने सरोकारों को मुखर कर सकती हैं।

एसजीपीईसी व्यापार संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय भागीदारी, व्यवसासय शिष्टमंडलों के दौरे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संवर्धनात्मक अभियान आदि।

एसजीईपीसी बाजार आसूचना, मानक एवं विनिर्देशन, गुणवत्ता एवं डिजाइन पर तथा किसी अन्य मुद्दे पर सदस्यों को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर सकता है जो सीधे या परोक्ष रूप में उद्योग को प्रभावित कर सकता है।

भारत सरकार को उद्योग की आवश्यकताओं पर फीडबैक प्रदान करके एसजीईपीसी उद्योग तथा भारत सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करता है और उद्योग को सरकार के निदेशों के बारे में सूचित करता है।

एसजीईपीसी अपने सदस्यों से निर्यात डाटा एकत्र करता है, खेल के सामानों एवं खिलौनों के निर्यात का सांख्यिकीय रिकार्ड तैयार करता है और वार्षिक आधार पर उसके निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

एसजीईपीसी निर्यातकों की उपलब्धियों को पहचान प्रदान करता है तथा हर साल शीर्ष निष्पादकों को पुरस्कृत करता है।

विशिष्ट एजेंसियां

खेल के सामानों और खिलौनों के निर्माण में प्रापण या बिक्री के लिए कतिपय प्राकृतिक सामग्रियों जैसे कि चुनिंदा प्रजातियों की लकड़ी के लिए विशिष्ट एजेंसियों को छोड़कर ढेर सारी विशिष्ट एजेंसियां शामिल नहीं हैं।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां

परिषद का संपूर्ण कार्य पारदर्शी है और सदस्यों के अनुमोदन से निर्णय लिए जाते हैं। सभी सदस्य सार्वजनिक सूचना या परिषद से संबंधित कोई अन्य सूचना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारत से निर्यात किए जाने वाले शीर्ष 5 खेल उत्पाद इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	उत्पाद	कुल निर्यात का प्रतिशत
1	हवा वाली गेंद और साजोसामान	24.69 प्रतिशत
2	क्रिकेट बाल एवं संरक्षी उपकरण	11.93 प्रतिशत
3	निवल	8.66 प्रतिशत
4	एथलेटिक गुड्स	7.92 प्रतिशत
5	मुक्केबाजी के उपकरण	4.87 प्रतिशत

भारत से खेल के सामान का आयात करने वाले 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	देश का नाम	कुल निर्यात में शेयर का प्रतिशत
1	यूनाइटेड किंगडम	26.40 प्रतिशत
2	यूएसए	17.74 प्रतिशत
3	आस्ट्रेलिया	13.86 प्रतिशत
4	जर्मनी	5.21 प्रतिशत
5	दक्षिण अफ्रीका	4.48 प्रतिशत

इंजीनियरिंग

ईईपीसी इंडिया

ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में गठित परिषद है। यह निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित कंपनी (लाभ न कमाने वाली कंपनी) है। ईईपीसी इंडिया विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं।

इंजीनियरिंग निर्यात का परिदृश्य

देश के कुल वस्तु निर्यात में इंजीनियरिंग निर्यात का शेयर 25 प्रतिशत और जीडीपी में 3 प्रतिशत से अधिक है। इंजीनियरिंग निर्यात ने पिछले राजकोषीय वर्ष 2016-17 की तुलना में 16.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017-18 में 76 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड निष्पादन के साथ 2011-12 से 2017-18 तक 4.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) प्राप्त किया। कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में देश के इंजीनियरिंग निर्यात का प्रतिशत 2011-12 में 19.3 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 25.2 प्रतिशत हो गया है।

2018-19 में अप्रैल से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान इंजीनियरिंग निर्यात का संचयी मूल्य 2017-18 की समान अवधि में 48.65 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 7.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 52.22 बिलियन अमरीकी डालर था।

33 इंजीनियरिंग पैनल में से 28 पैनल जिसके तहत उत्पादों का लगभग 85 प्रतिशत शामिल है, ने 2017-18 में समान अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान निर्यात में वृद्धि दर्ज की, जबकि शेष 5 पैनल ने निर्यात में गिरावट का प्रदर्शन किया। अप्रैल से नवंबर 2017 की अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर दर्ज करने वाले पैनल में एयरकंडीशन तथा रेफ्रिजरेटर (82.23 प्रतिशत), निकेल तथा उत्पाद (55.18 प्रतिशत), एक्युमुलेटर एवं बैटरी (49.97 प्रतिशत), क्रेन, लिफ्ट, विंच (38.86 प्रतिशत), इलेक्ट्रिकल मशीनरी (38.75 प्रतिशत), कार्यालय उपकरण (36.29 प्रतिशत), एल्युमिनियम एवं उत्पाद (31.16 प्रतिशत), रेलवे परिवहन (27.80 प्रतिशत), अन्य निर्माण मशीनरी (24.36 प्रतिशत), औद्योगिक मशीनरी जैसे कि बायलर, पार्ट्स आदि (24.57 प्रतिशत), प्राइम अभ्रक तथा अभ्रक उत्पाद (22.04 प्रतिशत), इलेक्ट्रोड एवं एक्युमुलेटर (20.88 प्रतिशत), तथा साइकिल एवं पार्ट्स (20.81 प्रतिशत) शामिल हैं।

क्षेत्रवार, दक्षिण एशिया ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान सर्वाधिक वृद्धि (19.45 प्रतिशत) दर्ज की जिसके बाद अफ्रीका (15.87 प्रतिशत), उत्तरी अमेरिका (15.32 प्रतिशत), सीआईएस (9.87 प्रतिशत), यूरोपीय संघ (8.38 प्रतिशत), मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया (4.35 प्रतिशत), लैटिन अमरीका (1.27 प्रतिशत), और आसियान+2 (0.41 प्रतिशत) का स्थान रहा।

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग

मेक इन इंडिया की ब्रांड इमेज, इंजीनियरिंग गुणवत्ता तथा भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों एवं सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करके निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में ईईपीसी इंडिया ने 2014 से ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान शुरू कर रहा है। यह पहल इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो वाणिज्य विभाग के अधीन न्यास है, की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात संवर्धन के अंग के रूप में ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान की रणनीति तैयार की गई है तथा 4 चिह्नित उत्पाद समूहों अर्थात पंप एवं वाल्व, चिकित्सा डिवाइस, विद्युत उपकरण, मशीनरी, एवं कंपोनेंट तथा

टेक्सटाइल मशीनरी के संबंध में तैयार किए गए कतिपय वैश्विक मानकों के आधार पर निर्यातकों का ई-कैटलाग तैयार किया गया है। ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग के कार्यान्वयन के लिए एक नई व्यापक एवं नवाचारी रणनीति भी तैयार की जा रही है।

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित प्रमुख इंजीनियरिंग कार्यक्रमों अर्थात आटोमकेनिका दुबई 2018 जो मध्य पूर्व में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आटोमोटिव विपणन पश्चात ट्रेड शो है, भारतीय उप महाद्वीप एवं अफ्रीका; बिग 5 2018 जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ी निर्माण प्रदर्शनी है; सबकॉन 2018 जो औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरण में यूके का अग्रणी उप संविदा व्यापार शो है; इंडी फिलीपींस 2018 जो फिलीपींस में मेटल कार्य की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है; और इंडी कोलंबिया 2018 जो लैटिन अमेरिका में सबसे विशिष्ट औद्योगिक कार्यक्रम है तथा अनेक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में ईईपीसी इंडिया की सार्वभौमिक उपस्थिति से गति पकड़ रहा है।

इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नति की पहल पिछले दो वर्षों में ईईपीसी इंडिया की साझेदारी में वाणिज्य विभाग उच्चतर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखने के उपायों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। प्रमुख पहलों में से एक इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन को संभव बनाना है। अधुनातन निर्यात उन्मुख प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अग्रणी आर एंड डी लैब तथा उद्योग के बीच अंतर को समाप्त करके इसका प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए आर एंड डी सहायता हेतु उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को चिह्नित करने हेतु विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी बैठकों / उद्योग - शैक्षिक संस्था वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में उद्योग जगत को संवेदनशील बनाना तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप उद्योग जगत की आवश्यकताओं के आधार पर प्रौद्योगिकी विकास की पहलों को लागू करना है। वाणिज्य विभाग, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय तथा ईईपीसी इंडिया इस प्रयास में संयुक्त रूप से साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

चुनौतियों को दूर करने तथा हाई इंड प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादकों एवं निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल का सृजन करने के लिए वाणिज्य विभाग ने बंगलौर (पूर्णत: क्रियाशील) और कोलकाता (जनवरी 2019 तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है) में ईईपीसी इंडिया के प्रौद्योगिकी केन्द्र को वित्त पोषित भी किया है। उत्कृष्टता केन्द्र इंजीनियरिंग उद्योग के लिए सभी प्रौद्योगिकी समाधानों के लिए एकल खिड़की प्लेटफार्म प्रदान करेगा।

उपर्युक्त के अलावा परिषद के सदस्यों को मूल्य अभिवृद्धि की सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी संसाधनों के डिजिटीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। इस संबंध में भारत सरकार की योजनाओं पर एक ई-कंपेंडियम तथा शैक्षिक संस्थाओं के आर एंड डी लैब द्वारा उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की निर्देशिका का संकलन पूरा हो गया है तथा यह ईईपीसी इंडिया की वेबसाइट (https://www.eepcindia.org/) पर उपलब्ध है।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां

वाणिज्य विभाग ईईपीसी इंडिया के माध्यम से निर्यात संवर्धन के विभिन्न कार्य करता है। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन करने और ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग द्वारा यथा प्रचारित विदेशी क्रेताओं को सही मूल्य प्रदान करने के लिए इन गतिविधियों में भारत में क्रेता - विक्रेता बैठक तथा भारत में उत्पाद विशिष्ट सेमिनार / सम्मेलन, निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आदि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो - आईईएसएस का आयोजन, भारत के बाहर अनन्य इंडिया इंजीनियरिंग एग्जिबीशन (इंडी) का आयोजन, चुनिंदा देशों में उत्पाद विशिष्ट शिष्टमंडल भेजना, विभिन्न उत्पाद विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो *(आईईएसएस) :* यह इंजीनियरिंग क्षेत्र में वाणिज्य विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा इसे इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए, विशेष रूप से

एमएसएमई के लिए भारत के आयोजित सबसे बड़े सोर्सिंग शो के रूप में माना जाता है। इस कार्यक्रम के 7वें संस्करण का आयोजन मार्च 2018 में चेन्नई में हुआ जिसमें सार्क, आसियान, अफ्रीका, यूरोपीय संघ, सीआईएस तथा उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका से 300 से अधिक प्रदर्शकों एवं 450 विदेशी क्रेताओं ने भाग लिया। शो के 8वें संस्करण का आयोजन 14 से 16 मार्च 2019 के दौरान चेन्नई में किया जा रहा है।

भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (इंडी) : ईईपीसी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (इंडी) का आयोजन करता है जो भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र पर पूर्णत: केन्द्रित होती है। इंडी की शुरुआत 1997 में हुई तथा अब तक पूरे विश्व में इस कार्यक्रम के 40 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। इंडी विदेश में भारत के महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा मौजूदा / नए बाजारों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्लेटफार्म के रूप में उभरा है।

इंडी के 39वें संस्करण का आयोजन 22 से 25 अगस्त 2018 तक फिलीपींस में हुआ जिसमें 100 से अधिक भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के 40वें संस्करण का आयोजन फेरिया इंटरनेशनल डी बगोटा 2018 के साथ कोलंबिया में 24 से 26 सितंबर 2018 के दौरान हुआ जो कोलंबिया में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में भारत को 'पार्टनर कंट्री' का दर्जा प्रदान किया गया था तथा इंडी के इस संस्करण में 75 से अधिक भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों ने भाग लिया था।

उपर्युक्त के अलावा वाणिज्य विभाग चिकित्सा डिवाइस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में भी सबसे आगे है। ईईपीसी इंडिया द्वारा ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान में चिकित्सा डिवाइसों को ब्रांड इंडिया इक्विटी फाउंडेशन के परामर्श से शामिल किया जाता है।

भारत चिकित्सा डिवाइसों, उपकरणों तथा फार्मा मशीनरी के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत में चिकित्सा डिवाइस एक उदीयमान उद्योग है जिसने 15 प्रतिशत का सी ए जी आर दर्ज किया है। चिकित्सा डिवाइस सेक्टर में चिकित्सा पर्यटन एक अन्य आला सेगमेंट है जो भारत को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में ईईपीसी इंडिया ने दिसंबर 2018 में बेंगलुरू में हाल ही में फिक्की द्वारा आयोजित एडवांटेज हेल्थ केयर एग्जिबीशन में विदेशी प्रायोजित क्रेताओं तथा संभावित घरेलू निर्यातकों के साथ रिवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक (आरबीएसएम) का आयोजन किया।

अपने नियमित एजेंडा का विस्तार करने के लिए ई ई पी सी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय रुझानों एवं अवसरों के बारे में अपने सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए अनेक रिपोर्टों / अध्ययनों को प्रकाशित करता है ताकि वैश्विक स्तर पर उनकी उपस्थिति में वृद्धि हो सके।

भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई)

भारत से काजू करनेल, काजू की गिरी शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काजू प्रसंस्करण उद्योग के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई। अपने सेटअप के माध्यम से परिषद विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक संस्थानिक रूपरेखा प्रदान करती है जो काजू की गिरी, काजू शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित एवं तेज करते हैं।

परिषद विस्तृत अध्ययन करती है और काजू के संभावित बाजारों से संबंधित व्यापार सूचना तथा अन्य ब्यौरे एकत्र करती है और उनको निर्यातकों को उपलब्ध कराती है। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त व्यापारिक पूछताछ का भी जवाब देती है तथा उनको अपने सदस्यों को अंतरित करती है। काजू एवं काजू उत्पादों पर वैश्विक व्यापार सूचना को नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है।

परिषद समय समय पर विदेशों में विभिन्न बाजारों का आन स्पाट अध्ययन करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों एवं अध्ययन टीमों को प्रायोजित करती है। ये टीमें वापस आने पर विजिट किए गए बाजारों, उसकी संभावना तथा रुझानों पर अपनी

रिपोर्टें प्रस्तुत करती हैं जो संदर्भ सामग्री के रूप में काम करती है तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आधार भी प्रदान करती है। इन टीमों / प्रतिनिधियों द्वारा बाजार के संबंध में एकत्र की गई सूचना व्यापार / उद्योग को प्रदान की जाती है।

काजू की गिरी का निर्यात निष्पादन :

वर्ष 2017-18 के दौरान काजू तथा संबद्ध उत्पादों से निर्यात आय 5,904 करोड़ रुपए (916 मिलियन अमरीकी डालर) थी। 2017-18 के दौरान निर्यात की गई काजू की गिरी की कुल मात्रा में से 17.16 प्रतिशत निर्यात अमेरिकी क्षेत्र को, 0.50 प्रतिशत अफ्रीकी क्षेत्र को, 27.49 प्रतिशत यूरोपीय क्षेत्र को, 0.32 प्रतिशत ओसियानिक क्षेत्र को, 16.21 प्रतिशत दक्षिण पूर्व तथा सुदूरपूर्व एशिया क्षेत्र को और 38 प्रतिशत पश्चिम एशिया क्षेत्र को किया गया।

2017-18 के दौरान भारत से काजू की गिरी का कुल निर्यात 84352 मीट्रिक टन था जिसका मूल्य 5870.97 करोड़ रुपए (911 मिलियन अमरीकी डालर) था और इस प्रकार 2016-17 के दौरान 82302 मीट्रिक टन काजू की गिरी के निर्यात की तुलना में मात्रा की दृष्टि से निर्यात में 2.5 प्रतिशत और रुपए में मूल्य की दृष्टि से 14 प्रतिशत (2016-17 के दौरान निर्यात का मूल्य 5168.78 करोड़ रुपए (771 मिलियन अमरीकी डालर था) की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान भारत से काजू नट सेल लिक्विड (सीएसएनएल) / कार्डानोल का निर्यात 8325 मीट्रिक टन था जिसका मूल्य 33 करोड़ रुपए (5 मिलियन अमरीकी डालर) था। 2016-17 के दौरान काजू नट सेल लिक्विड के 44 करोड़ रुपए (7 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य के 11422 मीट्रिक टन के निर्यात की तुलना में मात्रा की दृष्टि से 27 प्रतिशत और रुपए में मूल्य की दृष्टि से 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

काजू की कच्ची गिरी का घरेलू उत्पादन एवं आयात

भारत काजू की कच्ची गिरी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। 2016-2017 के दौरान 7,79,335 मीट्रिक टन के अनुमानित उत्पादन के विरुद्ध 2017-18 के दौरान भारत में काजू की कच्ची गिरी का उत्पादन 8,17,045 मीट्रिक टन था। 2016-17 के दौरान 8,839.42 करोड़ रुपए के मूल्य पर 7,70,446 मीट्रिक टन के आयात की तुलना में 2017-18 के दौरान भारत में 8,850.03 करोड़ रुपए के मूल्य पर काजू की कच्ची गिरी का कुल आयात 6,49,050 मीट्रिक टन था। 2017-18 के दौरान काजू की कच्ची गिरी के आयात का यूनिट मूल्य 136.35 रुपए प्रति किलो था जबकि पिछले वर्ष (2016-17) के दौरान यह 114.73 रुपए प्रति किलो था।

परिषद ने काजू का सेवन करने के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी लाभों के बारे में अवगत कराने के लिए भारत एवं विदेश में अनुसंधान अध्ययन भी शुरू किया है।

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) का अधिदेश तिलहन, तेल और खली के निर्यात का विकास एवं संवर्धन करना है। भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, जो पहले आई ओ पी ई ए के नाम से विख्यात था, पिछले 6 दशकों से निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है। निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा परिषद भारत में तिलहनों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसानों, शेलर, प्रोसेसर, सर्वेयर एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में भी काम कर रही है। परिषद का अध्यक्ष इसका मुखिया है।

परिषद तिलहनों, खाद्य तेलों, खली तथा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन अन्य उत्पादों पर अधिक जोर देती है। परिषद भारत में पैदा होने वाले तिलहनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार लाने की दिशा में काम करती है ताकि वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं से तालमेल स्थापित किया जा सके।

परिषद भारतीय किसानों में अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करती है तथा एच ए सी सी पी एवं अच्छी विनिर्माण प्रथाएं (जीएमपी) अपनाने के लिए प्रसंस्करण यूनिटों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करती है।

आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा व्यापार एवं उद्योग के हितधारकों जैसे कि निर्यातकों, प्रोसेसर्स, व्यापारियों, दलालों तथा तिलहन एवं तेल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं में गुणवत्ता के मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। <u>अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं सम्मेलनों में भागीदारी :</u>

<u>तिल सम्मेलन, चीन (I) :</u>

<u>मूंगफली तथा तिल सम्मेलन, किंगदाओ, चीन :</u>

चाइना चैम्बर्स ऑफ कामर्स फॉर इंपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ऑफ फूड स्टफ, नेटिव प्रोड्यूस एण्ड एनिमल बाई प्राडक्ट (सी एफ एन ए) द्वारा चीन के किंगदाओ प्रांत में 12 से 14 सितंबर 2018 के दौरान मूंगफली तथा तिल सम्मेलन का आयोजन किया गया। आईओपीईपीसी की ओर से श्री संजय शाह, अध्यक्ष ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा विश्व बाजार में तिल के अच्छे आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों के साथ अनेक चर्चाओं का आयोजन किया। तिल पर अनेक प्रख्यात हस्तियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। श्री संजय शाह ने "इंडियन सीसेम सीड आउटलुक फॉर 2018/19" और "इंडियन ग्राउंडनट आउटलुक फॉर 2018/19" पर प्रस्तुतियां दी।

महाबलीपुरम, तमिलनाडु में वार्षिक व्यापार बैठक :

26 से 28 अक्टूबर 2018 के दौरान महाबलीपुरम, तमिलनाडु में आईओपीईपीसी की वार्षिक व्यापार बैठक हुई जिसमें उद्योग एवं व्यापार जगत से 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वार्षिक व्यापार बैठक ने व्यापार, उद्योग के सदस्यसों, विनियामकों, वैज्ञानिकों तथा सरकारी संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने, समाधान करने तथा संस्थानीकृत मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को उत्कृष्ट मंच प्रदान किया।

श्री डी के शेखर, क्षेत्रीय अपर डीजीएफटी, चेन्नई मुख्य अतिथि थे।

भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, यूके से तिलहन व्यापार एवं उद्योग के विशेषज्ञों ने बाजारों, उत्पादन, मांग एवं आपूर्ति तथा तिल एवं मूंगफली के मूल्य की भविष्यवाणी पर समग्र विचार प्रस्तुत किया। "पारिवारिक व्यवसाय - उत्तरजीविता तथा अगली पीढ़ी के लिए सुझाव" तथा "निर्यात क्रेडिट जोखिम प्रबंधन" पर प्रख्यात भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। आईओपीईपीसी के अधिकारियों / कर्मचारियों ने भी भारतीय तिल परिदृश्य के साथ वैश्विक एवं भारतीय मूंगफली परिदृश्य पर बहुत सूचनापरक विचार प्रस्तुत किया।

तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सूडान

परिषद ने 18 नवंबर 2018 को खारतूम, सूडान में सूडान चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा तिलहन पर आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। श्री संजय शाह, अध्यक्ष, आईओपीईपीसी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारतीय तिल पर प्रस्तुति दी।

दालों, तिलहनों तथा मसालों पर सम्मेलन, इथोपिया : अदिस अबाबा, इथोपिया में 23 और 24 नवंबर 2018 को दालों, तिलहनों और मसालों पर आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए इथोपियाई दाल, तिलहन और मसाला प्रसंस्करण निर्यातक संघ (ईपीओएसपीईए) द्वारा परिषद को आमंत्रित किया गया है। श्री खुशवंत जैन, उपाध्यक्ष, आईओपीईपीसी ने परिषद का प्रतिनिधित्व किया तथा भारत से तिल के निर्यात को बढ़ाने पर केन्द्रित उत्कृष्ट प्रस्तुति दी।

<u>लाजिस्टिक्स</u>

18 अक्टूबर, 2017 को मंत्रिमंडल सचिवालय में लाजिस्टिक्स पर आयोजित सचिव समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सीबीआईसी, डाक विभाग, पीजीए (पादप एवं पशु संगरोध, औषधि नियंत्रक, डब्ल्यूसीसीबी, एफएसएसएआई, परिधान समिति आदि) से संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों के साथ लाजिस्टिक्स पर एक अंतर मंत्रालयी समिति का

गठन किया गया। आयात - निर्यात माल तथा महत्वपूर्ण घरेलू वस्तुओं जैसे कि स्टील एवं सीमेंट दोनों के लिए लाजिस्टिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आईएमएससीएल की अब तक 5 बैठकों का आयोजन किया गया है। आईएमएससीएल की इन बैठकों में लिए गए निर्णयों से आयात - निर्यात की अनेक प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है जिससे बंदरगाह पर ठहराव का समय घटा है तथा बंदरगाहों पर अवसंरचना में सुधार भी हुआ है।

लाजिस्टिक्स प्रभाग द्वारा समेकित लाजिस्टिक्स ई-मार्केट प्लेस पर संकल्पना प्रमाण (पीओसी) का विकास किया गया है तथा 25 जुलाई, 2018 को सचिव समिति को प्रस्तुत किया गया जिसकी बहुत प्रशंसा की गई। समेकित लाजिस्टिक्स पोर्टल पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है तथा आईटी पार्टनर का चयन करने के लिए 15 दिसंबर 2018 तक आरएफपी जारी किया जाएगा, जो पोर्टल के पूर्ण विकसित संस्करण का विकास करेगा।

मौजूदा बहुमाडल माल परिवहन अधिनियम 1993 को निरस्त करने तथा उसे एमएमटीजी विधेयक, 2018 से प्रतिस्थापित करने के लिए 6 अगस्त 2018 को मंत्रिमंडल सचिवालय को एक मंत्रिमंडल नोट भेजा गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रारूप एमएमटीजी विधेयक अनुमोदित कर दिया गया है। पीएमओ के निर्देशों के अनुसार प्रारूप विधेयक को अब मंत्री समूह के पास भेजा गया है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2018 से युक्त प्रारूप मंत्रिमंडल नोट अंतर्मंत्रालयी चर्चा के लिए 27 जुलाई 2018 को परिचालित किया गया है।

रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, राजस्व विभाग, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से इनपुट प्राप्त करने के लिए प्रारूप बहुमाडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) नीति उनको परिचालित की गई है। इसके बाद एमएमएलपी नीति पर प्रारूप मंत्रिमंडल नोट परिचालित किया जाएगा।

लॉजिस्टिक्स से संबंधित मुद्दों पर इनपुट प्राप्त करने, सहयोगात्मक गतिविधियों जैसे कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि का संचालन करने के लिए एक संस्थानिक तंत्र की स्थापना के लिए 16 जनवरी 2018 को सीआईआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आईआईएफटी के दिल्ली और कोलकाता कैंपस में व्यापार सुगमता एवं लॉजिस्टिक्स केन्द्र (सीटीएफएल) की स्थापना के लिए 30 जुलाई 2018 को आईआईएफटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीटीएफएल लॉजिस्टिक्स के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, लॉजिस्टिक्स पर डाटा बैंक का विकास एवं अनुरक्षण करेगा, व्यापार सुगमता एवं लॉजिस्टिक्स से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करेगा और दोनों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित करेगा। आईआईएफटी के दिल्ली कैंपस में सीटीएफएल सेंटर का कार्य पूरा होने के कगार पर है और 15 दिसंबर 2018 तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है।

जीआईएस आधारित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स विश्लेषण उपकरण पर संकल्पना प्रमाण तैयार किया गया है। नीति निर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए इस उपकरण के पूर्ण विकसित संस्करण का विकास करने के लिए 15 जनवरी 2019 तक आरएफपी जारी किया जाएगा।

इस प्रभाग ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सरलता (लीड्स-2018) रिपोर्ट का विकास करने का कार्य शुरू कर दिया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा 30 जुलाई 2018 को एनआईडी अहमदाबाद द्वारा तैयार किए गए लॉजिस्टिक्स लोगो का विमोचन किया गया।

लॉजिस्टिक्स प्रभाग के हस्तक्षेपों के फलस्वरूप विभिन्न हितधारक मंत्रालयों द्वारा निम्नलिखित नीतिगत पहलें शुरू की गई हैं : -

- वित्त पोषण के लिए ऋण लेने की उदार शर्तों को अनुमत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा माल गोदाम, कोल्ड चेन तथा एमएमएलपी जैसे लॉजिस्टिक्स को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है।
- जहाजरानी मंत्रालय द्वारा अनुतट व्यापार में छूट प्रदान की गई है, जो अब विदेशी

ध्वज वाहक वेजल्स को भारतीय बंदरगाहों के बीच घरेलू कार्गो ले जाने की अनुमति प्रदान करेगा। इससे तटीय जहाजरानी के माध्यम से परिवहन की लागत काफी कम होगी और ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

- शिपिंग लाइनों को अब आईपीए / एमओएस वेबसाइट पर लिंक के साथ अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपने प्रभारों तथा संगत ब्रेकडाउन को प्रदर्शित करना होगा।
- जेएनपीटी पर निर्यात ठहराव समय 2016-17 से 2017-18 के बीच औसतन 80.28 घंटे से कम होकर 77.8 घंटे हो गया है।
- जेएनपीटी पर आयात के लिए सीमा शुल्क निर्मुक्ति समय 2016-17 से 2017-18 के बीच औसतन 35.35 घंटे से कम होकर 33.21 घंटे हो गया है।
- जेएनपीटी पर आरएमएस आरएमएस की सहायता से आईसीडी टीकेडी पर आगम पत्र का शेयर 2016-17 से 2017-18 के बीच औसतन 55 प्रतिशत बढ़कर से 60 प्रतिशत और 46 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया है।
- आयात - निर्यात व्यापार को सरल बनाने के लिए अब साझेदार सरकारी एजेंसियों जैसे कि पादप संगरोध, वन्यजीव अपराध नियंत्रण, एफएसएसएआई, डीसीजीआई, आदि को स्विफ्ट के साथ एकीकृत किया गया है।
- अब 1 मई 2018 से विजुअल निरीक्षण और नमूना चयन के अधीन आयातक एफएसएसएआई के साथ बांड के अधीन सड़नशील एवं पैकेज्ड माल का आयात कर सकते हैं।
- अब 21 मार्च 2018 से ऐसे विनिर्माता द्वारा कंसाइनमेंट के निर्यात के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं है जो औषधि एवं कास्मेटिक अधिनियम तथा नियमावली के तहत वैध लाइसेंस के धारक हैं।
- दोहरे प्रयोग की तथा औषधि से भिन्न प्रयोजनों के लिए आयातक द्वारा घोषित औषधियों के आयात के लिए 20 अप्रैल 2018 से अग्रेतर एनओसी के लिए उसे सीमा शुल्क प्राधिकारियों को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी)

दूरसंचार उपकरण एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) का गठन किया गया है। यह परिषद निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से अनेक कार्य करती है जैसे कि संभावित बाजारों की तलाश करने के लिए अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपना, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन करना और विभिन्न विदेशी प्रदर्शनियों में निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाना।

वैश्विक प्रदर्शनियों में भागीदारी :

- 26 जून से 28 जून 2018 तक कनेक्ट टेक एशिया 2018, सिंगापुर
- 22 से 23 मई 2018 तक इंडो अफ्रीका आईसीटी एक्सपो 2018, लागोस, नाइजीरिया
- 27 और 28 सितंबर 2018 को हनोई, वियतनाम में इंडिया आसियान आईसीटी एक्सपो 2018
- दुबई, यूएई में 14 से 18 अक्टूबर 2018 तक गिटेक्स टेक्नोलॉजी वीक 2018 आयोजित होने वाले कार्यक्रम :
- नई दिल्ली में फरवरी 2019 के दौरान इंडिया टेलीकॉम 2019

भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसीसी) जो सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संवर्धन परिषद है, परियोजना निर्यात को सुगम

बनाने के लिए शीर्ष समन्वयन एजेंसी है जिसमें निम्नलिखित माड्यूल में विदेशी संविदाकृत परियोजनाएं शामिल हैं :

- सिविल निर्माण की परियोजनाएं;
- टर्नकी परियोजनाएं जिसमें इंजीनियरिंग, प्रापण तथा निर्माण (संकल्पना से लेकर अधिष्ठापन तक) शामिल हैं तथा अनिवार्य रूप से इन टर्नकी परियोजनाओं के लिए सिविल कार्य / निर्माण तथा सभी आपूर्तियां शामिल हैं
- प्रक्रिया तथा इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं
- परियोजना निर्माण की वस्तुएं (स्टील एवं सीमेंट को छोड़कर)
  - निर्माण इंजीनियरिंग के उत्पाद (फिटिंग एवं फिक्सचर / सामग्री)
  - निर्माण उपकरण एवं साजो सामान
  - अन्य परियोजना माल

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति की रूपरेखा के अंदर तथा उनके ज्ञापन पी ई एम (परियोजना निर्यात मैनुअल) में यथा उल्लिखित विदेशी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में विदेशों में परियोजनाएं प्राप्त करने एवं निष्पादित करने के लिए भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए शीर्ष समन्वय एजेंसी के रूप में काम करती है।

इलेक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ई एस सी)

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ई एस सी) का अधिदेश इलेक्ट्रानिक्स, दूर संचार, कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा आई टी समर्थित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात संवर्धन परिषद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों को कई तरह की सेवाओं की पेशकश करती है। निर्यात संवर्धन परिषद इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन एक स्वायत्त सोसाइटी है।

ई एस सी की कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं इस प्रकार हैं**:**

- वैश्विक ट्रेड शो / प्रदर्शनी एवं सम्मेलनों में भागीदारी को सुगम बनाना।
- विदेशी बाजारों में बाजार अनुसंधान / अध्ययन तथा प्रचार अभियान संचालित करना।
- क्रेता - विक्रेता बैठकों के माध्यम से ई एस सी भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच कारोबारी इंटरफेस को सुगम बनाती है तथा भारतीय इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर साफ्टवेयर एवं आई टी कंपनियों के लिए नए कारोबारी साझेदारों की तलाश करती है।
- विदेश व्यापार को सुगम बनाने के लिए ई एस सी डाटा सर्च के लिए आनलाइन सुविधा प्रदान करती है।

वैश्विक प्रदर्शनियों में भागीदारी : ईएससी ने निम्नलिखित वैश्विक व्यापार मेलों में भारतीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी कंपनियों की भागीदारी की व्यवस्था की :

- आईसीटी एक्सपो, 13 - 16 अप्रैल 2018, हांगकांग
- इंडो - सीआईएस आईसीटी एक्सपो, 24 - 27 अप्रैल 2018, रूस
- सेबिट 12 - 15 जून, 2018, हनोवर, जर्मनी
- मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 12 - 14 सितंबर 2018, यूएसए
- गिटेक्स - दुबई, 14 - 18 अक्टूबर 2018, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
- जापान आईटी सप्ताह 2017, 24 - 26 अक्टूबर 2018, टोकियो, जापान
- इलेक्ट्रोनिका, 13 - 11 नवंबर 2018, म्यूनिख, जर्मनी

  आयोजित होने वाले कार्यक्रम :
- इंडिया इलेक्ट्रानिक्स एण्ड साफ्टवेयर एक्सपो 2019 (इंडियासाफ्ट - इंडिया इलेक्ट्रानिक्स एक्सपो और ग्लोबल साफ्ट) 4 और 5 फरवरी 2018, हैदराबाद
- क्लाउड एक्सपो, 12 - 13 मार्च 2019,

  यूके घरेलू गतिविधियां :

(i) माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने मई 2018 के दौरान नई दिल्ली में भारत के इलेक्ट्रानिक्स एवं साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ाने के लिए ईएससी के रणनीति कागजात तथा व्यवसाय योजना का विमोचन किया।

(ii) नई दिल्ली में 10 जुलाई 2018 को भारत ' कोरिया आईसीटी नेटवर्क बैठक में सदस्यों की भागीदारी की व्यवस्था की।

(iii) ईएससी ने 20 जुलाई 2018 को गोवा में गोवा टेक एसोसिएशन के साथ मिलकर निर्यात के अवसरों तथा सरकारी योजनाओं पर प्रस्तुति दी।

(iv) ईएससी ने 24 अगस्त 2018 को भुवनेश्वर में उभरते बाजारों में आईटी अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया।

(v) 7 अगस्त 2018 को वाणिज्य विभाग को " भारत में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग तथा समय की मांग" पर पेपर प्रस्तुत किया। पेपर में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए डब्ल्यूटीओ का अनुपालन करने वाली प्रोत्साहन योजनाएं शामिल थीं।

(vi) ईएससी ने 31 अगस्त 2018 को चंडीगढ़ में "पंजाब स्टार्टअप समिट : प्रतिभा का उपयोग करने वाले नवाचार का पोषण करना" का आयोजन किया। स्टार्टअप समिट का उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप के विकास के लिए संपूर्ण इको सिस्टम का विकास करना था।

(vii) प्रारूप निजी डाटा संरक्षण विधेयक 2018 पर चर्चा करने के लिए 26 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में ईएससी हाउस में हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।

(viii) कलडास में भारतीय आईटी कंपनियों के लिए व्यवसाय के अवसरों तथा संस्थानिक सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए 5 सितंबर 2018 को कलडास (कोलंबिया) के आईटी शिष्टमंडल ने नई दिल्ली स्थित ईएससी हाउस का दौरा किया।

(ix) गोवा टेक्नोलॉजी एसोसिएशन तथा गोवा चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से ईएससी ने 9 अक्टूबर 2018 को गोवा में आईसीटी उद्योग के लिए निर्यात के अवसरों पर एक प्रस्तुति का आयोजन किया।

(x) ईएससी ने अक्टूबर 2018 के दौरान मुंबई, बेंगलुरू और नई दिल्ली में ईएससी सदस्यों के साथ कोलंबिया से बोलीवार ग्रुप की बैठकों का समन्वय किया।

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

अध्याय 6: वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

I. एशिया के साथ व्यापार

1. आसियान क्षेत्र

भारत ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध कायम करने की दृष्टि से 1991 में अपनी पूर्वी की ओर देखो नीति की घोषणा की थी। पूरब की ओर देखो नीति के आर्थिक पहलू की ओर ध्यान देने को मद्देनजर रखते हुए आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन) देशों नामत: ब्रुनेई, दारूस्सेलम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी डी आर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ निरंतर वार्ताएं की जाती हैं। पूरब की ओर देखो नीति के एजेंडा को पूरा करने के उद्देश्य से शिखर बैठक स्तरीय कार्यक्रमों, मंत्री स्तरीय बैठकों तथा अधिकारियों के स्तर पर चर्चाओं का आयोजन किया जाता है।

- ✓ सिंगापुर**:** हमने नवंबर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच सामरिक साझेदारी पर जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में सिंगापुर के साथ व्यापार एवं निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। 10 मई 2016, 10 अगस्त 2016 और 24 अक्टूबर 2016 को संयुक्त कार्य समूह की तीन बैठकें हुई हैं।
- ✓ भारत और सिंगापुर में भारत और सिंगापुर सीईसीए की दूसरी समीक्षा संयुक्त रूप से पूरी की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान 1 जून 2018 को दोनों पक्षों द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। भारत और सिंगापुर निम्नलिखित के लिए सहमत हुए हैं : i) टैरिफ रियायतों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना; ii) उत्पत्ति के नियमों को उदार बनाना; iii) डी मिनिमिस प्रावधान को शामिल करना; और v) नए उत्पाद विशिष्ट नियम। ये सुधार हमारे व्यापारियों को अधिक लोच प्रदान करेंगे तथा इससे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। दोनों देश अगली समीक्षा में ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए सहमत हुए जिन पर और बातचीत की आवश्यकता है।
- ✓ 15वें एईएम - भारत परामर्श के दौरान अतिरिक्त समय में भारत और सिंगापुर ने 1 सितंबर 2018 को भारत - सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) की तीसरी समीक्षा शुरू की। तीसरी समीक्षा का उद्देश्य दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए सीईसीए के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है। सीईसीए की व्यापक समीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि यह अपटूडेट करार बना रहे जो भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करता है।
- ✓ एमआरए पर हस्ताक्षर : भारतीय नर्सिंग परिषद तथा सिंगापुर नर्सिंग बोर्ड ने नर्सिंग के क्षेत्र के व्यावसायिकों की आवाजाही को सुगमन बनाने तथा नर्सिंग के प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिस को विनियमित करने में एक दूसरे के मानकों को बेहतर समझने के लिए नर्सिंग पर परस्पर मान्यता करार पर भी हस्ताक्षर किए।

  सिंगापुर ने एमआरए के तहत 7 भारतीय नर्सिंग केन्द्रों को मान्यता प्रदान की जिससे सिंगापुर के स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र में भारतीय नर्सों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे भारत के लिए आसियान में अन्य देशों के साथ समान व्यवस्थाएं करने का भी मार्ग प्रशस्त होगा।
- ✓ म्यांमार **:** म्यांमार - भारत व्यवसाय गोष्ठी तथा गोलमेज की दूसरी बैठक 22 मार्च, 2018 को यंगून, म्यांमार में हुई। इसमें श्री सी आर चौधरी, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री तथा डॉ. थान मिंट, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री, म्यांमार सरकार ने भाग लिया।
- ✓ ब्रुनेई **:** भारत और ब्रुनेई के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक 15 सितंबर 2018 को बंडार सेरी बेगावन, ब्रुनेई में हुई।

2. दक्षिण एशिया

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। नेपाल और भूटान के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जबकि भारत के लिए दक्षिण एशिया में बंगलादेश सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जिसके बाद नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव का स्थान है। दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में काफी झुका है।

अफगानिस्तान

दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अफगानिस्तान और भारत के बीच सामरिक साझेदारी करार के तहत वाणिज्य सचिव के स्तर पर दोनों देशों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) काम कर रहा है। संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक 25 अक्टूबर 2018 को काबुल में हुई जिसमें द्विपक्षीय व्यापार एवं संपर्क से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे कि एक दूसरे के भूभाग में भूमि आधारित पारगमन, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से संपर्क, एयर फ्रेट कोरिडोर, फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए बाजार पहुंच तथा रफ जेम स्टोन की खरीद आदि पर चर्चा हुई।

बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विस्तार का प्रावधान हैं परंतु यह एक देश से दूसरे देश में उत्पादों के आयात के लिए कोई तरजीही टैरिफ निर्धारित नहीं करता है। शराब और तंबाकू से संबंधित 25 टैरिफ लाइनों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों के लिए भारत ने साफ्टा के सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) सदस्यों को जीरो ड्यूटी पहुंच प्रदान की है। एक एलडीसी देश होने के कारण बांग्लादेश को साफ्टा के तहत भारतीय बाजारों में तरजीही पहुंच का लाभ प्राप्त है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 25 से 27 सितंबर 2018 तक ढाका का बहुत ही सफल दौरा किया। बंगलादेश के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक में दोनों देशों ने आपसी हित के व्यापार, निवेश एवं संपर्क से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की जिसमें अन्य बातों के साथ माल, सेवा एवं निवेश को शामिल करते हुए एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) करने की संभावनाओं पर संयुक्त अध्ययन संचालित करना, व्यापार एवं निवेश से संबंधित मुद्दों पर नीति स्तरीय इनपुट प्रदान करने के लिए भारत - बंगलादेश सीईओ फोरम का तेजी से गठन करना, दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार अवसंरचना विकास में वृद्धि करना, बंगलादेश के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना आदि शामिल थे।

भूटान

व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन पर करार द्वारा भारत और भूटान के बीच व्यापार अभिशासित है जिसमें दोनों देशों के बीच नि:शुल्क व्यापार विहित किया गया है। भूटान से किसी उत्पाद के आयात या भूटान को निर्यात पर कोई बुनियादी सीमा शुल्क नहीं लगता है। इसके अलावा व्यापार भारतीय रुपए तथा भूटानी मुद्रा (नगुलट्रम्स) में होता है। तीसरे देशों के साथ इसके व्यापार तथा भूटान के एक भाग से दूसरे भाग में भारतीय सीमा के माध्यम से माल की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए करार में भूआबद्ध भूटान के लिए पारगमन की सुविधाओं का भी प्रावधान है।

17 और 18 मई 2018 को थिंपू, भूटान में वाणिज्य सचिव के स्तर पर भारत और भूटान के बीच व्यापार एवं पारगमन से संबंधित मुद्दों पर बैठक हुई जिसमें व्यापार एवं पारगमन से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई जैसे कि रेलवे के माध्यम से भूटान के ट्रांजिट व्यापार के लिए नेपाल के साथ इंट्री प्वाइंट खोलना, पादप उत्पादों के आयात के लिए अतिरिक्त इंट्री प्वाइंट, भारतीय व्यापारियों की समस्याएं आदि।

भूटान के अनुरोध पर तथा द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए नए भूमि सीमा शुल्क केन्द्र (एलसीएस) अधिसूचित किए गए हैं। सीमापारीय बिंदुओं पर अवसंरचना एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों की पहचान और समाधान करके भूटान से खाद्य वस्तुओं तथा पादप एवं पादप उत्पादों के

निर्यात को सुगम बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

जीएसटी के लागू होने के कारण द्विपक्षीय व्यापार एवं पारगमन को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जिन्हें भूटान द्वारा चिह्नित किया गया, का विश्लेषण एवं समाधान करने के प्रयास किए गए हैं।

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत - नेपाल व्यापार संधि द्वारा अभिशासित होता है जिसे पिछली बार 27 अक्टूबर 2016 को 7 साल की अगली अवधि के लिए नवीकृत किया गया। संधि के तहत भारत ने तंबाकू, पर्फ्यूम तथा कास्मेटिक एवं अल्कोहल से संबंधित कुछ उत्पादों को छोड़कर नेपाल से आयात किए जाने वाले लगभग सभी उत्पादों को ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान किया है। नेपाल से चार उत्पादों अर्थात वानस्पतिक वसा, एक्रिलिक यार्न, कॉपर के उत्पादों तथा जिंक आक्साइड के आयात पर कुछ टैरिफ रेट कोटा लागू है। दोनों देश व्यापार संधि की व्यापक समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं। समीक्षा के लिए पहली बैठक अगस्त 2018 में हुई थी तथा समीक्षा से संबंधित बुनियादी मुद्दों की पहचान की गई।

श्रीलंका

भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) 1 मार्च 2000 से प्रचालन में है। इस करार के तहत दोनों देश एक दूसरे की नकारात्मक सूची में शामिल मदों को छोड़कर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर एक दूसरे के लिए व्यापार टैरिफों को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए सहमत हैं। भारत ने कुछ टैरिफ लाइनों जिन पर 25 प्रतिशत ड्यूटी रियायत प्रदान की जाती है, को छोड़कर लगभग सभी टैरिफ लाइनों के लिए ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान की है तथा लगभग 417 उत्पाद ऐसे हैं जिन पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। श्रीलंका से परिधान, चाय, काली मिर्च, नारियल बूरा तथा वनस्पति, बेकरी शार्टेनिंग एवं मार्जरीन के आयात पर भारत द्वारा टैरिफ रेट कोटा निर्धारित किया गया है। आईएसएलएफटीए के तहत श्रीलंका ने 1220 उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान किया है, जिन पर आईएसएलएफटीए के तहत कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की गई है।

ईरान

इस समय ईरान के साथ कोई द्विपक्षीय व्यापार करार नहीं है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ईरान के उद्योग, खान एवं व्यापार मंत्रालय के बीच एक संयुक्त कार्य समूह काम कर रहा है। संयुक्त कार्य समूह की पिछली बैठक में दोनों पक्ष तरजीही व्यापार करार (पीटीए) के लिए पाठ आधारित वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के फलस्वरूप भारत - ईरान द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली नई चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय करार नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के तहत होता है। पिछले कुछ समय में व्यापार से संबंधित मुद्दों पर कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। तथापि, राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिनकी पहचान उद्योग द्वारा की जाती है।

मालदीव

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देशों के बीच व्यापार करार के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है। इस करार में दूसरे देश में उत्पादों के आयात के लिए किसी तरजीही टैरिफ का प्रावधान नहीं है और यह द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए केवल सुगमता तंत्र है। इस करार के प्रावधानों के तहत भारत मालदीव को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। इस प्रयोजनार्थ संगत अधिसूचनाएं जून 2018 में प्रोसेस की गईं और जारी की गईं।

3. उत्तर पूर्व एशिया

व्यापार करार

भारत - कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी करार

7 अगस्त 2009 को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी ई पी ए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। दोनों पक्षों ने 2016 में व्यापार आर्थिक साझेदारी करार को स्तरोन्नत करने के लिए वार्ता शुरू की। वार्ता अभी भी चल रही है तथा वार्ता के छठवें चक्र का आयोजन 20 और 21 जून 2018 को नई दिल्ली में हुआ।

भारत - जापान व्यापार आर्थिक साझेदारी करार

16 फरवरी 2011 को भारत और जापान के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी ई पी ए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अगस्त 2011 से प्रभावी हुआ। सीईपीए के संस्थानिक तंत्र के तहत सचिव के स्तर पर संयुक्त समिति की चौथी बैठक 4 अगस्त 2017 को टोकियो में हुई और संयुक्त सचिव की 5वीं बैठक दिसंबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित की गई है।

व्यापार से संबंधित हाल की गतिविधियां

कोरिया गणराज्य (आरओके) के राष्ट्रपति मून जे ने 8 से 11 जुलाई 2018 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु और कोरिया के व्यापार, उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री ने 9 जुलाई को 2 एमओयू पर हस्ताक्षर पर किए - व्यापार निदान सहयोग पर एमओयू पर तथा भावी रणनीति समूह पर एमओयू। व्यापार निदान सहयोग पर एमओयू व्यापार निदान अर्थात एंटी डंपिंग, सब्सिडी तथा प्रतिकार एवं सुरक्षोपाय के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में वृद्धि होगी। भारत - कोरिया भावी रणनीति समूह स्थापित करने के लिए एमओयू का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देने तथा जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री श्री सिंजो अबे के साथ भारत - जापान वार्षिक शिखर बैठक के लिए 28 और 29 अक्टूबर 2018 को जापान का दौरा किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय एवं वैश्विक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने तथा वर्तमान एवं भावी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय विकास के लिए अपने अपने विजन एवं प्राथमिकताओं का उल्लेख करने के लिए 27 और 28 अप्रैल 2018 को वुहान में चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिन पिंग के साथ पहली अनौपचारिक शिखर बैठक का आयोजन करने के लिए चीन का दौरा किया। दोनों नेता दोनों देशों के बीच समानताओं का लाभ उठाकर संतुलित एवं स्थायी ढंग से द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की 18वीं शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 9 और 10 जून 2018 को चीन का पुन: दौरा किया। इस यात्रा के दौरान भारत से चीन को चावल के निर्यात के लिए फाइटो सेनिट्री आवश्यकताओं पर दोनों पक्षों के बीच एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए।

चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी (सीआईआई) में भाग लेने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 4 से 6 नवंबर 2018 के दौरान शंघाई, चीन का दौरा किया। इसके बाद 6 नवंबर 2018 को कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों पर उप मंत्री, मोफकॉम, चीन के साथ भारतीय शिष्टमंडल की बैठक हुई।

4. एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीएपी)

भारत ईएससीएपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रीय विकास प्रकोष्ठ है, जो एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के लिए मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास केन्द्र के रूप में काम करता है। 62 सरकारों, जिसमें से 58 इस क्षेत्र में हैं, की सदस्यता तथा पश्चिम में तुर्की से लेकर पूरब में किरबाती के प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र और उत्तर में रूसी परिसंघ से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक भौगोलिक विस्तार के साथ ई एस सी ए पी संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से सबसे

व्यापक आयोग है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा निकाय भी है।

1947 में स्थापित इस आयोग का मुख्यालय बैंकाक, थाईलैंड में है तथा यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से कुछ का समाधान करने का प्रयास करता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है :

- स्थूल आर्थिक नीति एवं विकास
- सांख्यिकी
- विकास के लिए उप क्षेत्रीय गतिविधियां
- व्यापार एवं निवेश
- परिवहन
- पर्यावरण तथा संपोषणीय विकास
- सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी एवं आपदा जोखिम कटौती
- सामाजिक विकास

ईएससीएपी का वार्षिक सत्र

ईएससीएपी के 73वें सत्र में वरिष्ठ अधिकारी सेगमेंट शामिल था तथा मंत्री स्तरीय सेगमेंट का आयोजन 11 से 16 मई 2018 के दौरान बैंकाक, थाईलैंड में हुआ।

नाफ्टा

यूएसए

भारत और यू एस ए के बीच व्यापार एवं निवेश के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से दो संस्थानिक तंत्र हैं।

भारत - यू एस वाणिज्यिक वार्ता : व्यापक श्रेणी के आर्थिक क्षेत्रों में व्यापार को सुगम बनाने और निवेश के अवसरों को अधिकतम करने के लिए यू एस ए के वाणिज्य विभाग तथा भारत के वाणिज्य विभाग के बीच एक संस्थानिक करार के रूप में 23 मार्च 2000 को भारत - यू एस ए वाणिज्यिक वार्ता (सी डी) पर हस्ताक्षर किए गए। 2015 में वाणिज्यिक वार्ता तथा सामरिक वार्ता का विलय करके सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता (एस एण्ड सीडी) का निर्माण किया गया है तथा भारत और संयुक्त राज्य के बीच पहली सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता सितंबर 2015 में वाशिंगटन डी. 0 में हुई तथा भारत और संयुक्त राज्य के बीच दूसरी सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता अगस्त 2016 में नई दिल्ली में हुई। भारत - यू एस मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी ई ओ) फोरम एक जैविक कड़ी है जो सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता के एजेंडा का मार्गदर्शन करता है। व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों पर अधिक फोकस को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक वार्ता को अब सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता से अलग कर दिया गया है तथा व्यापार नीति मंच एवं वाणिज्यिक वार्ता के तहत देखे जाने वाले विषयों की द्विरावृत्ति एवं ओवरलैपिंग से बचने के लिए इसका पुनर्गठन किया गया है। वाणिज्यिक वार्ता के पहले सत्र का आयोजन अक्टूबर 2017 में वाशिंगटन डीसी में हुआ।

भारत - यू एस व्यापार नीति मंच : जुलाई 2005 में घोषित भारत - यू एस व्यापार नीति मंच (टी पी एफ) का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों का विस्तार करना है। यह मंच दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यापार से जुड़े अनेक मुद्दों के समाधान के लिए एक संस्थानिक तंत्र के सृजन में सहायक रहा है। इसने एक दूसरे की वस्तुओं को बाजार पहुंच प्रदान करने पर वार्ता, प्रक्रिया से जुड़ी अड़चनों को दूर करने, निवेश के अवसरों पर चर्चा करने तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म प्रदान किया है। व्यापार एवं बाजार पहुंच तथा बौद्धिक संपदा पर इसके कार्यकारी समूहों के साथ टीपीएफ की 11वीं बैठक अक्टूबर 2017 में वाशिंगटन डी सी में हुई। फोकस को अधिक धारदार बनाने तथा वाणिज्यिक वार्ता के साथ द्विरावृत्ति से बचने के लिए स्पष्ट प्रदेयताओं के साथ मुद्दों पर बल देते हुए उपयुक्त पुनर्गठन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया तथा यूएस की ओर से श्री राबर्ट ई लाइटहाइजर, यूएसटीआर ने शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

कनाडा

भारत - कनाडा व्यापार नीति परामर्श : अक्टूबर 2003 में वार्षिक व्यापार नीति परामर्श (टी पी सी) को औपचारिक रूप दिया गया जो व्यापार से जुड़ी बाधाओं को दूर करने तथा आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक कारगर प्लेटफार्म प्रदान करता है। भारत -

कनाडा व्यापार नीति परामर्श की 7वीं बैठक भारत के वाणिज्य सचिव और कनाडा के उप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के स्तर पर अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में हुई। इसके बाद कोई और बैठक नहीं हुई है।

भारत - कनाडा वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता **:** जून 2010 में प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री तथा भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच व्यापार एवं निवेश पर एक वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता (ए एम डी) के लिए सहमति हुई थी तथा वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता की पहली बैठक सितंबर 2010 में ओटावा में हुई थी। भारत - कनाडा वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता की चौथी बैठक 13 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किया, जबकि कनाडा के शिष्टमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री फ्रैंकोइस फिलिपे चंपागने ने किया।

7.2 बिलियन डालर के परस्पर व्यापार के साथ कनाडा नाफ्टा क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है जो विशाल संभावना के बावजूद दो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के बीच क्षमता से काफी कम है। फरवरी 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री माननीय जस्टिन ट्रुडीव की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए दोनों देश द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने तथा उसमें विविधता लाने के लिए प्रयासों को नवीकृत करने पर सहमत हुए। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है जैसे कि दलहनों की विकृति पर कनाडा के सरोकार तथा धूम्रीकरण के विकल्प के रूप में प्रणालीगत दृष्टिकोण तथा जैविक समतुल्यता के लिए भारत का लंबित अनुरोध।

भारत - कनाडा व्यापक आर्थिक नीति करार **(**सीईपीए**) :** सियोल में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा घोषित भारत - कनाडा सीईपीए वार्ता की शुरुआत तथा सितंबर 2010 में भारत - कनाडा संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट के विमोचन के बाद नवंबर 2010 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से शुरुआत। करार के तहत वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उद्गम के नियम, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाएं तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। अब तक वार्ता के 10 चक्रों का आयोजन हो चुका है तथा टैरिफ लाइन के चरण पर माल के संबंध में तौर तरीकों पर सहमति हुई है।

मैक्सिको

भारत - मैक्सिको बीएचएलजी **:** व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह (बीएचएलजी) के गठन के लिए भारत के तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा मैक्सिको के वित्त मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 21 मई 2007 को भारत और मैक्सिको के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह के कार्यों में मुख्य रुप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक, आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्र में संपर्क बनाए रखना तथा सूचना का आदान-प्रदान करना शामिल है। द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह ने दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने में साझेदारियों की संभावनाओं तथा व्यापार से जुड़े अनेक मुद्दों पर मैक्सिको के साथ वार्ता करने में मदद की।

हाल के वर्षों में मैक्सिको को भारत का निर्यात 2013-14 में 2.2 बिलियन अमरीकी डालर से काफी बढ़कर 2017-18 में 3.8 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया है। परिवर्तित वैश्विक व्यापार परिदृश्य तथा मैक्सिको के बदलते व्यापार पैटर्न में भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए मैक्सिको एक उदीयमान गंतव्य होने जा रहा है (जो हाल तक ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लैटिन अमेरिका के देशों के साथ ही व्यापार करता था)। व्यापार शो में भागीदारी के रूप में आक्रामक ढंग से पैठ बनाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों सहित उपयुक्त उपाय शुरू किए गए।

III. <u>यूरोप के साथ व्यापार</u>

यूरोपीय संघ **(**ईयू**)**

28 देशों के गुट के रूप में यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार है। यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार संतुलन पहले घाटे में था परंतु अब भारत का व्यापार सरप्लस है

(2017-18 के लिए 53.7 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात बनाम 47.5 बिलियन अमरीकी डालर का आयात)। (स्रोत : डीजीसीआई एंड एस)

यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी मानकों, तकनीकी बाधाओं, कोटा / टैरिफ को जटिल प्रणाली, भारतीय उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी / सब्सिडी रोधी उपायों आदि प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों का यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात के लिए बाजार पहुंच से संबंध है। इन मुद्दों को नियमित रुप से संयुक्त कार्यों समूहों एवं व्यापार पर उप आयोग में उठाया जाता है। यूरोप के व्यक्तिगत देशों के साथ व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संयुक्त आयोग के रूप में द्विपक्षीय मंचों में भी उठाया जाता है।

भारत - यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग द्वारा आधिकारिक स्तर पर भारत - यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। भारत - यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग बैठक के 24वें सत्र का आयोजन 14 जुलाई 2017 को ब्रुसेल्स में हुआ। इसके अलावा व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा विकास सहयोग पर तीन उप आयोग तथा कृषि एवं समुद्री उत्पादों, वस्त्र इस्पात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औषधीय पदार्थों तथा जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क सहयोग एवं व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं (टी बी टी) / स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (एस पी एस) से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे हैं। व्यापार पर भारत - यूरोपीय संघ उप आयोग की पिछली बैठक 6 जून 2018 को नई दिल्ली में हुई।

भारत - यूरोपीय संघ बीटीआईए वार्ता

नई दिल्ली में सितंबर 2005 में आयोजित 6वीं भारत - यूरोपीय संघ शिखर बैठक ने आर्थिक संबंध को व्यापक एवं विस्तृत करने के तरीकों का पता लगाने तथा व्यापार एवं निवेश करार अर्थात विस्तृत द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार (बीटीआईए) की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय व्यापार समूह (एचएलटीजी) का गठन करने का निर्णय लिया था। 2007 से 2013 तक वार्ता के 16 चक्रों का आयोजन हो चुका है। दो वर्ष तक वार्ता निलंबित रही।

जनवरी 2016 से वार्ता को संशोधित करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं तथा मुख्य वार्ताकारों के बीच 8 बैठकें हुई हैं। मुख्य वार्ताकारों के बीच पिछली बैठक 7 जून 2018 को नई दिल्ली में हुई थी।

हाल ही में 15 नवंबर 2018 को ब्रुसेल्स में वाणिज्य सचिव तथा यूरोपीय संघ के महानिदेशक (व्यापार) की बैठक हुई थी तथा भारत - यूरोपीय संघ बीटीआईए के लिए भावी कदम पर चर्चा हुई। बैठक ने दोनों पक्षों की अधूरी महत्वाकांक्षाओं का जायजा लेने तथा संवेदनशीलताओं जो मौजूद हैं, को संतुलित करने की आवश्यकता को उजागर किया।

भारत - ईएफटीए टीईपीए वार्ता

ईएफटीए व्यापार ब्लाक में स्विटजरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लिचेस्टीन शामिल हैं। भारत और इएफटीए ने अक्टूबर 2008 में व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी करार (टीईपीए) पर वार्ता शुरू की थी। 14 ट्रैकों / अध्यायों अर्थात सरकारी प्रापण, विवाद समाधान, प्रतियोगिता, व्यापार सुगमता, निवेश, संपोषणीय विकास, सेनिट्री एवं फाइटो सेनिट्री उपाय, व्यापार की तकनीकी बाधाओं, व्यापार निदान, माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, विधिक एवं क्षैतिज प्रावधान तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर वार्ता हुई जिन्हें दोनों पक्षों ने समयबद्ध ढंग से हल करने का संकल्प किया। अब तक 17 दौर की वार्ता हो चुकी है। पिछले दौर की वार्ता 18 से 21 सितंबर, 2017 के दौरान हुई थी। भारत ईएफटीए के साथ संतुलित करार के लिए प्रतिबद्ध है।

संस्थागत तंत्र

अनेक यूरोपीय देशों अर्थात यू के, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम - लग्जमबर्ग, स्विटजरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, आस्ट्रिया, बुल्गारिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीक, रोमानिया, तुर्की और यूरोपीय संघ के साथ भारत ने संस्थानिक तंत्र स्थापित किए हैं।

- भारत - यूरोपीय संघ शिखर बैठक (प्रधानमंत्री के स्तर पर) हर साल वैकल्पिक रूप से भारत और यूरोपीय संघ में आयोजित होती है। 14वीं भारत - यूरोपीय संघ शिखर बैठक 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में हुई थी।
- भारत - यूरोपीय संघ के जेसीएम का आयोजन हर साल वैकल्पिक तौर पर भारत और बेल्जियम में होता है। जेसीएम की पिछली बैठक (24वीं बैठक) ब्रुसेल्स में 14 जुलाई, 2017 को हुई थी। व्यापार पर तीन उप आयोग (वाणिज्य विभाग द्वारा भारत का नेतृत्व; 6 जून 2018 को आयोजित), आर्थिक सहयोग (वाणिज्य विभाग द्वारा भारत का नेतृत्व, 11 अप्रैल 2018 को आयोजित) और विकास सहयोग (आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारत का नेतृत्व; 3 जून 2014 को आयोजित) ने भारत और यूरोपीय संघ जेसीएम में फीड किया।

संयुक्त आयोग की बैठकें

भारत - फ्रांस संयुक्त समिति बैठक (जेसीएम) की 17वीं बैठक 24 अक्टूबर 2017 को पेरिस में हुई थी। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी आर चौधरी ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तथा यूरोप एवं विदेश राज्य मंत्री श्री जीन बैपटिस्टै लेमोनी ने फ्रांसीसी शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा दोनों देशों की भावी संभावनाओं, वैश्विक परिदृश्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार की स्थिति तथा बाजार पहुंच सहित व्यापक श्रेणी के मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारत और बेल्जियम लग्जमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग के 15वें सत्र की मध्यावधि समीक्षा 3 मई 2018 को डीवीसी के माध्यम से आयोजित की गई।

भारत - स्विटजरलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) की 16वीं बैठक 23 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सुश्री अनीता प्रवीण, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा सुश्री लीविया लीव, राजदूत तथा द्विपक्षीय संबंध प्रमुख, राज्य आर्थिक कार्य सचिवालय, स्विस परिसंघ द्वारा बैठक की सह अध्यक्षता की गई। उक्त सत्र में, द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त् आर्थिक आयोग ने वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थिति, द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भागीदारी की समीक्षा की। संयुक्त आर्थिक आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग अर्थात निवेश, भारी उद्योग, एमएसएमई, रसायन एवं पेट्रो रसायन, आयुर्वेद एवं परंपरागत दवा, फर्मास्युटिकल, पर्यटन आदि तथा दोनों देशों के निजी क्षेत्र की कंपनियों की समस्याओं पर भी चर्चा की।

आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत - बुल्गारिया संयुक्त आयोग (जेसीईएसटीसी) की 18वीं बैठक 6 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में हुई। तकनीकी सत्र का नेतृत्व भारत की ओर से सुश्री अनीता प्रवीण, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और बुल्गारिया की ओर से सुश्री एडेलीना कियोसेवा, आर्थिक मंत्रालय ने किया। भारत की ओर से सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग तथा बुल्गारिया की ओर से श्री अलेक्जेंडर मैनोलेव, उप आर्थिक मंत्री द्वारा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। उक्त सत्र में, द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए संयुक्त् आर्थिक आयोग ने वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थिति तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश की समीक्षा की। जेसीईएसटीसी ने अन्य बातों के साथ नवाचार एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में साझेदारी और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, पशुपालन, परिवहन, एमएसएमई, ऊर्जा, इस्पात, वानिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा पर्यटन में सहयोग पर चर्चा की।

भारत - चेक गणराज्य संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (जेसीईसी) की 11वीं बैठक 22 और 23 अक्टूबर 2018 को प्राग में हुई जिसकी सह अध्यक्षता सी आर चौधरी, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री तथा चेक गणराज्य के उद्योग एवं व्यापार मंत्री सुश्री मार्टा नोवाकोवा द्वारा की गई। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान भारत और चेक गणराज्य ने रचनात्मक चर्चा की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को वैश्विक घटनाक्रमों, विशेष रूप से व्यापार से जुड़े घटनाक्रमों तथा अपनी अपनी

अर्थव्यवस्थाओं में घटनाक्रमों की जानकारी प्रदान की। निम्नलिखित विस्तृत विषयों पर चर्चा हुई : व्यापार एवं निवेश, इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक मशीनरी, परमाणु एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, खनिज संसाधन तथा खनन उद्योग, रक्षा उद्योग, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरण एवं रसायन, आयुष, अवसंरचना विकास, कृषि उत्पाद, पर्यावरण एवं कृषि प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग, भारत - ईयू बीटीआईए वार्ता, निवेश के संवर्धन एवं संरक्षण पर करार, डब्ल्यूटीओ, आधुनिकीकरण, वीजा से जुड़े मुद्दे, पर्यटन, वानिकीकरण तथा मौसम विज्ञान।

द्विपक्षीय बैठकें

माननीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय बैठक की :

- डावोस, स्विटजरलैंड में 23 से 26 जनवरी 2018 के दौरान विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2018 के दौरान अतिरिक्त समय में स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति महामहिम श्री डोरिस लिथार्ड के साथ।

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की :

- 23 से 26 जनवरी 2018 के दौरान स्विस फेडरल काउंसिलर जोहान श्निडर अम्मान के साथ।
- 5 मार्च 2018 को नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उद्योग एवं व्यापार मंत्री महामहिम श्री थामस हुनेर के साथ।
- 9 मार्च 2018 को नई दिल्ली में एस्टोनिया के नई दिल्ली में राजदूत महामहिम श्री रिहो क्रुवोन के साथ में एस्टोनिया की उद्यमिता एवं आईटी मंत्री सुश्री युर्वे पालो के साथ।
- 5 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में आइसलैंड के विदेश मंत्री महामहिम श्री गुन्नार बार्गी स्वेंसन के साथ।
- 30 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में फिनलैंड के विदेश व्यापार एवं विकास मंत्री महामहिम एन्ने मैरी विरोलैनेन के साथ।

माननीय राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) श्री सी आर चौधरी ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय बैठकें की :

- श्री जीन यवेस ली ड्रेन, यूरोप एवं विदेश मंत्री, फ्रांस श्री बेंजामिन ग्रिगक्स, आर्थिक राज्य मंत्री, फ्रास

IV. स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत - अजरबैजान अंतर्सरकारी आयोग की 5वीं बैठक 11 और 12 अक्टूबर 2018 के दौरान नई दिल्ली में हुई जिसकी सह अध्यक्षता भारत गणराज्य के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश पी प्रभु तथा अजरबैजान गणराज्य की सरकार की ओर से पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री महामहिम श्री मुख्तार बाबायेव द्वारा की गई।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत - उजबेकिस्तान अंतर्सरकारी आयोग की 11वीं बैठक 16 से 18 अगस्त 2018 के दौरान ताशकंद में हुई जिसकी सह अध्यक्षता भारत गणराज्य के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग उप प्रधानमंत्री तथा निवेश उप समिति के उप अध्यक्ष महामहिम श्री एस आर खोलमुरादोव द्वारा की गई।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत - कजाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की छठीं बैठक 12 जुलाई 2018 को अस्ताना, कजाकिस्तान में हुई जिसकी अध्यक्षता श्री बिद्‌युत बिहारी स्वेन, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार तथा महामहिम श्री कैरट टोरेबायेव, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, राष्ट्रीय आर्थिक मंत्रालय, कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत - रूस संयुक्त कार्य समूह की 23वीं बैठक 22 मई, 2018 को मास्को, रूस में हुई जिसकी सह अध्यक्षता सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार तथा महामहिम श्री अलेक्सी ग्रुजडेव, उप आर्थिक विकास मंत्री, रूस परिसंघ द्वारा की गई।

भारत - यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच एफटीए : यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ व्यापार करार

के कार्यक्षेत्र एवं दायरे का निर्धारण किया जा रहा है। जार्जिया के साथ एफटीए की संभावना का पता लगाने के लिए संयुक्त संभाव्यता अध्ययन पूरा हो गया है तथा मुक्त व्यापार करार के लिए वार्ता आरंभ करने हेतु संयुक्त प्रोटोकॉल पर 11 जनवरी, 2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए आईआईएफटी, नई दिल्ली तथा अखिल रूसी व्यापार अकादमी द्वारा संयुक्त कार्य रणनीति तैयार की जा रही है।

V. लैटिन अमरीका एवं कैरेबियन (एलएसी)

भारत - चिली पीटीए तथा इसका विस्तार

- चिली के साथ रूपरेखा करार के अनुवर्तन के रूप में, मार्च 2006 में भारत - चिली पीटीए पर हस्ताक्षर किए गए थे जो अगस्त, 2017 से लागू हुआ। पीटीए के तहत चिली के लिए भारतीय प्रस्ताव में 8 डिजिट के स्तर पर 178 टैरिफ लाइनों पर 10 से 50 प्रतिशत की नियत टैरिफ तरजीह शामिल थी। भारत के लिए चिली के प्रस्ताव में 8 डिजिट के स्तर पर 296 टैरिफ लाइनों पर 10 से 100 प्रतिशत टैरिफ तरजीह शामिल थी।
- भारत ने जिन उत्पादों पर टैरिफ रियायत प्रदान करने की पेशकश की है उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं : लकड़ी तथा प्लाईवुड की वस्तुएं, रसायन, कुछ औद्योगिक उत्पाद आदि, जबकि चिली ने रसायनों, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल एवं वस्त्र, रबर एवं विविध, डाई एवं रेजिन, फुटवियर आदि पर टैरिफ रियायत की पेशकश की है।
- सीमित कवरेज के कारण 8 मार्च 2006 को चिली के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पीटीए का विस्तार किया गया है तथा विस्तारित पीटीए को 16 मई 2017 से लागू किया गया।
- विस्तारित पीटीए में भारत ने चिली को 10 से 100 प्रतिशत रियायतों का प्रस्ताव करते हुए एचएस कोड 2012 पर अपनी टैरिफ लाइनों को 178 से बढ़ाकर 10 से 31 कर दिया है। जिन क्षेत्रों में रियायत का प्रस्ताव किया है उनमें प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं : पशु तथा वनस्पति उत्पाद, पशु तथा वनस्पति वसा, तैयार खाद्य सामग्री, खनिज उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक एवं रबर, खाल एवं त्वचा, लकड़ी तथा लुग्दी उत्पाद, टेक्सटाइल, पत्थर की वस्तुएं, प्लास्टर, सीमेंट, मोती, बेस मेटल, मशीनरी, परिवहन उपकरण, आप्टिकल, विविध उत्पाद।
- दूसरी ओर, चिली ने एचएस कोड 2012 पर अपनी टैरिफ लाइनों को 296 से बढ़ाकर 1784 कर दिया है तथा 30 से 100 प्रतिशत रियायत का प्रस्ताव किया है। जिन उत्पाद क्षेत्रों में रियायत का प्रस्ताव किया है उनमें प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं : पशु तथा उसके उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, पशु तथा वनस्पति वसा, तैयार खाद्य सामग्री, खनिज उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक एवं रबर, खाल एवं त्वचा, लकड़ी तथा लुग्दी उत्पाद, टेक्सटाइल, फुटवियर, पत्थर की वस्तुएं, बेस मेटल, मशीनरी, वाहन मापन उपकरण तथा विविध उत्पाद।

भारत - मर्कोसुर पीटीए और इसका विस्तार

- 17 जून 2003 को असुंसियन, पराग्वे में हस्ताक्षरित रूपरेखा करार के अनुवर्तन के रूप में भारत - मर्कोसुर (दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में एक व्यापार गुट जिसमें मूलत: ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं) पीटीए पर हस्ताक्षरित 25 जनवरी 2004 को नई दिल्ली में किए गए थे जो 1 जून 2009 से लागू हुआ था।
- मौजूदा पीटीए के तहत, भारत ने 450 टैरिफ लाइनों पर मर्कोसुर को 10 से 100 प्रतिशत मार्जिन ऑफ प्रीफरेंस (एमओपी) की पेशकश की थी जबकि मर्कोसुर ने भारत को 452 टैरिफ लाइनों पर 8 डिजिट के स्तर पर 10 से

100 प्रतिशत एमओपी की पेशकश की थी।

- मौजूदा पीटीए के कार्यक्षेत्र को गहन और विस्तृत करने के उद्देश्य से पीटीए का विस्तार किया जा रहा है। मौजूदा पीटीए के विस्तार के लिए दोनों पक्षों ने 14 सितंबर 2017 को 8 डिजिट के स्तर पर 434 टैरिफ लाइनों के अपने आरंभिक प्रस्ताव का आदान प्रदान किया है। चूंकि 14 सितंबर 2017 को दोनों पक्षों द्वारा आरंभिक प्रस्तावों के आदान प्रदान के बाद विस्तार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी इसलिए पीटीए के विस्तार की प्रक्रिया की गति तेज करने के लिए 9 मई 2018 को संयुक्त सचिव (एसएम) द्वारा मर्कोसुर देशों के राजदूतों के साथ बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद पीटीए के विस्तार की प्रक्रिया की गति तेज करने के लिए 23 मई 2018 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की ओर से मर्कोसुर देशों में उनके समकक्षों को पत्र भेजा गया है।

भारत - पेरू व्यापार करार

- पेरू के साथ एफटीए करने की संभावना का पता लगाने के लिए 15 जनवरी 2015 को भारत और पेरू के बीच एक संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) का गठन किया गया था। जेएसजी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया तथा 20 अक्टूबर 2016 को उस पर हस्ताक्षर किए। 18 जनवरी 2017 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल ने माल में व्यापार सेवा एवं निवेश को शामिल करते हुए पेरू के साथ व्यापार करार के लिए वार्ता का आयोजन करने के लिए मंजूरी प्रदान की। व्यापार करार के लिए वार्ता के विचारार्थ विषय (टीओआर) को 8 मार्च 2017 को नई दिल्ली में पेरू के उप मंत्री श्री एडगर वास्केज की यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया।
- पेरू के साथ व्यापार करार के लिए वार्ता शुरू की गई है। अब तक 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। पिछले (तीसरे) चक्र की वार्ता का आयोजन 4 से 8 अक्टूबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली, भारत में हुआ।
- दोनों पक्षों ने दूसरे दौर से पूर्व 28 मार्च 2018 को अपनी अपनी इच्छा सूचियों का आदान प्रदान किया था। पेरू के साथ आदान प्रदान की गई भारतीय इच्छा सूची में पेरू के टैरिफ नाम के अनुसार 10 डिजिट के स्तर पर 3396 टैरिफ लाइनें शामिल हैं जबकि पेरू की इच्छा सूची में भारतीय टैरिफ नाम के अनुसार 8 डिजिट के स्तर पर 5000 टैरिफ लाइनें शामिल हैं।
- अगली चक्र की वार्ता मार्च, 2019 में लीमा, पेरू में होनी है।

एक्वाडोर के साथ व्यापार करार

- 17 मई 2017 को एक्वाडोर में वाणिज्य सचिव की सह अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) की पहली बैठक के अनुवर्तन के रूप में दोनों पक्ष एक तरजीही व्यापार करार करने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमत हुए थे। व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए संयुक्त अध्ययन की प्रक्रिया चल रही है।

कोलंबिया के साथ व्यापार करार

- 19 मई 2017 को बगोटा, कोलंबिया में आयोजित भारत - कोलंबिया संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति की तीसरी बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार करार के लिए अपनाई जाने वाली संभावित रूपरेखा का पता लगाने के लिए निर्णय लिया। संयुक्त अध्ययन संचालित करने के लिए कोलंबिया के साथ चर्चा चल रही है।

VI ओसियाना क्षेत्र के साथ व्यापार

एफटी (ओसियाना) प्रभाग आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा 12 प्रशांत द्वीपीय लघु विकासशील देशों (पी एस आई डी एस) जैसे कि फिजी, पपुआ न्यू

गीनिया, किरबाती, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, नौरू, पलाऊ, समोया, सोलोमोन द्वीप, टोंगा, तुवालू और वनुआतू के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का काम देखता है।

<u>ओसियाना क्षेत्र में भारत की व्यापार की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :</u>

(I) आस्ट्रेलिया

(क) भारत - आस्ट्रेलिया सीईसीए वार्ता

भारत माल, सेवा, निवेश में व्यापार तथा संबद्ध मुद्दों को शामिल करते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर वार्ता कर रहा है। अभी तक वार्ताओं के नौ दौर आयोजित हो चुके हैं। पहली बैठक जुलाई 2011 में हुई थी तथा आखिरी बैठक अर्थात 9वीं बैठक 21 से 23 सितंबर 2015 के दौरान नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) भारत - आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग **(**जे एम सी**)** की बैठक

भारत - आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग (जेएमसी) की पिछली 15वीं बैठक 25 जून 2018 को कैनबरा, आस्ट्रेलिया में हुई थी। बैठक के लिए एजेंडा में अन्य बातों के साथ भारतीय आर्थिक रणनीति, दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के तरीकों तथा दोनों देशों की रुचि के कुछ उत्पादों में परस्पर बाजार पहुंच के मुद्दों पर प्रस्तुति शामिल थी। बैठक के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक आस्ट्रेड (आस्ट्रेलियाई व्यापार एवं निवेश आयोग या आस्ट्रेड आस्ट्रेलियाई सरकार की व्यापार, निवेश एवं शिक्षा संवर्धन एजेंसी है) तथा इनवेस्ट इंडिया (जो भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुगमता एजेंसी है) के बीच अधिक सहयोग करने के लिए निर्णय था जिसका चर्मोत्कर्ष द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को सुगम बनाने के लिए 22 नवंबर 2018 को उनके बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के रूप में हुआ।

(II) न्यूजीलैंड

भारत - न्यूजीलैंड सी ई सी ए वार्ता **:**

भारत माल, सेवा, निवेश में व्यापार तथा संबद्ध मुद्दों को शामिल करते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर वार्ता कर रहा है। अभी तक वार्ताओं के दस दौर आयोजित हो चुके हैं। पहली बैठक अप्रैल 2010 में हुई थी तथा नवीनतम बैठक अर्थात 10वीं बैठक 17 और 18 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में हुई थी।

VII. <u>पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका (वाना) के साथ व्यापार</u>

पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका (वाना) क्षेत्र के अंतर्गत 19 देश आते हैं। ये इस प्रकार हैं :

(i) खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) के 6 देश (बहरीन, कुबैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात)
(ii) पश्चिम एशिया के 6 देश (इराक, इजरायल, जार्डन, लेबनान, यमन एवं सीरिया), और
(iii) उत्तरी अफ्रीका के 7 देश (अल्जीरिया, मिस्र, लिबीया, मोरक्को, सूडान, दक्षिणी सूडान एवं ट्यूनिशिया)।

वाना क्षेत्र में भारत निर्यात के लिए स्थानों में से जीईसी के देशों में से संयुक्त अरब अमीरात प्रथम स्थान की श्रेणी आता है। वाना क्षेत्र में अन्य मुख्य गंतव्यों में साऊदी अरब, इजरायल, मिस्र और ओमान शामिल हैं।

VIII. <u>अफ्रीका के साथ व्यापार</u>

भारत - केन्या संयुक्त व्यापार समिति की **8**वीं बैठक

भारत - केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक 23 और 24 अगस्त 2018 को नैरोबी, केन्या में हुई। वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री, भारत सरकार द्वारा भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया। महामहिम श्री पीटर मुन्या, मंत्रिमंडल सचिव (मंत्री), उद्योग, व्यापार और सहकारिता मंत्रालय, केन्या गणराज्य की सरकार द्वारा केन्या के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया।

बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई जैसे कि एमएसएमई, कृषि, आईसीटी, पर्यटन, मानकों का प्रशासन, उच्च शिक्षा में मानव संसाधन का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निवेश संवर्धन एवं संरक्षण, हवाई सेवाएं, ऊर्जा, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स, तेल एवं गैस, स्वास्थ्य, उत्प्रवासन, आटोमोबाइल तथा अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद के क्षेत्रों में सहयोग।

भारत - मारीशस सीईसीपीए वार्ता :

भारत - मारीशस सीईसीपीए वार्ता के चौथे दौर का आयोजन 17 से 19 अप्रैल 2018 के दौरान नई दिल्ली में हुआ।
भारत - मारीशस सीईसीपीए वार्ता के 5वें दौर का आयोजन 9 से 11 जुलाई 2018 के दौरान मारीशस में हुआ।
भारत - मारीशस सीईसीपीए वार्ता के 6वें दौर का आयोजन 26 से 28 सितंबर 2018 के दौरान नई दिल्ली में हुआ।
भारत - मारीशस सीईसीपीए वार्ता के 7वें दौर का आयोजन 19 से 23 नवंबर 2018 के दौरान मारीशस में हुआ। इन चक्रों के दौरान माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार तथा सामान्य आर्थिक सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

सीआईआई - एग्जिम बैंक क्षेत्रीय गोष्ठी
भारत तथा पश्चिम अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर सीआईआई - एग्जिम बैंक क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन 8 और 9 अक्टूबर 2018 को नाइजीरिया में हुआ। क्षेत्रीय गोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए माननीय राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने मारीशस का दौरा किया।
भारत और रुवांडा के बीच व्यापार सहयोग रूपरेखा
माननीय प्रधानमंत्री की रुवांडा यात्रा के दौरान 23 जुलाई 2018 को भारत गणराज्य की सरकार तथा रुवांडा गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए।

IX. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन
विश्व व्यापार संगठन

1. विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 10 से 13 दिसंबर 2017 के दौरान ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की पृष्ठभूमि में, खाद्य सुरक्षा, अन्य कृषि मुद्दों तथा फिशरी सब्सिडी पर किसी स्थायी समाधान पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद थी। कुछ सदस्य सेवा वार्ता में घरेलू विनियम तथा ई-कामर्स, निवेश तथा सुगमता और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के क्षेत्र में परिणामों के लिए भी जोर दे रहे थे।

2. चूंकि सदस्यों में काफी मतभेद थे तथा कुछ सदस्य विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा विभिन्न सहमत अधिदेशों की अभिस्वीकृति एवं पुनरावृत्ति का समर्थन नहीं कर रहे थे इसलिए मंत्री कोई सहमत मंत्री स्तरीय घोषणा तैयार नहीं कर सके और कोई सारवान मंत्री स्तरीय निर्णय नहीं लिया जा सका। तथापि, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और विश्व व्यापार संगठन में कार्य के विभिन्न क्षेत्रों पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्धता के लिए व्यापक समर्थन था।

3. सम्मेलन के दौरान, 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन (जून 2020 में) द्वारा निर्णय लिए जाने के उद्देश्य से फिशरी सब्सिडी के क्षेत्र में एक कार्य योजना पर मंत्री स्तरीय निर्णय लिए गए। ई-कामर्स पर मौजूदा कार्य योजना के गैर वार्ता अधिदेश को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। पिछले मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की तरह, इलेक्ट्रानिक पारेषण पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर मौजूदा स्थगन अवधि का विस्तार ट्रिप्स के गैर उल्लंघन अनुपालन पर दूसरी स्थगन अवधि के साथ दो साल के लिए किया गया जो अन्य बातों के साथ फार्मास्युटिकल क्षेत्र में पेटेंट के सदैव बने रहने को रोकता है और इस प्रकार जेनरिक दवाओं की उपलब्धता एवं वहनीयता सुनिश्चित करता है।

4. निवेश सुगमता, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), जेंडर एवं व्यापार जिनके लिए कोई अधिदेश या सर्वसम्मति नहीं थी, जैसे नए मुद्दों पर मंत्री स्तरीय निर्णयों को आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि दोहा विकास मुद्दों पर कोई हलचल नहीं हुई, जो विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ प्रस्तावकों ने एमएसएमई, ई-कामर्स, सेवा वार्ता में घरेलू विनियम तथा निवेश सुगमता पर अग्रेतर कार्य के लिए संयुक्त वक्तव्य जारी किए हैं जिसके लिए उनको सबसे पहले व्यापार के साथ सहलग्नता स्थापित करनी होगी और फिर ऐसे मुद्दों पर वार्ता तभी शुरू की जा सकती है जब डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य ऐसा करने के लिए सहमत होंगे।

5. 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में, भारत विश्व व्यापार संगठन के मौलिक सिद्धांतों पर अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहा जिसमें बहुपक्षवाद, नियम आधारित सर्वसम्मति से निर्णय लेना, स्वतंत्र एवं विश्वसनीय विवाद

समाधान तथा अपीलीय प्रक्रिया, विकास की केन्द्रीय भूमिका तथा सभी विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विवेकीकृत व्यवहार शामिल हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन के सहमत एजेंडा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का परिरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली में अनौपचारिक मंत्री स्तरीय सभा

6. 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों पर राजनीतिक भागीदारी को जारी रखने के उद्देश्य से भारत ने 19 और 20 मार्च 2018 को नई दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन की दो दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 52 सदस्य देशों से मंत्रियों एवं अधिकारियों तथा डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ने भाग लिया। डब्ल्यूटीओ में कार्य को आगे बढ़ाने तथा विकास पर आगे की राह के लिए राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से चर्चाओं का आयोजन किया गया।

7. प्रतिभागियों ने नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जो डब्ल्यूटीओ में निहित है, की विश्वसनीयता एवं कामकाज को बनाए रखने तथा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिकांश प्रतिभागियों ने अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति में गतिरोध का शीघ्रता से एवं तुरंत समाधान करने की मांग की, जो ऐसा मुद्दा है जिसे डब्ल्यूटीओ की विश्वसनीयता एवं कामकाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले के रूप में देखा गया। अनेक हस्तक्षेपों में डब्ल्यूटीओ के नियमों तथा इसके कुछ आधारभूत सिद्धांतों, जैसे कि हाल के एकपक्षीय व्यापार उपायों तथा प्रस्तावित प्रतिकार उपायों के चक्र द्वारा गैर भेदभाव की विश्वसनीयता के लिए उत्पन्न गंभीर संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

पेरिस में अनौपचारिक मंत्री स्तरीय सभा

8. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की वार्षिक बैठकों के दौरान अतिरिक्त समय में 31 मई 2018 को पेरिस में डब्ल्यूटीओ के मंत्रियों की अनौपचारिक सभा तथा अन्य बैठकों में भारत की भागीदारी के साथ राजनीतिक भागीदारी जारी रही। डब्ल्यूटीओ में आगे की राह पर चर्चा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 29 सदस्य देशों तथा डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ने बैठक में भाग लिया।

9. सदस्यों द्वारा एकपक्षीय व्यापार उपायों तथा प्रतिकार उपायों और कुछ सदस्यों द्वारा अपनाए जा रहे दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की गई तथा सदस्यों द्वारा डब्ल्यूटीओ की प्रतिबद्धताओं का अनुसरण करने की आवश्यकता दोहराई गई। भारत ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया तथा डब्ल्यूटीओ की समावेशी संस्थानिक संरचना और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने की मांग की। भारत ने अपीलीय संस्था की रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा कुछ सदस्यों द्वारा व्यापार उपायों एवं प्रतिकार उपायों पर चिंता व्यक्त की।

डब्ल्यूटीओ सुधार

10. हाल के घटनाक्रम जिनमें एकपक्षीय उपायों तथा प्रतिकार उपायों में वृद्धि शामिल है, डब्ल्यूटीओ में निहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के आधार को खोखला करते हैं। वार्ता में तथा संस्थानिक मुद्दों पर कुछ सदस्यों द्वारा डब्ल्यूटीओ में सहयोग न करने से बहुपक्षवाद में सदस्यों का विश्वास और क्षीण हुआ है। कुछ सदस्यों द्वारा डब्ल्यूटीओ के कामकाज तथा इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया जा रहा है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रबल समर्थक के रूप में भारत की यह राय है कि इस प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तथा हम इस प्रक्रिया में योगदान देने तथा सदस्यों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने के लिए सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ वार्ता तथा सुधार प्रक्रिया में विकासशील देशों के सरोकारों पर ध्यान दिया जाए। भारत का यह मानना है कि डब्ल्यूटीओ वार्ता में वैश्विक व्यापार प्रणाली में बेहतर एकीकरण के लिए विकासशील देशों तथा सबसे कम विकसित देशों को लोच परिरक्षित होनी चाहिए।

गैर कृषि बाजार पहुंच (नामा)

11. गैर कृषि बाजार पहुंच (नामा) कृषि से भिन्न या औद्योगिक उत्पादों पर व्यापार वार्ता से संबंधित है। इन वार्ताओं में, डब्ल्यूटीओ सदस्य औद्योगिक उत्पादों में व्यापार पर कस्टम टैरिफ या टैरिफ से भिन्न बाधाओं को कम करने या समाप्त करने की शर्तों या तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं। नामा के तहत शामिल उत्पाद इस प्रकार हैं : समुद्री उत्पाद, रसायन, रबर उत्पाद, लकड़ी उत्पाद, वस्त्र एवं टेक्सटाइल, चमड़ा, सेरेमिक्स, ग्लासवेयर, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोबाइल्स, इंस्ट्रूमेंट, खेल के सामान और खिलौने।

12. जहां तक टैरिफ का संबंध है, बाउंड टैरिफ पर वार्ता हुई जो डब्ल्यूटीओ में वार्ता के दौरान की गई बाध्यताएं हैं। बाउंड टैरिफ किसी देश में आयात पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वस्तुत: लगाए गए टैरिफ की ऊपरी सीमा है। कुछ प्रमुख विधियां जिनके माध्यम से टैरिफ में कटौती की मांग की गई, गैर रेखीय स्विस फार्मूला को लागू करना तथा विशिष्ट क्षेत्रों में टैरिफ की कटौती या समाप्ति के लिए सेक्टोरल पहलें हैं। एलडीसी सहित विकासशील देश उपयुक्त विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार पर वार्ता कर रहे थे। गैर टैरिफ उपायों पर, क्षैतिज प्रस्तावों तथा क्षेत्र विशिष्ट पाठगत प्रस्तावों द्वारा चर्चा संचालित हो रही थी।

13. नैरोबी मंत्री स्तरीय घोषणा ने नामा को "शेष दोहा मुद्दों" में से एक के रूप में शामिल किया जहां मंत्रियों ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तथापि, दिसंबर 2017 में ब्यूनस आयर्स में डब्ल्यूटीओ की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक में किसी मुद्दे पर अभिसरण न होने के कारण नामा में कोई कर्षण नहीं हुआ। भारत यह दृष्टिकोण लेता रहा है कि वार्ता के दौरान कटौती की प्रतिबद्धताओं में पूर्ण पारस्परिकता से कम (एलटीएफआर) का सिद्धांत लागू होना चाहिए। हम सामान्यतया सेक्टोरल वार्ता के पक्षधर नहीं हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये विकासशील देशों के लिए अधिक बोझिल हैं जिन्हें विकसित देशों की तुलना में अपनी ड्यूटी को अधिक कम करना है। घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव तथा विशाल व्यापार घाटे को देखते हुए भारतीय उद्योग सामान्यतया सेक्टोरल वार्ता से सशंकित है।

सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए) :

14. भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए), (जिसे आईटीए-1 के नाम से भी जाना जाता है), जिसे विश्व व्यापार संगठन का एक बहु-पक्षीय करार है, पर हस्ताक्षर किया है। आज की तारीख तक इस पर 75 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है, जिसमें से 27 ईयू के सदस्य देश भी आते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों के व्यापार में लगभग 97 प्रतिशत का हिस्सा है। 25 मार्च 1997 को भारत ने आई टी ए को ज्वाइन किया।

15. पिछले कुछ वर्षों में आईटीए के कुछ विकसित देश सदस्य-संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय समुदाय और जापान-ने आईटीए समिति की बैठकों में पुन: यह प्रस्ताव किया है कि आईटीए (आईटीए-2 के रुप में यथा संदर्भित) के विस्तार और कवरेज को बढ़ाया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव मूलत: आईटी उत्पादों के कवरेज को बढ़ाये जाने से संबंधित हैं जिनपर कि सीमा शुल्क शून्य हो सकता है। इसके अलावा ये गैर टैरिफ उपायों के समाधान और हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है जिससे कि अर्जेन्टीना, बीज और दक्षिण अफ्रीका जैसे नये देश भी इसमें हस्ताक्षर करके शामिल हो सकें। आईटीए के विस्तार के समर्थकों ने एक समेकित सूची तैयार की है जिनमें उन आईटी उत्पादों (आईटीए-2) के सभी समर्थकों के हितों से संबंधित उत्पादों को मिलकर) को शामिल किया गया है जिनपर टैरिफ में कमी किये जाने के लिए मांग की गई है और इस सूची को विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है। पिछले वर्ष हुई विश्व व्यापार संगठन की बैठक में इस मुद्दे पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया था, लेकिन इस पर अंतिम रुप से सहमति अभी तक नहीं हो पायी है।

16. आईटीए-1 के बारे में हितधारकों में सामान्य धारणा यह है कि इसने हमारे हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित

किया है। अत: इसके किसी और विस्तार को लेकर आशंकाएं हैं। इसके अलावा ऐसी राय है कि आईटी उत्पादों पर कम ड्यूटी सरकार की घरेलू विनिर्माण पहलों से भी टकरा सकती है। आईटीए में देशों द्वारा किए गए बलिदान का स्तर भी भिन्न भिन्न है क्योंकि अधिक बाजार तथा अधिक औसत कस्टम ड्यूटी वाले देश अन्यों की तुलना में अधिक प्रतिबद्धताएं कर रहे हैं। वाणिज्य सचिव ने आईटीए-1 से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों की तकनीकी भागीदारी का सुझाव देते हुए जापान के आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग उप मंत्री को पत्र भी लिखा था।

<u>एमएसएमई तथा डब्ल्यूटीओ</u>

17. पिछले दशक में डब्ल्यूटीओ ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला के सृजन में उनके महत्वपूर्ण लिंकेज को स्वीकार करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर अनेक चर्चा शुरू की है। 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 59 देशों (जिसमें चीन, रूस, यूरोपीय संघ तथा ब्राजील शामिल हैं) ने अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एमएसएमई के लिए एक औपचारिक कार्य योजना स्थापित करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय परिणाम के लिए प्रयास करने हेतु डब्ल्यूटीओ में एमएसएमई पर एक अनौपचारिक कार्य समूह का गठन करने की घोषणा की। भारत इस पहल का अंग नहीं है क्योंकि इसका मानना है कि डब्ल्यूटीओ के विषय क्षेत्रों एवं लोच के रूप में एमएसएमई पर चर्चा अनन्य रूप से एमएसएमई के रूप में उप राष्ट्रीय संस्था को संधान करने के लिए प्रयोग करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

सबसे कम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ तरजीह (डीएफटीपी) स्कीम[1]

18. भारत पहला विकासशील देश है जिसने वर्ष 2008 में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) को ड्यूटी फ्री कोटा फ्री (डीएफक्यूएफ) अक्सेस प्रदान किया और इसके माध्यम से दिसंबर 2005 में विश्व व्यापार संगठन की हांगकांग मंत्री स्तरीय घोषणा के एक प्रमुख घटक की पूर्ति की। भारत की डीएफक्यूएफ योजना का नाम ड्यूटी फ्री टैरिफ तरजीह (डीएफटीपी) योजना है। इस योजना का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा भारत के बाजार में सबसे कम विकसित देशों के निर्यात को इष्टतम पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार में 1 अप्रैल 2014 से डीएफटीपी योजना के उत्पादों के कवरेज का विस्तार किया है तथा मार्च 2015 में उत्पत्ति के नियमों से संबंधित प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। कस्टम टैरिफ अधिसूचना संख्या 8/2014 दिनांक 1 अप्रैल 2014 के अनुसार भारत अपनी कुल 5205 टैरिफ लाइनों (वर्गीकरण के एचएस 6 डिजिट स्तर पर) के 98.2 प्रतिशत पर ड्यूटी फ्री / तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करता है। वास्तव में केवल 97 टैरिफ लाइनें भारत की बहिष्कार सूची में हैं जबकि 114 टैरिफ लाइनें तरजीह के मार्जिन पर हैं। शेष टैरिफ लाइनों पर भारत के बाजार में ड्यूटी फ्री निर्यात की अनुमति है। इसके अलावा, प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए कस्टम गैर टैरिफ अधिसूचना 29/2015-कस्टम (एनटी) दिनांक 10 मार्च 2015 के माध्यम से डीएफटीपी योजना के उत्पत्ति के नियमों में कतिपय प्रक्रियात्मक संशोधन किए गए।

19. 2017 में डीएफटीपी योजना[2] के लाभार्थियों के रूप में नाइजर और गीनिया की अधिसूचनाओं के साथ लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 34 हो गई। लाभार्थी एलडीसी देश इस प्रकार हैं : अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोमोरोस, इरिट्रिया, इथोपिया, गांबिया, गुआना, गुआना बिसाऊ, हैती, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मालावी, माले, मोजांबिक, म्यांमार, नाइजर, रवांडा, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, तिमोर लेस्ते, टोगो, युगांडा, तंजानिया संयुक्त गणराज्य, यमन और जांबिया। शेष एल डी सी देश अभी तक इस स्कीम के लाभार्थी नहीं बने हैं। ये देश हैं : अंगोला, भूटान,

[1] भारत की डीएफटीपी योजना के संबंध में संगत सूचना http://commerce.gov.in/writereaddata/UploadedFile/MOC_636434269763910839_international_tpp_DFTP.pdf पर प्राप्त की जा सकती है।

[2] कस्टम अधिसूचना संख्या 68/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 के माध्यम से

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिबूती, भूमध्यरेखीय गीनिया, किरबाती, मॉरीटानिया, नेपाल, साओ टोम और प्रिंसिपे, सियरा लियोन, सोलोमन आइलैंड, दक्षिण सूडान, तुवालू एवं वनातू।

डब्ल्यूटीओ का व्यापार सुगमता करार (टीएफए)

20. व्यापार सुगमता पर दिसंबर 1996 में सिंगापुर में आयोजित डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में चर्चा हुई थी (और इसलिए सिंगापुर मुद्दों में से एक है) तथा सदस्य औपचारिक रूप से जुलाई 2004 में व्यापार सुगमता पर वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए थे। वार्ता के लिए अधिदेश यह था कि अनुच्छेद 5 (पारगमन की आजादी), अनुच्छेद 8 (आयात और निर्यात से संबद्ध शुल्क एवं औपचारिकताएं) और गैट 1994 के अनुच्छेद 10 (व्यापार विनियमनों का प्रकाशन एवं प्रशासन) को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा सुधार लाया जाना चाहिए। दिसंबर 2013 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन (या एमसी 9) में व्यापार सुगमता करार (टीएफए) के अंतिम पाठ पर सहमति हुई थी। टीएफए को लागू करने के लिए टीएफ पर तैयारी समिति स्थापित की गई।

21. डब्ल्यूटीओ के करारों में टीएफए को शामिल करने के लिए नवंबर 2014 में संशोधन प्रोटोकॉल अपनाया गया। टीएफए को अपनाया जाना डब्ल्यूटीओ के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पुष्टि के अधीन है। भारत ने 22 अप्रैल 2016 को व्यापार सुगमता करार की पुष्टि कर दी है। इसके बाद 110वें सदस्य द्वारा इसकी पुष्टि के साथ 22 फरवरी 2017 को व्यापार सुगमता करार की पुष्टि की गई। 19 अक्टूबर 2018 तक की स्थिति के अनुसार 139 सदस्यों ने पुष्टि कर दी है जिसमें जिंबाब्वे पुष्टि करने वाला आखिरी देश है।

22. व्यापार सुगमता करार तीन भागों में बंटा है - खंड 1 (व्यापार सुगमता के सारवान विषय); खंड 2 (विकासशील देशों तथा सबसे कम विकसित देशों के लिए विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार के प्रावधान); और खंड 3 (संस्थानिक व्यवस्थाएं तथा अंतिम प्रावधान)। खंड 1 में सीमा स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा पारदर्शिता के नए उपायों को अपनाने के संबंध में प्रावधान हैं। इसमें 12 अनुच्छेद हैं।

व्यापार सुगमता करार के खंड 1 में कुल 239 उप प्रावधान हैं जिनमें सदस्यों को प्रतिबद्धताएं करनी हैं। भारत ने श्रेणी "क" (कार्यान्वित या कार्यान्वयन में सक्षम) के तहत 175 उप प्रावधानों को अधिसूचित किया है तथा 64 को श्रेणी "ख" (5 साल की पारगमन अवधि की आवश्यकता है) के तहत रखा है। इसके अलावा 110 देशों ने श्रेणी "क" की प्रतिबद्धताओं को नामोदिष्ट किया है, जबकि 59 देशों (यूरोपीय संघ की गणना एक के रूप में की गई है) ने श्रेणी "ख" की प्रतिबद्धताओं को नामोदिष्ट किया है और 46 देशों ने श्रेणी "ग" की प्रतिबद्धताओं को नामोदिष्ट किया है।

23. भारत ने व्यापार सुगमता करार के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति (एनसीटीएफ) का भी गठन किया है जिसकी अध्यक्षता संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ द्विवार्षिक आधार पर मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाती है। सीआईआई, फिक्की, एफआईईओ जैसे शीर्ष उद्योग चैंबरों को भी शामिल किया गया है। दूसरे स्तर में एक संचालन समिति है जो सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के एक कोर ग्रुप के साथ समिति का उप वर्ग है जिसकी तिमाही आधार पर बैठक होती है; यह कार्य समूहों एवं कार्य योजनाओं को स्थापित करती है। तीसरे स्तर में विशेष प्रयोजन लिए सृजित तदर्थ कार्य समूह हैं तथा कार्य के पूरा हो जाने पर उन्हें भंग कर दिया जाएगा।

24. व्यापार सुगमता के लाभों को इष्टतम करने के उद्देश्य से 2017-2020 के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना (एनटीएफएपी) तैयार की गई है जिसमें व्यापार से जुड़ी अड़चनों को और शिथिल करने के लिए विशिष्ट गतिविधियों का उल्लेख है। कार्य योजना के कार्य बिंदुओं को डब्ल्यूटीओ के व्यापार सुगमता करार (टीएफए) के अनुच्छेदों से मानचित्रित किया गया है तथा व्यवसाय करने की सरलता में सुधार से संबंधित हमारे नीतिगत उद्देश्यों से संरेखित किया है गया। इसमें निश्चित समय सीमा के साथ कार्यान्वयन के लिए व्यापार सुगमता की 76 गतिविधियां शामिल हैं। प्रत्येक गतिविधि को

सख्त समय सीमा की संक्षिप्त अवधि (6 माह तक), मध्यम अवधि (6 से 18 माह) और दीर्घ अवधि (18-36 माह) में कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार किसी प्रधान एजेंसी के साथ जोड़ा गया है। अधिकांश गतिविधियां टीएफए प्लस हैं। टीएफए गतिविधियों के साथ भी, जिन्हें भारत द्वारा प्रभावी होने की तिथि अर्थात फरवरी 2018 से 5 साल की कार्यान्वयन अवधि के साथ डब्ल्यूटीओ में श्रेणी "ख" के तहत अधिसूचित किया गया है, हमने एनटीएफएपी में पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि स्वेच्छा से 36 माह रखा है।

25. व्यापार सुगमता करार में पारगमन के अधीन माल सहित माल की आवाजाही, छुड़ाई और क्लियरेंस की गति तेज करने के लिए प्रावधान हैं। इसने व्यापार सुगमता तथा सीमा शुल्क अनुपालन के मुद्दों पर सीमा शुल्क तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के बीच कारगर सहयोग के उपायों को भी प्रतिपादित किया है। ये उद्देश्य भारत की "व्यवसाय करने में सरलता" पहल के अनुरूप हैं।

<u>अन्य मुद्दे</u>

मानक एवं तकनीकी विनियम

26. विश्व स्तर पर,टैरिफ घट रहा है तथा औद्योगिक माल पर समग्र वैश्विक औसत आयात वेटेड टैरिफ घटकर 4 प्रतिशत के आसपास रह गया है। चूंकि काफी संख्या में देशों के बीच मुक्त व्यापार करार पर वार्ता चल रही है, औसत वैश्विक टैरिफ दरें और घटेंगी जिससे बाजार पहुंच में टैरिफ की भूमिका कम होगी। हालांकि विश्व के कुछ कोनों में टैरिफ की दीवारों में कुछ उछाल प्रतीत होता है, तकनीकी विनियमों (अनिवार्य मानक) तथा अनुरूपता मूल्यांकन की अनेक प्रक्रियाओं का प्रयोग अधिक बड़े टैरिफ रहे हैं।

27. भूमंडलीकृत बाजार स्थल में विकासशील देशों के समक्ष एक प्रमुख चुनौती सेनेट्री और फाइटो सेनेट्री की शर्तों पर करार की आवश्यकताओं का पालन करने तथा व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए घरेलू क्षमता का अभाव है, जो अब बाजार पहुंच के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षाएं हैं जिन्हें वैश्विक व्यापार प्रणाली में शामिल किया गया है। व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं पर डब्ल्यू टी ओ करार (टी बी टी) और सेनेट्री एवं फाइटोसेनेट्री उपायों (एस पी एस) पर करार इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण करार हैं।

28. व्यापार के साथ मानकों और तकनीकी विनियमों का सहक्रियाशील संबंध है। मानकों और तकनीकी विनियमों से व्यापार बढ़ता है क्योंकि मानक सूचनाओं की असममिति, उपभोक्ताओं को सिग्नल की गुणवत्ता कम करते हैं और संभावित व्यापार साझेदारों के लिए एक जैसी भाषा का सृजन करते हैं और इस प्रकार लेनदेन की समग्र लागत को कम करते हैं। तथापि साथ ही वैश्विक व्यापार में गैर टैरिफ बाधाओं (एन टी बी) के रूप में मानकों और तकनीकी विनियमों के प्रभाव पर चिंताएं भी अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। उत्पादों पर मानकों को अनिवार्य करने तथा तकनीकी विनियमों, मानकों, मौसम विज्ञान, अनुरूपता आकलन एवं प्रत्यायन से संबंधित समुचित इको सिस्टम स्थापित करने से घरेलू बाजार को असुरक्षित आयात से पाटने से बचाने में मदद मिलेगी, जो उपभोक्ताओं के साथ साथ घरेलू उद्योग को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

<u>विनियामक अंतरालों को दूर करने के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) अधिसूचित करना</u>

29. भारत में विनियामक अंतराल को दूर करने के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) अधिसूचित करने के बारे में सचिव समिति (सीओएस) के निर्णय के अनुसरण में तथा कोर ग्रुप की समीक्षाओं के माध्यम से अनुवर्तन के रूप में तकनीकी विनियम अधिसूचित करने की गति काफी बढ़ गई है। कमजोर ढंग से परिभाषित विनियमों से परहेज करते हुए, इस संबंध में 'डब्ल्यूटीओ के अनुपालन में क्या करें और क्या न करें' के बारे में विनियामकों को सूचित किया जाता है। तकनीकी विनियम तैयार करने, अपनाने और लागू करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से तालमेल स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

<u>आयात पर निर्भरता घटाने के लिए विभिन्न मदों की पहचान</u>

30. आयात पर निर्भरता घटाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए डीआईपीपी के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार किए गए और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अनुमोदित किए गए ढांचे को सभी मंत्रालयों / विभागों को परिचालित किया गया जो कार्यबल के सदस्य हैं तथा उनसे आयात पर निर्भरता घटाने की रणनीतियां तैयार करने हेतु चर्चा आरंभ करने के लिए कार्य योजना प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए शुरू किया गया सहायता और आउटरीच कार्यमक्रम

31. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 नवंबर 2018 को एमएसएमई सहायता और आउटरीच कार्यमक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी भाग लेते हैं तथा देश में एमएसएमई के वित्तीय एवं अन्य मुद्दों का समाधान करते हैं। कोटिपरक रूपरेखा की दृष्टि से कार्यक्रम एमएसएमई क्लस्टरों में गुणवत्ता प्रमाण पत्र जैसे कि आईएसओ-9000 के पंजीकरण को बढ़ावा देता है। कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी साप्ताहिक आधार पर डैशबोर्ड (www.msmesupport.gov.in) पर की जाती है।

32. गुणवत्ता के एजेंडा पर और बल देने के लिए वाणिज्य विभाग अगले 100 दिनों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मानक गोष्ठियों का आयोजन करने जा रहा है। मुंबई (8-9 फरवरी 2019) में एक विशेष राष्ट्रीय मानक गोष्ठी तथा उत्तर प्रदेश (लखनऊ, 4 जनवरी 2019), ओडिशा (भुवनेश्वर, 18 जनवरी 2019) और तेलंगाना (हैदराबाद, मार्च 2019 से पहले) में क्षेत्र मानक गोष्ठियों का आयोजन करने का प्रस्ताव है।

उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी)

33. अवसरों का लाभ उठाने, चुनौतियों का समाधान करने तथा समकालीन वैश्विक व्यापार परिदृश्य में नए मुद्दों के बीच आगे की राह तलाशने के बारे में सिफारिशें करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा डॉ. सुरजीत भल्ला, निदेशक, आक्सस रिसर्च एंड इनवेस्टमेंट, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) का गठन किया गया है। अर्थशास्त्र, व्यापार, निधि प्रबंधन तथा विदेश संपर्क के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति इस एचएलएजी के सदस्य हैं। समिति अपनी सिफारिशों के साथ शीघ्र ही वाणिज्य विभाग को अपने निष्कर्ष प्रदान करेगी।

मानक गोष्ठी तथा भारतीय राष्ट्रीय मानक रणनीति (आईएनएसएस) दस्तावेज

34. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) तथा अन्य ज्ञान साझेदारों के साथ मिलकर वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने 18 और 19 जून 2018 को नई दिल्ली में 5वीं राष्ट्रीय मानक गोष्ठी का आयोजन किया। इस दो दिवसीय गोष्ठी का उल्लेख भारतीय राष्ट्रीय मानक रणनीति (आईएनएसएस) के कार्यान्वयन पर चर्चा करना था।

35. आईएनएसएस राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानक गोष्ठियों के माध्यम से 2014 से 2017 के बीच 4 साल की अवधि में आयोजित परामर्शों में प्राप्त विस्तृत सर्वसम्मति का परिणाम है, जिसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों, उद्योग, विनियामक संस्थाओं, राष्ट्रीय एवं विदेशी मानक एवं अनुरूपता मूल्यांकन संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विशेषज्ञों एवं हितधारकों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। आईएनएसएस में गुणवत्ता इको सिस्टम के चार विस्तृत स्तंभों का उल्लेख है अर्थात (I) मानक विकास; (II) अनुरूपता आकलन एवं प्रत्यायन; (III) तकनीकी विनियम तथा एसपीएस उपाय; और (IV) जागरूकता एवं शिक्षा।

शिक्षा : यह प्रत्येक स्तंभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्धारण करता है तथा उसके तहत लक्ष्यों का निर्धारण करता है। आईएनएसएस कार्यान्वयन की प्रारूप रिपोर्ट पर मुंबई में 8 और

9 फरवरी 2019 को प्रस्तावित विशेष राष्ट्रीय मानक गोष्ठी में चर्चा की जाएगी।

चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल

सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी (50 प्रतिशत से अधिक), एफडीआई अंत:प्रवाह (लगभग 50 प्रतिशत), निर्यात और नौकरी सृजन में काफी योगदान करता है। सेवा विकास से विशेष रूप से पिछले दो दशकों में भारत की समग्र विकास दर में वृद्धि हो रही है। 2004-05 से 2010-11 के दौरान भारत ने 8.8 प्रतिशत की समग्र विकास दर प्राप्त की है, जिसका ज्यादातर श्रेय सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक विकास दर को जाता है। 2016-17 में समग्र विकास दर 6.6 प्रतिशत थी, जबकि सेवा क्षेत्र की विकास दर 7.7 प्रतिशत थी। सेवा व्यापार का सरप्लस भारत के वस्तु व्यापार के 50 प्रतिशत से अधिक घाटे का वित्त पोषण कर रहा है। धनप्रेषण सहित सेवा व्यापार का सरप्लस भारत के वस्तु व्यापार के लगभग 110 प्रतिशत घाटे का वित्त पोषण करता है। ऐसी उम्मीद है कि 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यस्था हो जाएगा और इस 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर में से 60 प्रतिशत अर्थात 3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान सेवा क्षेत्र से होगा।

यद्यपि सेवा क्षेत्र अवसर प्रदान करता है, यह ऐसी चुनौतियों का भी सामना कर रहा है जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। वित्तीय संकट के बाद से सेवा क्षेत्र की विकास दर फीकी पड़ी है। भारत के सेवा निर्यात की विशेषता यह है कि यह आईटी तथा आईटीईएस (भारत के सेवा निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत) पर अधिक निर्भर है। सेवा क्षेत्र के सतत विकास के लिए, नए क्षेत्रों को शामिल करने तथा कृत्रिम आसूचना, इंटरनेट तथा उद्योग 4.0 जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए हमारे आईटी माडल को अपग्रेड करने की तत्काल आवश्यकता है। देश में विभिन्न सेवा क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से सेवा क्षेत्र के मुद्दों तथा परस्पर जुड़े मुद्दों दोनों का सामधान करना आवश्यक है।

वैश्विक सेवा प्रदर्शनी 2015 के उद्‌घाटन संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व का सेवा केन्द्र बनने की भारत की संभावना को उजागर किया था। वर्ष 2022 भारत की आजादी का 75वां वर्ष होगा। वाणिज्य विभाग माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए गहन प्रयास कर रहा है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत के सेवा क्षेत्र का शेयर 2014 में 3.1 प्रतिशत की तुलना में 2017 में 3.47 प्रतिशत था। वाणिज्य विभाग का उद्देश्य 2022 तक वैश्विक सेवा निर्यात में 4.2 प्रतिशत शेयर के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

'सेवा में चैंपियन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना' पर वाणिज्य विभाग के मंत्रिमंडल नोट को मंत्रिमंडल द्वारा 28 फरवरी, 2018 को मंजूरी प्रदान की गई। मंजूरी निम्नलिखित पर प्राप्त हुई है :

- ✓ सीएसएसएस के तहत 12 सेवा क्षेत्रों अर्थात आईटी एवं आईटीईएस, पर्यटन एवं आतिथेय सेवा, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन एवं लाजिस्टिक्स सेवा, लेखांकन एवं वित्तीय सेवा, श्रव्य दृश्य सेवा, विधिक सेवा, संचार सेवा, निर्माण एवं संबद्ध इंजीनियरिंग सेवा, पर्यावरण सेवा, वित्तीय सेवा तथा शिक्षा सेवा का समावेशन।
- ✓ हितधारकों तथा वाणिज्य विभाग के परामर्श से परस्पर जुड़े मुद्दों के लिए कार्य योजनाएं तथा सेक्टोरल कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए संबंधित नोडल मंत्रालयों / विभागों को निदेश देना। इनमें अन्य बातों के साथ कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य तथा समय सीमा शामिल होंगे।
- ✓ सेक्टोरल कार्य योजनाओं के समय से तथा नियमित निगरानी के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्रों के संबंधित सचिवों को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक सचिव समिति (सीओएस) का गठन करना। वाणिज्य विभाग सचिव समिति को सचिवालय सहायता प्रदान करेगा।
- ✓ चैंपियन क्षेत्रों की सेक्टोरल कार्य योजनाओं के लिए पहलों को सहायता प्रदान करने हेतु 5000 करोड़ रुपए की एक समर्पित निधि का सृजन।

उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा मंत्रिमंडल नोट में सांकेतिक सेक्टोरल सुधार दृष्टिकोण / योजनाएं शामिल की गई हैं, जो चिह्नित संबंधित नोडल मंत्रालयों / विभागों द्वारा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए इनपुट हो सकते हैं। निम्नलिखित की परिकल्पना कार्य योजना के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में की गई है :

(i) सेक्टोरल मुद्दों के अलावा परस्पर जुड़े मुद्दों का समाधान करना जिसमें विनियामक रूपरेखा में सुधार, सेवा मानकों का विकास, विदेशी भाषा में सक्षमता सहित कौशल विकास, वीजा सुधार आदि शामिल हैं।

(ii) मंत्रिमंडल नोट में उल्लिखित 5 स्तंभों के तहत सारवान सामग्री शामिल करना, अर्थात व्यवसाय करने की सरलता में सुधार के लिए नई प्रक्रियाएं, भौतिक एवं डिजिटल संपर्क सुदृढ़ करने के लिए नई अवसंरचना, मूल्यवर्धन के लिए उपयोग न की गई क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान पर आधारित नए क्षेत्र, रोजगार सृजन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, अधिकारियों को निर्गमकर्ता / अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के स्थान पर व्यवसाय में साझेदार बनाने के लिए नई सोच और एक सेवा मानक व्यवस्था के विकास के लिए नए मानक।

(iii) सेवा क्षेत्रों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों पर बल देना।

(iv) सेवाओं के उपभोग के लिए भारत आने हेतु विदेशियों को आकर्षित करने सहित सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए नई पहलों पर बल देना।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 15 मई, 2018 को मुंबई में आयोजित वैश्विक सेवा प्रदर्शनी में 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों का उद्‌घाटन किया। इसमें चैंपियन सेवा क्षेत्र पोर्टल (www.indiaservices.in) तथा चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल के लोगो का अनावरण शामिल था। ऐसी परिकल्पना है कि 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों से संबंधित नोडल मंत्रालयों / विभागों की सेक्टोरल योजनाएं छत्रछाया योजना अर्थात चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत प्रचालन करेंगी। नोडल मंत्रालय / विभाग हितधारकों तथा वाणिज्य विभाग के परामर्श से अपने-अपने सेवा क्षेत्रों के लिए सेक्टोरल कार्य योजनाओं एवं सेक्टोरल योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। अब तक जांच समिति ने सीएसएसएस के तहत विभिन्न नोडल मंत्रालयों / विभागों की सेक्टोरल योजनाओं के लिए वित्त पोषण के प्रस्तावों की सिफारिश की है तथा कुछ अन्य के लिए अतिरिक्त निधियां निर्धारित की है।

X. वार्ता

आरसीईपी वार्ताएं **:**

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) 16 देशों अर्थात आसियान के 10 देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) तथा उनके 6 एफटीए साझेदारों (जिनको एफपी या आसियान एफटीए साझेदार के नाम से भी जाना जाता है) अर्थात आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) है। नवंबर 2018 तक की स्थिति के अनुसार, दो आरसीईपी नेता शिखर बैठकों, 6 मंत्री स्तरीय बैठकों, 7 अंतर्सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठकों तथा विशेषज्ञ स्तर पर 24 आरसीईपी वार्ता चक्रों का आयोजन हो चुका है। संस्थानिक तौर पर आरसीईपी 9 कार्य समूहों (माल, सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, विधिक एवं संस्थानिक मुद्दे, प्रतियोगिता, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, सरकारी प्रापण तथा ई-कामर्स) और 7 उप कार्य समूहों (उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं एवं व्यापार सुगमता, एसपीएस, स्ट्राकैप, व्यापार निदान, वित्तीय सेवाएं तथा दूरसंचार सेवाएं) के साथ शीर्ष स्तर पर व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) का निर्माण करता है।

सिंगापुर में 14 नवंबर, 2018 को आयोजित द्वितीय आरसीईपी नेता शिखर बैठक ने नेताओं को ऐसे समय में जब व्यापार तनावों की पृष्ठभूमि में संरक्षणवाद के कारण विश्व व्यापार सुस्त पड़ा है, मुक्त व्यापार को वे जो महत्व देते

हैं उसका संकेत देने के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर प्रदान किया। द्वितीय आरसीईपी शिखर बैठक की घोषणा ने 2018 में आरसीईपी वार्ता में हुई सारवान प्रगति का स्वागत किया तथा 2019 में आधुनिक, व्यापक, उच्च स्तरीय तथा परस्पर लाभप्रद आरसीईपी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेताओं ने 16 में से 7 अध्यायों के पूरे हो जाने का भी स्वागत किया जिसमें से 5 अध्याय इस साल पूरे हुए हैं। उन्होंने शेष सभी अध्यायों एवं अनुबंधों को पूरा करने के लिए वार्ता की गति तेज करने की आवश्यकता को उजागर किया।

तकनीकी स्तर पर, माल, सेवा एवं निवेश में बाजार पहुंच के प्रमुख क्षेत्रों तथा नियम दोनों में काफी प्रगति हुई है। 'अनुरोधों एवं प्रस्तावों' के माध्यम से माल एवं सेवा तथा निवेश की आपत्ति सूचियों पर प्रस्ताव में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। नियमों के क्षेत्र में, विशेष रूप से पाठों पर भी प्रगति हो रही है।

एशिया - प्रशांत व्यापार करार के चौथे चक्र के तहत टैरिफ रियायतों का कार्यान्वयन 6 देशों अर्थात बंग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, कोरिया गणराज्य तथा श्रीलंका के बीच एशिया - प्रशांत व्यापार करार (आप्टा) के तहत वार्ता के चौथे चक्र के निर्णयों को 01 जुलाई 2018 से कार्यान्वित किया गया है। भारत ने अपनी ओर से सभी सदस्य देशों के साथ 3142 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतों तथा एलडीसी अर्थात बंग्लादेश तथा लाओ पीडीआर के लिए 48 टैरिफ लाइनों पर विशेष रियायतों का आदान प्रदान किया है।

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)

ब्रिक्स 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है : ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पूर्व मूलत: पहले 4 देश "ब्रिक" के रूप में समूहबद्ध थे। सदस्य देश वार्षिक आधार पर बारी-बारी से ब्रिक्स के अध्यक्ष बनते हैं। वर्ष 2018 के लिए दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का अध्यक्ष है। वाणिज्य विभाग ब्रिक्स के तहत आर्थिक एवं व्यापार के मुद्दों को संभालता है जिन पर संस्थानिक तंत्र के तहत चर्चा होती है जिसे व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों पर संपर्क समूह (सीजीईटीआई) के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान मार्च, मई और जुलाई 2018 में सीजीईटीआई की तीन बैठकों (17वीं, 18वीं और 19वीं) का आयोजन हुआ। ब्रिक्स के व्यापार मंत्रियों की 8वीं बैठक 05 जुलाई, 2015 को हुई। 10वीं ब्रिक्स नेता शिखर बैठक का आयोजन 25 और 25 से 27 जुलाई, 2018 के दौरान जोहांसबर्ग में हुआ। ब्रिक्स के सीजीईटीआई के तहत चर्चा के प्रमुख क्षेत्र गैर टैरिफ उपाय, सेवाएं, बौद्धिक संपदा, ई-कामर्स, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आदि हैं। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स की सीजीईटीआई वार्ता ने निम्नलिखित दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जिन्हें 05 जुलाई 2018 को आयोजित 8वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्री बैठक में अपनाया गया :

i) तकनीकी विनियमों, मानकों, मौसम विज्ञान, व्यापार को सुगम बनाने के लिए सहयोग हेतु अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर कार्य तंत्र
ii) ब्रिक्स संयुक्त व्यापार अध्ययन की समीक्षा के लिए विचारार्थ विषय
iii) ब्रिक्स आईपीआरसीएम कार्यान्वयन रूपरेखा
iv) ब्रिक्स आईपीआर कार्य योजना
v) ब्रिक्स देशों में आईपीआर पर गाइड बुक के लिए रूपरेखा
vi) समावेशी ई-कामर्स विकास पर ब्रिक्स सहयोग रूपरेखा
vii) एमएसएमई सहयोग पर संस्थानिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए विचारार्थ विषय
viii) समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए सहायता का ब्रिक्स वक्तव्य
ix) सीजीईटीआई निगरानी तंत्र
x) सेवाओं में व्यापार सांख्यिकी

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) यूरेशियाई, राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा गठबंधन है। 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा एससीओ के गठन की घोषणा की गई। संगठन का औपचारिक रूप से गठन करने वाले एससीओ चार्टर पर जून 2002 में हस्ताक्षर किए गए तथा यह 19 सितंबर, 2003 को लागू हुआ। शरू में भारत और पाकिस्तान एससीओ के प्रेक्षक बने। वे अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित शिखर बैठक में 9 जून 2017 को एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। शासनाध्यक्ष (प्रधानमंत्री) परिषद एससीओ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी वर्ष में एक बार बैठक होती है तथा यह संगठन के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णयों एवं दिशानिर्देशों को अपनाती है।

वाणिज्य विभाग एससीओ की दो बैठकों में भाग लेता है अर्थात (i) विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार एससीओ के सदस्य देशों के मंत्रालयों एवं एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के आयोग की बैठक (एससीओ वरिष्ठ अधिकारी बैठक) और; (ii) विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों की बैठक। 2018 के दौरान, एससीओ के वरिष्ठ अधिकारियों की दो बैठकों का आयोजन मई और सितंबर, 2018 में हुआ। शंघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक सितंबर, 2018 में दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुई। एससीओ के तहत जिन क्षेत्रों पर चर्चा हुई उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : बहुपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग (एमटीईसी), सेवाएं, ई-कामर्स, व्यापार सुगमता आदि। मंत्रियों / शिष्टमंडल प्रमुखों ने एससीओ क्षेत्र में वर्तमान स्थिति तथा बहुपक्षीय व्यापार, आर्थिक एवं निवेश सहयोग के और विकास की संभावनाओं पर विचारों का आदान प्रदान किया। मंत्रियों / शिष्टमंडल प्रमुखों ने अन्य बातों के साथ सीमा शुल्क सहयोग पर एससीओ के सदस्य देशों के विशेष कार्य समूह पर विनियमों को अनुमोदित किया।

जी-20 और भारत

एशियाई वित्तीय संकट के आलोक में 19 राष्ट्रों (अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य) तथा यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों तथा केन्द्रीय बैंक के गवर्नर के फोरम के रूप में 1999 में स्थापित किया गया। तथापि, 2008 में जी20 की अहमियत उस समय बढ़ गई जब इसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री एवं केन्द्रीय बैंक गवर्नर के मंच से ऊपर उठाकर राष्ट्राध्यक्षों / शासनाध्यक्षों का मंच बनाया गया। जी20 ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में 2009 में जी8 को प्रतिस्थापित किया। जी20 के सदस्य लगभग 85 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, 75 प्रतिशत से अधिक वैश्विक व्यापार तथा विश्व की दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अर्जेंटीना ने 2018 में जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 2018 में मार डेल प्लाटा, अर्जेंटीना में 14 सितंबर 2018 को आयोजित जी 20 के व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के अंत में मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए कृषि खाद्य वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) के बढ़ते महत्व को स्वीकार किया, नई औद्योगिक क्रांति (एनआईआर) पर, मंत्रियों ने अपने वक्तव्य में वैश्विक व्यापार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की केन्द्रीय भूमिका को स्वीकार किया।

मंत्रियों ने डब्ल्यूटीओ को फिर से जीवंत बनाने की आवश्यकता पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए भारत की सच्ची प्रतिबद्धता को दोहराया तथा विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार, सर्वसम्मति निर्माण तथा पारदर्शिता के इसके मूल सिद्धांतों को खोखला किए बगैर डब्ल्यूटीओ को सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की मांग की।

जी20 नेता शिखर बैठक 30 नवंबर 2018 से 01 दिसंबर 2018 के दौरान अर्जेंटीना में हुई।

जापान 2019 में जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड)

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) का उद्देश्य विकासशील देशों को एक विश्व अर्थव्यवस्था में समेकित करना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) व्यापार एवं विकास तथा इनसे संबंधित मुद्दों जिनमें वित्त, प्रौद्योगिकी, निवेश और सतत विकास के क्षेत्र आते हैं, के समेकित उपचार हेतु संयुक्त राष्ट्र के एक केन्द्र बिन्दु के रुप में काम करता है। अंकटाड के वर्तमान अधिदेश के तीन स्तम्भ इस प्रकार हैं : (क) स्वतंत्र नीति विश्लेषण; (ख) सहमति बनाना; और (ग) तकनीकी सहायता।

मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसकी बैठक हर चौथे वर्ष होती है, अंकटाड का सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री निकाय है तथा संगठन के लिए प्राथमिकता और दिशा निर्देश तय करती है तथा प्रमुख आर्थिक और विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करता है तथा विकास की नीति पर सहमति बनाता है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 17 से 22 जुलाई 2016 के दौरान नैरोबी, कीनिया में हुआ।

वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली (जीएसटीपी)

वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली (जी एस टी पी) को स्थापित करने वाले करार पर हस्ताक्षर 13 अप्रैल, 1988 को बेलग्रेड में किये गये। जी एस टी पी वार्ता का वर्तमान चक्र, जिसे साओ पॉउलो दौर के नाम से भी जाना जाता है, 22 प्रतिभागी देशों के साथ 2004 में साओ पॉउलो, ब्राजील में अंकटाड की 11वीं चतुर्थ वर्षीय सम्मेलन के अवसर पर शुरु किया गया।

"साओ पाउलो चक्र के परिणामों को शामिल करने वाला अंतिम अधिनियम" और "जी एस टी पी पर करार पर साओ पाउलो चक्र प्रोटोकाल" पर हस्ताक्षर के लिए 15 दिसंबर 2010 को फोज डो इगुआकू, ब्राजील में जी एस टी पी वार्ता समिति की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। अब तक 44 सदस्य देशों में से 8 देशों ने इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इन 8 देशों में से तीन देशों अर्थात भारत, मलेशिया और क्यूबा ने इसकी पुष्टि कर दी है। 23 अगस्त 2012 को आयोजित अपनी बैठक में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) ने वार्ता के तीसरे चक्र के तहत भारत की रियायत अनुसूची के कार्यान्वियन को अनुमोदित कर दिया था। भारत का प्रस्ताव जी एस टी पी प्रस्ताव के सहमत तौर तरीकों अर्थात 20 प्रतिशत तरजीह मार्जिन (एम ओ पी) के साथ 70 प्रतिशत शुल्क योग्य टैरिफ लाइनों के अनुरूप है। इसके अलावा भारत ने सबसे कम विकसित देशों (एल डी सी) को 25 प्रतिशत एम ओ पी पर 77 प्रतिशत शुल्क योग्य लाइनों की एकपक्षीय पेशकश की है।

वार्ता के तीसरे चक्र के तहत रियायत की अनुसूचियों को कम से कम 4 प्रतिभागियों द्वारा अपनी अनुसूचियों की पुष्टि तथा जी एस टी पी सचिवालय को सूचना देने के 30 दिन बाद कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे 4 प्रतिभागियों के बीच टैरिफ रियायतों को कार्यान्वित किया जाएगा तथा अन्य प्रतिभागी रियायत का लाभ तब उठाएंगे जब वे अपनी अनुसूचियों की पुष्टि कर देंगे।

हाल तक केवल तीन सदस्यों - भारत, मलेशिया और क्यूबा ने अपनी जीएसटीपी अनुसूचियों की पुष्टि की थी। मई 2018 में, उरुग्वे द्वारा साओ पाउलो चक्र प्रोटोकाल की अपनी जीएसटीपी अनुसूचियों की पुष्टि कर दी गई है। अब भारत की रियायत अनुसूची को कार्यान्वित किया जा सकता है क्योंकि अब 4 प्रतिभागियों ने पुष्टि कर दी हैं।

बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक)

बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके सदस्यों की संख्या 7 है, जिनके नाम इस प्रकार हैं : बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड 06 जून

1997 को इसका सदस्य बना। इस पहल का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के चारों ओर समूहबद्ध दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण एशिया के संस्पर्शी देशों को शामिल करते हुए उप क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक सहयेाग को आगे बढ़ाना है।

बिम्स्टेक ने सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले 14 क्षेत्रों की पहचान की है जहां कोई भी सदस्य देश अगुवाई कर सकता है। भारत आतंकवाद तथा राष्ट्रपारीय अपराध की खिलाफत, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पर्यटन एवं परिवहन तथा संचार के लिए लीड कंट्री है।

बिम्स्टेक के सदस्य माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, निवेश तथा सीमा शुल्क सहयोग को शामिल करते हुए 2004 में बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र करार स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। अब तक व्यापार वार्ता समिति (एनसी) की 21 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। बिम्स्टेक टीएनसी की 21वीं बैठक तथा उत्पत्ति के नियम, सेवा, निवेश, सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुगमता तथा विधिक विशेषज्ञ पर कार्य समूहों की बैठकों का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2018 को ढाका में हुआ। निर्णय लिया गया कि बिम्स्टेक करार के तेजी से कार्यान्वयन के लिए अंतर्सत्रीय बैठकों / वीडियो कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाना चाहिए।

XI. किंबर्ली प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम

किंबर्ली प्रक्रिया (के पी) कंफ्लिक्ट डायमंड (वैध सरकारों के विरुद्ध युद्ध के वित्त पोषण के लिए विद्रोही गुटों द्वारा प्रयुक्त रफ डायमंड) के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए सरकार, उद्योग एवं सभ्य समाज की एक संयुक्त पहल है। किंबर्ली प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम (के पी सी एस) एक यू एन अधिदेशित (यू एन जी ए संकल्प संख्या 2000 का 55/56 का तथा यू एन एस सी संकल्प संख्या 2003 का 1459) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन स्कीम है। इसके तहत अपेक्षित है कि प्रत्येक प्रतिभागी रफ डायमंड के उत्पादन एवं व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण लगाएं। किसी गैर प्रतिभागी के साथ रफ डायमंड में व्यापार की अनुमति नहीं है। रफ डायमंड के सभी निर्यात के साथ एक वैध के पी प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि डायमंड संघर्ष मुक्त हैं।

भारत के पी सी एस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस समय के पी सी एस के 54 सदस्य है जिसमें यूरोपीय समुदाय भी शामिल है जो 81 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके एक सदस्य राज्य को एक भागीदार माना जाता है। हीरे का उत्पादन करने वाले व्यापार तथा पालिश करने वाले सभी बड़े केन्द्र इस के पी के सदस्य है। सिविल सोसाइटी और उद्योग समूह इस के पी में सक्रियता से भाग लेते हैं। के पी का अध्यक्ष पद वार्षिक आधार पर बदलता रहता है। उपाध्यक्ष का चयन वार्षिक पूर्ण बैठक में होता है तथा अगले साल वह अपने आप अध्यक्ष बन जाता है। केपीसीएस अध्यक्ष केपीसीएस के कार्यान्वयन, कार्य समूहों एवं समितियों के प्रचालनों तथा सामान्य प्रशासन पर नजर रखते हैं। ईयू वर्ष 2018 के लिए इसका अध्यक्ष बना है और वर्ष 2019 में इसका अध्यक्ष भारत होगा।

विशेष आर्थिक तंत्र तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें

अध्याय 7: विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

1965 में कांडला में एशिया के पहले ईपीजेड की स्थापना के साथ निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) की कारगरता को स्वीकार करने वाला भारत एशिया के पहले देशों में से एक था। इसके बाद 7 और क्षेत्र स्थापित किए गए। तथापि, ये क्षेत्र नियंत्रणों एवं क्लियरेंस की बहुलता, विश्व स्तरीय अवसंरचना का अभाव तथा अस्थिर राजकोषीय व्यवस्था आदि के कारण निर्यात संवर्धन के लिए कारगर साधन के रूप में उभरने में समर्थ नहीं हो पाए। ईपीजेड मॉडल की कमियों को दूर करते हुए, अप्रैल 2000 में घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति में कुछ नई विशेषताएं शामिल की गईं। इस नीति का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रयोक्ता हितैषी विनियामक रूपरेखा के साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आकर्षक राजकोषीय पैकेज के साथ कोटिपरक अवसंरचना के माध्यम से आर्थिक विकास का इंजन बनाना था। कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में पहले से मौजूद सभी 8 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है।

एसईजेड अधिनियम 2005 की शर्तों के अनुसार माल के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए मुक्त व्यापार मालगोदाम क्षेत्र के रूप में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अकेले एसईजेड की स्थापना की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत ऐसे प्रस्तावों पर एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश चालित हैं।

एसईजेड परियोजना के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

एसईजेड अधिनियम 2005 में एसईजेड परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिए एकल खिड़की क्लियरेंस तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है। तद्नुसार राज्य सरकारों से भी निवेशकों के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करने हेतु अपने एसईजेड अधिनियम अधिनियमित करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध किए जाते हैं। एसईजेड परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए समय समय पर एसईजेड के नियमों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। एसईजेड में ऊर्जा संरक्षण के संबंध में व्यापक दिशानिर्देशा जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश ऊर्जा के इष्टतम उपयोग, जल दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, साइट परिरक्षण एवं बहाली आदि के लिए प्रावधान करते हैं।

एसईजेड के लिए एमएटी तथा डीडीटी छूट का वापस लिया जाना :

वित्त मंत्रालय ने एसईजेड विकासकों एवं यूनिटों के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट तथा आयकर अधिनियम के तहत एसईजेड विकासकों के लिए लाभांश वितरण कर (डीडीटी) पर छूट को भी वापस ले लिया है। एमएटी 1 अप्रैल 2012 के बाद बही लाभ पर शिक्षा उपकर एवं अधिभार के अलावा बही लाभ के 18.5 प्रतिशत की दर से लागू है तथा 16.22 प्रतिशत (अब 16.996 प्रतिशत) (15 प्रतिशत प्लस 10 प्रतिशत अधिभार प्लस 3 प्रतिशत उपकर) की दर से एसईजेड विकासकों द्वारा वितरित लाभांश पर 1 जून 2011 से डीडीटी लग सकता है। फरवरी 2011 के बजट प्रस्तावों में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा का एसईजेड के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। पूर्व वाणिज्य मंत्री ने राजकोषीय व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अनिश्चितता की वजह से एसईजेड सेक्टर में भारी मंदी को ध्यान में रखते हुए एसईजेड संस्थाओं के लिए एमएटी और डीडीटी से छूटों को वापस लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री के साथ मामले को उठाया था। तथापि, वित्त मंत्री सहमत नहीं हुए हैं। वाणिज्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 10 जुलाई 2014 के माध्यम से मामले को

फिर से उठाया गया। तथापि, राजस्व सचिव ने अपने पत्र दिनांक 11 अगस्त 2014 के माध्यम से इस विभाग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

<u>एसईजेड सेक्टर में मंदी :</u>

हालांकि पिछले 6 वर्षों में एसईजेड सेक्टर में उपलब्धियां किसी भी रूप में महत्वहीन नहीं हैं, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन से विशेष रूप से वित्त वर्ष 2010-11 के बाद एसईजेड सेक्टर में अनोखी मंदी का पता चलता है। एसईजेड सेक्टर में मंदी निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है :

(क) नए एसईजेड के लिए आवेदनों की संख्या **:** वित्त वर्ष **2009-10** के अंत में **364** वाणिज्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर **364** एसईजेड अनुमोदित किए गए थे। **2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18** और **2018-19 (30** नवंबर**, 2018** तक की स्थिति के अनुसार**)** इस संख्या में क्रमश**: 16, 9, 5, 3, 6, 9, 35, 4** और **2** की बहुत साधारण वृद्धि हुई है।

(ख) क्रियाशील एसईजेड की संख्या **:** वित्त वर्ष **2009-10** के अंत में निर्यात यूनिटों के होने की दृष्टि से **110** एसईजेड क्रियाशील हो गए थे। तब से **2010-11** में **23, 2011-12** में **20, 2012-13** में **17, 2013-14** में **15, 2014-15** में **17, 2015-16** में **2, 2016-17** में **14, 2017-18** में **5** और **2018-19** में **7 (30** सितंबर**, 2018** तक की स्थिति के अनुसार**)** क्रियाशील हैं।

(ग) एसईजेड में यूनिटों की संख्या **:** वित्त वर्ष **2009-10** के अंत में एसईजेड में **2850** यूनिटें थीं। **2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18** और 2018-19 (30 सितंबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार) इस संख्या में क्रमश: 440, 110, 189, 210, 260, 107, 290, 690 और -122 की बहुत साधारण वृद्धि हुई है।

(घ) अनुमोदित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि : एसईजेड को विमुक्त करने के लिए आवेदनों की संख्या में पिछले 4 वर्षों में काफी वृद्धि हुई है तथा वित्त वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (30 नवंबर 2018 तक की स्थिति के अनुसार) में एसईजेड को विमुक्त करने के लिए कुल 86 आवेदनों में से 56 आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई है।

(ङ) एसईजेड से निर्यात में वृद्धि : एसईजेड निर्यात की विकास दर भारी गिरावट का प्रदर्शन कर रही है क्योंकि यह 2009-10 में 121 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 43.11 प्रतिशत, 2011-12 में 15.39 प्रतिशत, 2012-13 में 31 प्रतिशत, 2013-14 में 4 प्रतिशत, 2014-15 में -6.30 प्रतिशत, 2015-16 में 0.77 प्रतिशत, 2016-17 में 12.0 प्रतिशत, 2017-18 में 11 प्रतिशत और 2018-19 में 25.07 प्रतिशत {वित्त वर्ष 2017-18 की समतुल्य अवधि की निर्यात वृद्धि दर (30 सितंबर 2018 तक की स्थिति के अनुसार)} हो गई है।

<u>एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक रूपरेखा सुधार पहल :</u>

एसईजेड क्षेत्र के निष्पादन का व्यापक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया गया है जिससे इस आवश्यकता का पता चला है कि एसईजेड नीति एवं प्रचालनात्मक रूपरेखा के कुछ पहलुओं पर संभवत: फिर से विचार करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए संभावित सुधार हो कि एसईजेड नीति के निर्धारित बेहतर ढंग से प्राप्त हो सकें।

इस संबंध में 'एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक रूपरेखा का संभावित सुधार' पर हितधारक

परामर्श को सुगम बनाने के लिए एक प्रारूप चर्चा कागजात तैयार किया गया था तथा उसे वाणिज्य विभाग की वेबसाइट www. sezindia.nic.in पर अपलोड किया गया था। हितधारकों - एसईजेड विकासकों, यूनिटों, व्यापार संघों, राज्य सरकारों, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग, शहरी विकास विभाग आदि सहित केन्द्र सरकार के विभागों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव - एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक रूपरेखा सुधार पहल' तैयार किया गया है और तद्नुसार तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 18 अप्रैल 2013 को एसईजेड में निवेशकों की रुचि बहाल करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की थी जिन्हें 12 अगस्त 2013 को जारी किए गए जीएसआर नंबर 540 (ई) के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 को संशोधित करके अधिसूचित किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय यहां नीचे दिए गए हैं : -

1.1 एसईजेड में निवेशकों की रुचि बहाल करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं : -

(i) रिक्ति और समीपता का सुनिश्चय करते हुए एसईजेड स्थापित करने के लिए अकृष्य भूमि के विशाल क्षेत्र को एकत्र करने में गंभीर समस्याओं को देखते हुए हमने न्यूनतम अपेक्षित भूमि क्षेत्र को घटाकर आधा करने का निर्णय लिया है। बहुउत्पाद एसईजेड के लिए 1000 हेक्टेयर से घटाकर 500 हेक्टेयर और सेक्टर विशिष्ट एसईजेड के लिए 100 हेक्टेयर से घटाकर 50 हेक्टेयर किया गया है।

(ii) 50 से 450 हेक्टेयर के बीच आने वाले भूक्षेत्र के उपयोग में अधिक लोच प्रदान करने के लिए न्यूनतम भूमि के मापदंड के लिए ग्रेडेड स्केल को लागू करने का निर्णय किया गया है जो एसईजेड को 50 हेक्टेयर के प्रत्येक समीपस्थ भूखंड के लिए अतिरिक्त सेक्टर की अनुमति प्रदान करेगा। इससे ऐसे एसईजेड में सृजित आधारभूत सुविधाओं का अधिक दक्ष उपयोग करना भी संभव होगा।

(iii) इसके अलावा, उसी सेक्टर के तहत समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने हेतु सेक्टोरल ब्राड बैंडिंग लागू करके सेक्टर विशिष्ट एसइईजेड में अतिरिक्त यूनिटें स्थापित करने के लिए लोच प्रदान की जा रही है।

(iv) जहां तक भूमि के खाली होने से संबंधित मुद्दों का संबंध है, मौजूदा नीति पहले से मौजूद संरचनाओं जो वाणिज्यिक प्रयोग में नहीं हैं, वाले भूखंड को एसईजेड अधिसूचित करने के प्रयोजनार्थ खाली भूमि के रूप में माने जाने की अनुमति प्रदान करती है, जबकि अब यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना के बाद संचालित की जा रही गतिविधियों तथा पहले से मौजूद ऐसी संरचनाओं में वृद्धि एसईजेड में किसी अन्य गतिविधि के समान ड्यूटी लाभ के लिए पात्र होगी।

(v) एसईजेड में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 10 हेक्टेयर की न्यूनतम आवश्यकता के साथ 'कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण' नामक एक नया सेक्टर विशिष्ट एसइईजेड शुरू किया गया है।

1.2 भारत के निर्यात में आईटी निर्यात का हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है और इसमें आईटी एसईजेड का प्रमुख योगदान है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आईटी एसईजेड से निर्यात बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है जो पिछले वर्ष के निर्यात से 31.21 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों के समाधान पर और टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में रोजगार एवं वृद्धि को प्रोत्साहित करने पर भी हमने विशेष रूप से जोर दिया है।

(i) न्यूनतम 10 हेक्टेयर की वर्तमान आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया

है। अब आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि संबंधी कोई आवश्यकता नहीं होगी। एसईजेड विकासकों को केवल न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की कसौटी को पूरा करना होगा।

(ii) 7 बड़े शहरों अर्थात मुंबई, दिल्ली (एनसीआर), चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे और कोलकाता के लिए लागू की जाने वाली एक लाख वर्गमीटर की आवश्यकता के साथ न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता में भी काफी ढील दी गई है। श्रेणी ख के अन्य शहरों के लिए 50000 वर्गमीटर तथा शेष शहरों के लिए केवल 25000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र का मानदंड लागू होगा।

1.3 निकास नीति **:** 12 अगस्त 2013 से पूर्व एसईजेड रूपरेखा में यूनिटों के लिए कोई निकास नीति नहीं थी तथा फीडबैक यह था कि इसे भारी नुकसान के रूप में लिया जाता है। एसईजेड नियमावली (संशोधन) 2013 (गजट अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2013) के माध्यम से कतिपय निर्धारित शर्तों के साथ बिक्री सहित एसईजेड यूनिटों का स्वामित्व अंतरित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

<u>एसईजेड में व्यवसाय करने की सरलता सुनिश्चित करने के लिए पहलें</u>

1. एसईजेड में विकासकों एवं यूनिटों से संबंधित गतिविधियों के मानचित्रण को चिह्नित किया गया तथा उक्त गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमाएं निर्धारित एवं कार्यान्वित की गईं। इसे सभी एसईजेड में 14 अगस्त 2014 को शुरू किया गया।

2. 01 नवंबर 2014 से सभी एसईजेड में एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का डिजिटीकरण एवं आनलाइन प्रसंस्करण शुरू किया गया है। डिजिटीकरण का दूसरा चरण 01 जुलाई, 2015 से सभी एसईजेड में शुरू किया गया है।

3. गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (एनपीए) में अवसंरचना का दोहरा प्रयोग : एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से अधिसूचना जीएसआर 5 (ई) दिनांक 2 जनवरी 2015 के माध्यम से सरकार ने एसईजेड तथा गैर एसईजेड संस्थाओं दोनों द्वारा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाओं के दोहरे प्रयोग को अनुमत किया है।

4. एसईजेड के लिए कस्टम आइसगेट प्रणाली का एकीकरण : विशेष आर्थिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक आयात और निर्यात के लिए माल के मूवमेंट हेतु कागज रहित लेनदेन को सुगम बनाने के उद्देश्य से एसईजेड आनलाइन प्रणाली को सीमा शुल्क की आइसगेट प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। 19 जनवरी, 2015 को मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। वाणिज्य विभाग तथा राजस्व विभाग के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रायोगिक परियोजना की प्रगति की निगरानी की जा रही है। अब यह सभी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में शुरू की गई है तथा परियोजना संतोषप्रद ढंग से चल रही है।

5. केन्द्र सरकार ने का.आ. 968 (अ) दिनांक 8 अप्रैल 2015 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की यूनिटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा आईआरडीए द्वारा निर्मित प्रचालन के नियमों को अधिसूचित किया है।

6. एसईजेड के विद्युत संयंत्रो के संबंध में समय समय पर विद्युत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से सभी पिछले दिशानिर्देशों को समेकित करते हुए 16 फरवरी 2016 को नए दिशानिर्देश जारी किए गए।

7. सीमा शुल्क अधिनियम 1962; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 तथा वित्त अधिनियम 1994 की संगत धाराओं में निहित

अपराधों तथा एसईजेड में ऐसे अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत जांच एजेंसियों को अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त 2016 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित किया गया।

8. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत अधिकृत प्रचालनों से संबंधित रिफंड, मांग, अधिनिर्णयन, समीक्षा तथा अपील के लिए प्रावधान 05 अगस्त, 2016 को अधिसूचित किए गए हैं। रिफंड, मांग, न्याय निर्णयन, समीक्षा तथा अपील के लिए विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में एसईजेड विकासकों / यूनिटों द्वारा किए जा रहे दावों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इस अधिसूचना के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा इन मुद्दों का समाधान किया जा सकता है।

9. एस ई जेड में आई टी / आई टी ई एस के अधिकृत कर्मचारियों को घर या एस ई जेड यूनिट से बाहर किसी स्थान से काम करने की अनुमति प्रदान करते हुए अनुदेश संख्या 85 जारी किया गया है।

10. एसईजेड विकासकों को भारतीय रुपए में माल की आपूर्ति के लिए ड्यूटी ड्रा बैक के बदले में ड्यूटी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश संख्या 9 को संशोधित करने के लिए अनुदेश संख्या 86 जारी किया गया है।

11. इस विभाग द्वारा 6 जनवरी 2017 को एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों के लिए मोबाइल अप्लीकेशन शुरू किया गया है।

12. एसईजेड यूनिटों द्वारा वार्षिक निष्पादन रिपोर्टें दाखिल करने की समय सीमा को संशोधित करने की अधिसूचना जारी की गई है।

13. एसईजेड में विद्युत आपूर्ति से संबंधित नियम 5 (क) को संशोधित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

14. एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 76 में संशोधन के माध्यम से एसईजेड में विधिक एवं लेखांकन सेवाओं पर प्रतिबंध को हटाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

15. आंशिक रूप से प्रसंस्कृत ज्वैलरी सहित सोने की ज्वैलरी, प्लेन हो या स्टडेड तथा वस्तुओं के निर्यात के लिए 22 कैरेट की अधिकतम सीमा तक सोने की मात्रा के प्रतिबंध के लिए 16 अगस्त 2017 को अनुदेश संख्या 88 जारी किया गया।

16. एसईजेड में रत्न एवं आभूषण यूनिटों को शामिल करने के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 41, 42 और 50 को संशोधित करते हुए 12 जून 2017 को अधिसूचना जारी की गई है।

17. एसईजेड में प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट को रिसाइकल करने वाली यूनिटों पर नीति के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि ऐसी सभी यूनिटों को एनएफई संबंधी अपनी बाध्यता का पालन करने के अलावा कुल वार्षिक टर्नओवर का कम से कम 35 प्रतिशत का निर्यात करना होगा।

18. एसईजेड में फटे पुराने / प्रयुक्त वस्त्र यूनिटों के कामकाज को विनियमित करने की नीति के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि ऐसी सभी यूनिटों को एनएफई संबंधी अपनी बाध्यता का पालन करने के अलावा कुल वार्षिक टर्नओवर का कम से कम 66.67 प्रतिशत अर्थात दो तिहाई का निर्यात करना होगा। इसके अलावा आयतन के अनुसार 50 प्रतिशत की भौतिक निर्यात बाध्यता भी लागू होगी।

19. अधिसूचना संख्या जीएसआर 909 (ई) दिनांक 19 सितंबर 2018 के माध्यम से एसईजेड नियमावली में जीएसटी कानून के अनुरूप संशोधन किया गया है।

20. स्टडेड गोल्ड ज्वैलरी, सिल्वर ज्वैलरी तथा इमिटेशन ज्वैलरी, अग्रेतर प्रसंस्करण की आवश्यकता वाले निर्मित माल या अर्ध निर्मित माल के लिए उप संविदा की अवधि 28 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है।

21. जून 2018 में, सरकार ने भारत की एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए मैसर्स भारत फोर्ज के अध्यक्ष श्री बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक प्रख्यात व्यक्ति समूह का गठन किया था। समूह ने 19 नवंबर 2018 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विभिन्न हितधारक मंत्रालयों से परामर्श करने के लिए 26 दिसंबर, 2018 को एक अंतर्मंत्रालयी परामर्श का आयोजन किया गया। आम जनता से परामर्श के लिए रिपोर्ट 31 जनवरी, 2019 तक सर्वाधिकार क्षेत्र में रखी गई है।

निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू)

मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन करके निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से निर्यात उन्मुख यूनिट (ई ओ यू) स्कीम 1981 के पूर्वार्ध में शुरू की गई। यह 1960 के दशक में शुरू की गई मुक्त व्यापार क्षेत्र / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जेड) स्कीम की पूरक स्कीम के रूप में शुरू की गई, जिसमें लोकेशन संबंधी प्रतिबंधों की वजह से अधिक यूनिटें नहीं आई थी। यह एसईजेड (तत्कालीन ई पी जेड) जैसी उत्पादन व्यवस्था अपनाता है परंतु लोकेशन की दृष्टि से व्यापक विकल्प प्रदान करता है।

ऐसी यूनिटों को निर्यात उन्मुख यूनिट (ई ओ यू) कहा जाता है जो निर्यात – आयात नीति के अनुसार डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर अपने माल एवं सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन के निर्यात का वचन देती हैं। निर्यात उन्मुख यूनिटें संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंधित विकास आयुक्त अर्थात वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती हैं।

निर्यात उन्मुख यूनिटें विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) के अध्याय-6 के प्रावधानों एवं इसकी प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होते हैं, जिनका उल्लेख प्रक्रिया हैंडबुक (एच बी पी) में किया गया है। उक्त अध्याय 6 के प्रावधानों तथा इसकी प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी), साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) पर भी लागू किया गया है, इसलिए यह स्कीम ईओयू / एसटीपी / ईएचटीपी / बीटीपी के लिए है तथा इसे सामान्य भाषा में ईओयू स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया है।

30 सितंबर 2018 तक की स्थिति के अनुसार ईओयू स्कीम के तहत 1712 यूनिटें प्रचालन में हैं, जबकि 2017-18 में कुल 1832 ईओयू यूनिटें थीं। निर्यात उन्मुख यूनिटों का राज्यवार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है :

क्रियाशील निर्यात उन्मुख यूनिटों का राज्यवार वितरण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	30 सितंबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार क्रियाशील निर्यात उन्मुख यूनिटें
आंध्र प्रदेश	**76**
तेलंगाना	**115**
पश्चिम बंगाल	**35**
झारखंड	**02**
ओडिशा	**01**
मेघालय	**01**
गुजरात	**180**
केरल	**85**
कर्नाटक	**406**
तमिलनाडु	**377**
पांडिचेरी	**12**
महाराष्ट्र	**227**
गोवा, दमन एवं दीव	**36**
दादरा एवं नगर हवेली	**15**
दिल्ली	**09**
हरियाणा	**55**
उत्तर प्रदेश	**56**
पंजाब	**08**
हिमाचल प्रदेश	**04**
जम्मू एवं कश्मीर	**02**
चंडीगढ़	**02**
मध्य प्रदेश	**08**
कुल	**1712**

विशिष्ट एजेंसियाँ

बागान

चाय बोर्ड

सिंहावलोकन

भारत में 15 राज्यों में चाय की खेती होती है जिसमें से चाय का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। चाय की खेती के अधीन 599 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल के साथ संगठित क्षेत्र में लगभग 1472 चाय उत्पादक और अनुमानत: 2 लाख छोटे उत्पादक हैं। 935 बागान कारखानों तथा चाय पत्तियां खरीदने वाले 646 कारखानों में चाय का निर्माण किया जाता है। कोलकाता, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोचीन, कुन्नूर (सीटीटीए), कोयंबटूर तथा टी सर्व (कुन्नूर) में स्थित 7 नीलामी केन्द्रों में चाय की प्राथमिक बिक्री की जाती है।

चाय उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक मिलियन से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। भारत में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या लगभग 1.13 मिलियन है।

चाय उद्योग के तहत संगठित क्षेत्र तथा छोटे चाय उत्पादक शामिल हैं। इस समय लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन छोटे चाय उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में 1325.05 मिलियन किलो का कुल उत्पादन अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है और उसी वर्ष 256.57 मिलियन किलो का निर्यात किया गया जो अब तक का सर्वाधिक निर्यात है।

अक्टूबर 2018 तक अनुमानित उत्पादन 848.98 मिलियन किलो है तथा अक्टूबर 2018 तक 108.58 मिलियन किलो का निर्यात किया गया है जिसका मूल्य 2249.58 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित उत्पादन 1285 मिलियन किलो तथा निर्यात लगभग 265 मिलियन किलो है।

कॉफी बोर्ड

सिंहावलोकन

विश्व कॉफी परिदृश्य **:** कॉफी विश्व में सबसे अधिक व्यापार किए जाने वाले जिंस में से एक है और इसीलिए इसे 'ब्राउन गोल्ड' कहना उपयुक्त है। पूरे विश्व में लगभग 80 देशों में इसकी खेती होती है जिसमें से 50 से अधिक देशों को कॉफी के बड़े उत्पादक के रूप में माना जाता है। विश्व में ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, होंडुरस, इथोपिया और भारत कॉफी का उत्पाद करने वाले प्रमुख देश हैं। 2017-18 के दौरान विश्व ने लगभग 163.51 मिलियन बैग (लगभग 98.10 लाख मीट्रिक टन) कॉफी का उत्पादन किया (आईसीओ बाजार रिपोर्ट नवंबर 2018)। भारत प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है जो विश्व में 7वें स्थान पर है। वैश्विक कॉफी क्षेत्र में मात्र लगभग 2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व उत्पादन में लगभग 3.5 प्रतिशत और वैश्विक कॉफी निर्यात के लगभग 5 प्रतिशत का योगदान देता है।

भारत में कॉफी **(**क्षेत्रफल**) :** भारत में, कॉफी की खेती लगभग 4.34 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है जो मुख्य रूप से कनार्टक (55प्रतिशत), केरल (19.7 प्रतिशत) और तमिलनाडु (8.2 प्रतिशत) के दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित हैं जो पारंपरिक कॉफी इलाकों का गठन करते हैं। स्थानीय आदिवासियों को कॉफी से संवहनीय आय के सृजन द्वारा उनकी आजीविका में सुधार लाने तथा झूम खेती से प्रभावित बंजर पहाड़ों में इंटरक्रॉप तथा पुन: वानिकीकरण के मुख्य उद्देश्य से कुछ कमतर हद तक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों (18.1 प्रतिशत) जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी कॉफी की खेती की जाती है।

रबर बोर्ड

सिंहावलोकन

प्राकृतिक रबर (एनआर) 50000 से अधिक अंतिम उत्पाद रेंज के साथ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है जो आधुनिक विश्व के लिए अपरिहार्य है तथा बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किए जाते हैं। हीविया ब्रेसीलिएनेसिस की वृक्ष प्रजातियों से बागानों में प्राकृतिक रबर का वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन होता है। इस समय भारत ने वैश्विक उत्पादन में 5.3 प्रतिशत का योगदान देकर प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 6वां स्थान प्राप्त किया

है। जहां तक प्राकृतिक रबर की खपत का संबंध है, 8.2 प्रतिशत की वैश्विक मांग के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

2017-18 के अंत में देश में रबर की खेती का कुल क्षेत्रफल 822,000 हेक्टेयर था। हालांकि 614000 हेक्टेयर परिपक्व थे, रबर की कम कीमतों के होने के कारण केवल 479000 हेक्टेयर की टैपिंग की गई। 2017-18 के दौरान प्राकृतिक रबर का उत्पादन 694000 टन था जो पिछले साल के 691000 टन से 0.4 प्रतिशत अधिक है। 2018-19 के दौरान सितंबर 2018 तक, अनंतिम रूप से प्राकृतिक रबर का उत्पादन अनुमानत: 272,000 टन है जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि से 15 प्रतिशत कम है। केरल और कर्नाटक में अभूतपूर्व भारी वर्षा और बाढ़ से टैपिंग दिवस की क्षति, पादप / पेड़ क्षति तथा असामान्य रूप से बड़े पैमाने पर पत्तियों के गिरने की बीमारी (एएलएफ) की दृष्टि से रबर बागान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। 2018-19 में रबर बागान क्षेत्र में उत्पादन की क्षति का आर्थिक मूल्य 1830 करोड़ रुपए होगा।

2017-18 के दौरान देश में रबर उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योग ने 11.12 लाख टन प्राकृतिक रबर का उपभोग किया जो एक साल पहले के 10.44 टन के उपभोग से 6.5 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल से सितंबर 2018 के लिए अनंतिम रूप से अनुमानित खपत 6,14,040 टन है जो पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है।

मसाला बोर्ड

सिंहावलोकन

मसाला बोर्ड भारतीय मसालों के विकास तथा विश्वव्यापी संवर्धन के लिए शीर्ष संगठन है। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है तथा इस समय आयतन की दृष्टि से विश्व मसाला बाजार में इसका शेयर 47 प्रतिशत है। 2017-18 के दौरान भारतीय मसालों के निर्यात ने वृद्धि की अपनी रुझान को जारी रखा तथा आयतन एवं मूल्य दोनों की दृष्टि से एक नया रिकार्ड स्थापित किया। देश से कुल 10,28,060 टन मसालों एवं मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया है जिनका मूल्य 17929.55 करोड़ रुपए (2781.46 मिलियन अमरीकी डॉलर) है, जबकि 2016-17 में कुल 9,47,790 टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 17664.61 करोड़ रुपए (2633.29 मिलियन अमरीकी डालर) था जो मात्रा की दृष्टि से 8 प्रतिशत तथा रुपए में मूल्य की दृष्टि से 1 प्रतिशत और डालर में मूल्य की दृष्टि से 6 प्रतिशत अधिक है। जहां तक 2017-18 के लिए 17665.10 करोड़ रुपए (2636.58 मिलियन अमरीकी डालर) के मूल्य पर 1023000 टन मसालों के निर्यात का संबंध है, आयतन की दृष्टि से 100 प्रतिशत, रुपए में मूल्य की दृष्टि से 101 प्रतिशत तथा डालर में मूल्य की दृष्टि से 105 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय (आईपीसी) :

अनुसंधान एवं विकास पर आईपीसी समिति की 7वीं बैठक 2 से 4 मई 2018 के दौरान कोच्चि में हुई, जिसकी मेजबानी मसाला बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई। बैठक में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम से अनुसंधान एवं विकास पर आईपीसी समिति के सदस्यों तथा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी) आदि से अन्य अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसके अलावा मसाला बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय के 46वें वार्षिक सत्र एवं बैठक में सक्रियता से भाग लिया जिसका आयोजन पुत्राजय, मलेशिया में 1 से 4 अक्टूबर 2018 के दौरान हुआ था।

तंबाकू बोर्ड

तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अधीन गुंटूर, आंध्र प्रदेश में मुख्यालय के साथ 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया। तंबाकू बोर्ड का अध्यक्ष इसका मुखिया है। तंबाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

- भारत एवं विदेशों में मांग के अनुरूप वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन एवं संसाधन को विनियमित करना।

- वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों, डीलरों एवं निर्यातकों (पैकर सहित) तथा वर्जीनिया तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना।
- उत्पादकों के स्तर पर तंबाकू की ग्रेडिंग को प्रोत्साहित करना।
- वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्लेटफार्म स्थापित करना तथा नीलामीकर्ता के रूप में काम करना।
- विद्यमान बाजारों का रखरखाव एवं सुधार तथा भारत के बाहर नए बाजारों का विकास।
- भारत में तथा भारत के बाहर भी वर्जीनिया तंबाकू के बाजार पर लगातार नजर रखना और इसके लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत का सुनिश्चय करना।
- भारत सरकार के अनुमोदन से उत्पादकों से उस समय वर्जीनिया तंबाकू की खरीद करना जब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)

दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए) का गठन किया गया। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ प्राधिकरण का मुखिया अध्यक्ष है तथा अपेडा पिछले 31 वर्षों से कृषि निर्यात समुदाय की सेवा कर रहा है। देश के विभिन्न भागों में स्थित निर्यातकों तक पहुंचने के उद्देश्य से अपेडा ने मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को ए पी ई डी ए अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूहों के विकास एवं निर्यात संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपेडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में चावल को शामिल किया गया है। इसके अलावा ए पी ई डी ए को चीनी के आयात की निगरानी करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अपेडा जैविक निर्यातों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों के सचिवालय के रूप में भी काम करता है। निर्यात के लिए "जैविक उत्पादों" को तभी प्रमाणित करना होता है जब "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन पी ओ पी)" में निर्धारित मानकों के अनुसार उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकिंग होती है।

ए पी ई डी ए कृषि उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए अवसंरचना एवं गुणवत्ता के उन्नयन के अलावा बाजार विकास के काम में भी सक्रिय ढंग से लगा हुआ है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में ए पी ई डी ए 'ए पी ई डी ए की कृषि निर्यात संवर्धन स्कीम' नामक अपनी योजनागत स्कीम के तहत स्कीम के उप घटकों - बाजार विकास, अवसंरचना विकास और गुणवत्ता विकास के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में काम करने वाले तथा 1972 में स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात पर विशेष बल के सथ समुद्री उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निर्यात निष्पादन :

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत ने 7.08 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 13,77,244 मीट्रिक टन सीफूड का निर्यात किया है। यूएस तथा दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय सीफूड के लिए प्रमुख आयात बाजार बने रहे। फ्रोजेन श्रिंप निर्यात की प्रमुख मद बना रहा जिसके बाद फ्रोजन फिश का स्थान था।

बल दिए जाने वाले क्षेत्र देश से समुद्री उत्पादों के संवर्धित निर्यात को सुकर करने के लिए, एमपीडा निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक जोर दे रहा है : -

- जलीय कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किस्मों में वृद्धि के लिए वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण शेल फिश और फिन फिश की निर्यात उनमुख जलीय कृषि प्रथाओं के क्षेत्र में कदम रखना।
- प्रतिबंधित एंटीबायटिक एवं अन्य पदार्थों की मौजूदगी की जांच करने के लिए एलएसी एमएस प्रयोगशालाओं तथा एंजाइम संबद्ध इम्यूनोसारबेंट विश्लेषण (ईएलआईएसए) प्रयोगशालाओं की स्थापना करके निर्यात के लिए एंटीबायटिक रहित श्रृंप का उत्पादन सुनिश्चित करना। फसल पूर्व परीक्षण तथा एनआरसीपी लैब परीक्षण के डाटाबेस कंप्यूटरीकृत हैं।
- फार्मों तथा हैचरी के पंजीकरण के माध्यम से मत्स्यपालन की अनुवेदनीयता स्थापित करना। श्रिंप फार्म तथा हैचरी पंजीकरण प्रक्रियाएं प्रक्रियाधीन हैं। इस समय 1,62,431 हेक्टेयर के जल विस्तार क्षेत्र के साथ 65,265 अक्वा फार्म पंजीकृत हैं। 133 श्रृंप हैचरी का पंजीकरण किया गया है। 313 हैचरी को जियो टैग किया गया हैं। अक्वा फार्म का विकास तथा हैचरी की स्थापना नियमित एवं सतत प्रक्रिया है। और श्रृंप हैचरी एवं अक्वा फार्म के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।
- व्यापार शिष्टिमंडलों का आयोजन करके, मानक तैयार करने पर गठित समितियों में भाग लेकर व्यापार या गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान करना।
- प्रौद्योगिकीविदों को प्रशिक्षण देकर एचएसीसीपी के कार्यान्वयन के लिए समुद्री खाद्य उद्योग की मदद करना।
- प्रमुख क्रेताओं के साथ भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग करके और विदेश में विभिन्न मीडिया में प्रचार करके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय समुद्री खाद्य की उपस्थिति स्थापित करना।

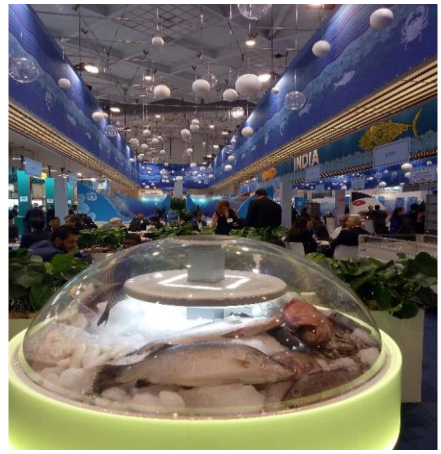

- हमारे संसाधनों तथा भारतीय समुद्री खाद्य की क्षमता को प्रदर्शित करने और इस प्रकार व्यापार के नए संबंधों का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो में भाग लेना।
- भारतीय जलीय कृषि एवं समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग की स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करने के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रमों अर्थात इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो (आईआईएसएस) और अक्वा अक्वारिया इंडिया (एएआई) का आयोजन करना।
- निर्यात के लिए आशयित मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों के लिए अधुनातन प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने में मदद करना।
- निर्यात के लिए आशयित फिश एवं फिशरी उत्पादों के समुचित भंडारण / परिवहन / परिरक्षण के लिए कोल्ड चेन की स्थापना के लिए सहायता स्कीम को प्रचालित करना।

उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- सीफूड के संपोषणीय उत्पादन के लिए समुद्री तट पर बसे देश के सभी समुद्री राज्यों में मछलीपालन के विकास के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए किसानों की क्षमता का निर्माण।
- जलीय कृषि कल्याण समितियों के माध्यम से क्लस्टर फार्मिंग को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके श्रिंप की संपोषणीय खेती के लिए प्रथा संहिता अपनाना।
- अक्वा कल्चर में प्रबंधन की बेहतर प्रथाओं को अपनाने के लिए सहायता प्रदान करना।
- फील्ड प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना तथा क्रैब की खेती, अनुवांशिक रूप से सभी परिष्कृत नर फार्म्ड टिलापिया (जीआईएफटी) की खेती, कोबिया की खेती, सीबास की खेती आदि के लिए वित्तीय सहायता।
- उच्च कोटि के ब्रूडर के आयात के लिए जलीय संगरोध सुविधा का प्रचालन करना तथा निर्यात उनमुख अक्वाक्लचर की सहायता के लिए ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर, हैचरी, नर्सरी आदि का प्रचालन करना।

Commerce & Industry Minister inaugurating Multispecies Aquaculture Complex

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

सिंहावलोकन : विदेश व्यापार एवं संबद्ध अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर बल के साथ 2 मई, 1963 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) का गठन किया गया। अस्तित्व में आने के समय से ही संस्थान ने बड़े बदलाव किए हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में अपनी शैक्षिक गतिविधियों का कार्यक्षेत्र एवं दायरा बढ़ाया है तथा आज इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सभी आयाम शामिल हैं। आज, इसके 56वें वर्ष में भारत में एवं विदेशों में भी संस्थान के ज्ञान एवं संसाधन आधार, समृद्ध विरासत तथा पुराने विद्यार्थियों के मजबूत नेटवर्क के लिए संस्थान को बड़े पैमाने पर पहचान प्राप्त है।

एमएमटीसी लिमिटेड

संगठनात्मक संरचना तथा कार्य

मुख्य रूप से खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात तथा अलौह धातुओं के आयात का काम करने के लिए 1963 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एमएमटीसी से लिमिटेड का निगमन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सहित कारोबार के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए एम एम टी सी ने व्यवसाय के अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। उर्वरक, इस्पात, कोयला एवं हाइड्रोकार्बन, हीरा, बुलियन, कृषि आदि जैसी वस्तुओं को उत्तरोत्तर कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल किया गया।

लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क / कंसंट्रेट तथा यूरिया के आयात के लिए उत्प्रेरक एजेंसी के रूप में काम करने के अलावा एमएमटीसी सोना और चांदी के आयात, संप्रभु भारत के सोने के सिक्कों की बिक्री, दालों के आयात, कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, इस्पात, अलौह धातुओं, पिग आयरन आदि जैसी अन्य वस्तुओं में व्यापार तथा एनआईएनएल, एमएमटीसी पीएएमपी, एफटीडब्ल्यूजेड, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आइसेक्स) आदि जैसे व्यापार संबद्ध संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए नामित एजेंसियों में से एक के रूप में काम करता है।

नई पहलें :

a) मेक इन इंडिया :

भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल की तर्ज पर एम एम टी सी द्वारा निम्नलिखित पहलें की गईं :

- नवंबर 2015 में भारत के पहले संप्रभु गोल्ड क्वाइन - इंडिया गोल्ड क्वाइन (आई जी सी) का शुभारंभ। एम एम टी सी ने आई जी सी का विपणन शुरू कर दिया है जिसका अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। सिक्के 5 ग्राम, 10 ग्राम तथा 20 ग्राम में भारत सरकार के मुंबई और कोलकाता स्थित टकसालों में ढाले जाते हैं। 2017-18 के दौरान आईजीसी बिक्री का कुल टर्नओवर 55.16 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पूरे भारत में सिक्कों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी ने शाखाओं के माध्यम से आईजीसी की बिक्री के लिए बैंकों के साथ अनुबंध किया है। सोने के भारतीय सिक्कों की बिक्री के लिए विस्तार नेटवर्क का और विस्तार करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं।

- वर्ष 2017-18 के दौरान एम एम टी सी - पैंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पैंप स्विटजरलैंड के साथ गोल्ड / सिल्वर रिफाइनिंग एवं मिडेलियन विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम ने 34,022 करोड़ रुपए का टर्नओवर तथा 43.69 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ हासिल किया। एमएमटीसी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमएमटीसी - पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अपने निवेश के लिए 30 प्रतिशत का अंतरिम लाभांश प्राप्त किया है। एमएमटीसी - पैंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोल्ड और सिल्वर के लिए भारत का पहला एल बी एम ए प्रत्यायित रिफाइन बना। 2017-18 के दौरान एमएमटीसी ने एमपीआईपीएल द्वारा निर्मित गोल्ड बार की घरेलू बाजार में बिक्री की है तथा 481 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया और 170 करोड़ रुपए के सिल्वर बार की बिक्री की।

- ढेर सारे प्रयासों के बाद एनआईएनएल स्टील प्लांट (एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार का संयुक्त उद्यम) ओडिशा राज्य में 874.24 हेक्टेयर जिसमें खनन योग्य 92 मिलियन टन लौह अयस्क भंडार हैं, के लिए ओडिशा सरकार के साथ कैप्टिव आधार पर लौह अयस्क खनन पट्टा पर हस्ताक्षर कर सका। मार्च 2019 तक खदानों से लौह अयस्क का उत्पादन शुरू हो जाने की योजना बनाई गई है। एनआईएनएल ने काल तार पिच प्लांट की स्थापना के लिए नालको के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

b) स्वच्छ भारत

2017-18 के दौरान एम एम टी सी के निदेशक मंडल ने स्वच्छ भारत अभियान की सहायता के लिए सी एस आर की गतिविधियों के संचालन के लिए 30 लाख रुपए की राशि आवंटित की। सीएसआर के लिए आवंटित निधियों का प्रयोग सरकारी स्कूलों में स्वच्छता, स्वच्छ गंगा अभियान आदि के लिए किया गया।

c) डिजिटल इंडिया :

भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कार्यान्वयन के अंग के रूप में, एम एम टी सी की ई आर पी प्रणाली का उन्नयन / विद्यमान ई आर पी प्रणाली (जिसे 2002 में लागू किया गया) की खामियों को दूर करने के लिए एक नए संस्करण में माइग्रेशन किया गया। इसके अलावा ई-पेमेंट और भीम सहित एम एम टी सी में 100 प्रतिशत ई-टेंडर का अनुसरण किया जा रहा है।

d) विविधता :

एमएमटीसी ने नए क्षेत्रों में कदम रखने तथा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से दो नए प्रभागों का सृजन किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं :

❖ एसएमई पर फोकस के साथ इंजीनियरिंग माल एवं संबद्ध उत्पाद।

- ❖ औषधि, फार्मास्यूटिकल एवं रसायन

e) स्वच्छ ऊर्जा **:**
एम एम टी से ने 68.75 करोड़ रुपए की लागत से कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में 15 मेगावाट क्षमता की एक पवन चक्की परियोजना स्थापित की है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है तथा कर्नाटक राज्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के कुछ भाग को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दे रही है। एम एम टी सी उक्त पवन चक्की परियोजना के विस्तार की संभावनाओं का पता लगा रही है।

f) व्यापार से संबंधित अवसंरचना **:**
दोतरफा व्यापार के संवर्धन को सुगम बनाने के लिए आईएलएण्डएफएस और आईआईडीसी के सहयोग से एमएमटीसी द्वारा प्रमोट किए गए एसपीवी को हल्दिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर कांडला में मुक्त व्यापार एवं मालगोदाम क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की गई है।

g) उत्तर पूर्वी राज्यों को विपणन सहायता **:**
उत्तर पूर्वी राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एम एम टी सी ने गुवाहाटी, असम में अपना कार्यालय खोला है तथा शेष भारत में विपणन के लिए अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची जैसी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया है और इनके निर्यात की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

h) आयातित दलहनों का सरकारी बफर स्टाक **:**
मूल्य स्थिरता के तहत एमएमटीसी ने दलहनों के आयात के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। दालों के बफर स्टाक के निर्माण के लिए एमएमटीसी को भारत सरकार द्वारा दालों का आयात करने वाली एजेंसियों में से एक के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एमएमटीसी ने बफर स्टाक कार्यक्रम के लिए लगभग 3.7 लाख टन विभिन्न दालों का आयात किया है। इन दलों को विभिन्न बंदरगाहों के गोदामों में स्टोर किया जा रहा है तथा उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की सलाह के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसियों को तथा खुले बाजार में जारी किया जा रहा है।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग के प्रयासों को संपूरित करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। तब से एस टी सी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने भारत में सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दाले, चीनी, खाद्य तेल आदि) और औद्योगिक कच्ची सामग्री के आयात की व्यवस्था की है और भारत से वस्तुओं की एक बड़ी संख्या के निर्यात को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थोक कृषि वस्तुओं के निर्यात / आयात को संभालना एसटीसी की प्रमुख ताकत है। पिछले वर्षो में, एस टी सी ने स्टील, लौह अयस्क, रक्तचंदन के निर्यात और सर्राफा, हाइड्रोकार्बन, खनिज, धातु, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल आदि के आयात का कार्य भी आरंभ कर दिया है। एस टी सी आज ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी स्तर के व्यापार सौदे की योजना बनाने और उसे पूरा करने में सक्षम है।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान

सिंहावलोकन : भारतीय पैकेजिंग संस्थान पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना प्रमुख पैकेजिंग एवं संबद्ध उद्योगों और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में 14 मई, 1966 को की गई। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य नवाचारी पैकेज डिजाइन एवं विकास के रूप में निर्यात को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजिंग के मानकों का उन्नयन करना भी है। संस्थान का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में स्थित हैं। उद्योगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अहमदाबाद में संस्थान का एक पूर्ण विकसित केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा काकीनाडा और बंगलौर में दो और केन्द्र हैं जो अभी तक क्रियाशील नहीं हुए हैं। संस्थान

ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्व पैकेजिंग संगठन (डब्ल्यू पी ओ) और एशियाई पैकेजिंग परिसंघ (ए पी एफ) के साथ उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं। संस्थान विभिन्न गतिविधियों में शामिल है जैसे कि पैकेजिंग सामग्रियों एवं पैकेजों का परीक्षण एवं प्रमाणन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, परामर्श सेवा तथा पैकेजिंग से संबंधित अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां। इसके अलावा संस्थान एक द्विवार्षिक कार्यक्रम अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग प्रदर्शनी नामत: इंडियापैक और पैकेजिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता अर्थात इंडियास्टार का आयोजन करता है।

निर्यात निरीक्षण परिषद

निर्यात नियंत्रण तथा नौप्रेषण पूर्व निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने तथा इससे संबंधित मामलों के लिए सासंद अधिनियम की धारा 3, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षक) अधिनियम, 1963, भारत सरकार के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) का गठन किया गया। निर्यात निरीक्षण परिषद ऐसे जींसों की अधिसूचना पर, जो निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण और / या निरीक्षण के अधीन होते हैं, ऐसे अधिसूचित जींसों के लिए गुणवत्ता मानक स्थापित करने और ऐसे जींसों पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण और / या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करने के लिए भी केन्द्र सरकार का सलाहकार निकाय है। खाद्य सुरक्षा के विनियमों एवं प्रमाणन में बदलती गतिकी के इस युग में ईआईसी ने पूरी दुनिया के व्यापार समुदाय में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपनी भूमिका एवं कार्यों में बदलाव किया है। ईआईसी खाद्य सुरक्षा की घटनाओं की बढ़ती दर तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ आयात करने वाले देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक बिरादरी सहित हितधारकों का विकास करने में सहायक रहा है।

भारतीय हीरा संस्थान (आई डी आई)

हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल के साथ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत तथा बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत भी 1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आई डी आई) स्थापित किया गया। आई डी आई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा यह रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आई डी आई हीरा विनिर्माण, हीरा ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग एवं आभूषण निर्माण के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करता है, इस प्रकार जेमोलोजी एक छत के नीचे रत्न एवं आभूषण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल कर रहा है। जीजेईपीसी द्वारा पुन: कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए ज्ञान प्रदाता के रूप में संस्थान गुजरात के भीतरी भागों में 315 लघु / मध्यम डायमंड / ज्वैलरी विनिर्माताओं को कौशल प्रदान करता है / अपग्रेड करता है। आईडीआई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार द्वारा एंकर संस्थान - रत्न एवं आभूषण के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए संचालित किये गये कार्यक्रम

अध्याय 9: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए संचालित किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं वस्तु बोर्डों के साथ संपर्क स्थापित करता है।

वाणिज्य विभाग में संपर्क अधिकारी - उप सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ काम कर रहा है। संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्रता से निस्तारण का सुनिश्चय करते हैं तथा इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आरक्षित श्रेणियों को ग्राह्य विभिन्न लाभ विभाग के सहायक संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

31 अक्टूबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (सम्यक) तथा इसके सहायक संगठनों में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / विकलांग व्यक्तियों की संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है। इस विभाग से संबंध विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का विवरण आने वाले पैराओं में दिया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

1. पीईसी लिमिटेड

पीईसी के अंदर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कर्मचारी संवर्ग के लिए पीईसी में एक समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम मौजूद है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। 2018-19 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड ने कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समितियों का गठन किया है। मसाला बोर्ड ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी मनोनीत किया है।

3. एमएमटीसी लिमिटेड

31 अक्टूबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार एम एम टी सी में कर्मचारियों की कुल संख्या 906 थी जिसमें से 191 कर्मचारी अनुसूचित जाति और 96 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के थे। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत का संबंध है, यह क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के अपेक्षित प्रतिनिधित्व के विरूद्ध 21.08 प्रतिशत और 10.59 प्रतिशत बैठता है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तथा संपर्क अधिकारी

कंपनी में एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मौजूद है। कारपोरेट कार्यालय में एक महाप्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि आरक्षण तथा उनको ग्राह्य अन्य रियायतों से संबंधित सरकारी निर्देशों के आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

छूट एवं रियायतें

सीधी भर्ती में अजा / अजजा के उम्मीदवारों को आयु में 5 साल की छूट दी जाती है।

जहां तक विभागीय पदोन्नति का संबंध है, निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं : -

- ❖ कर्मचारी संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट,
- ❖ स्टाफ संवर्ग के अंदर पदोन्नति के लिए, वरिष्ठता सह उपयुक्तता के तहत पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक साल की छूट तथा वरिष्ठता सह-योग्यता के तहत अर्हक अंकों में छूट।

सीधी भर्ती के लिए सभी चयन समितियों तथा पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि को नामित किया जाता है।

प्रशिक्षण

उनके व्यापार और सॉफ्ट कौशलों, में उन्नयन के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को विभिन्न अंतर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी नामित किया गया।

क्वार्टर का आबंटन

क्वार्टर के आवंटन में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को 'क' एवं 'ख' श्रेणी के आवास के मामले में 10 प्रतिशत तक तथा 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के आवास के संबंध में 5 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जाता है।

बैठकें

कंपनी ने "सुगठित बैठक स्कीम" लागू की है जिसमें सेवा मामलों तथा कल्याण के उपायों पर चर्चा करने एवं इनसे जुड़े मुद्दों का समाधान करने आवधिक आधार पर प्रबंधन कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों के साथ बैठक करता है। इस दर्शन की तर्ज पर कंपनी के सभी कार्यालयों में मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा कल्याण संघों तथा मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा संघों के परिसंघ के साथ आवधिक बैठक बुलाई जाती हैं।

4. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यकम **:**

- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।
- सरकारी कंपनी में भर्ती एवं पदोन्नति के लिए आरक्षण पर प्रशिक्षण के लिए अजा / अजजा संघ के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
- भारत सरकार के नियमों के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- उम्मीदवारों / कर्मचारियों की भर्ती / पदोन्नति के लिए गठित पैनलों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।

<u>अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कार्यकम **:**</u>

1. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामलों को देखने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
3. भर्ती के पैनलों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

5. <u>भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन</u>

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी का मनोनयन किया गया है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के हितों की देखभाल करने के लिए विभागीय प्रदोन्नति / चयन समिति की प्रत्येक बैठक में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

6) <u>कॉफी बोर्ड</u>

कॉफी बोर्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन कर रहा है।

7) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

समूह 'ख' के 4 पदों को छोड़कर समूह 'क' और 'ख' के सभी पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद हैं। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कर्मचारियों के कुल 68 पदों के विरुद्ध नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 10, 5 और 12 है।

8) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) ऑफ इंडिया लिमिटेड

01 जनवरी, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018 की अवधि के दौरान कुल 33 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जो क्षेत्र विशिष्ट तथा स्वभाव / प्रबंधकीय प्रशिक्षण थे। उक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिलाएं
प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या	**06**	**00**	**06**	**11**

9) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा संपर्क अधिकारियों के निदेश के अनुसार यह निदेशालय उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को मांग प्रस्तुत करता है।

10) <u>विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र</u>

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 'संपर्क अधिकारी' की नियुक्ति की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई।

11) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की शिकायतों को अटेंड करने संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। संपर्क अधिकारी शिकायतों / परिवादों को दाखिल करने के लिए सांविधिक रजिस्टर तैयार करता है। रबर बोर्ड ऐसी शिकायतों, यदि कोई हों, की आवधिक आधार पर निगरानी करता है और ऐसी शिकयतों का समय से निस्तारण करता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों द्वारा संपर्क अधिकारी की सेवाओं का कारगर ढंग से उपयोग किया जा

रहा है, जब भी उनकी कोई शिकायत / परिवाद होता है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा पालन किया जा रहा है।
नियुक्ति / पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। भारत सरकार के अनुदेश के अनुसार, सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति के लिए चयन समिति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) अन्य बातों के साथ यह कहती है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी स्थापना में न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों से भरे जाने पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग स्ट्रेंथ में रिक्तियों की कुल संख्या का कम से कम 4 प्रतिशत नियुक्त करेगी जिसमें से प्रत्येक का 1 प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के तहत न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों और 1 प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के तहत न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात :

(क) दृष्टिहीनता या कम दिखना;

(ख) मूक तथा कम सुनाई देना;

(ग) प्रमस्तिष्क पक्षाघात, उपचारित कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड हमला पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित लोकोमोटर अपंगता;

(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अपंगता, विशिष्ट अधिगम अपंगता एवं मानसिक बीमारी;

(ड.) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से अनेक विकलांगता जिसमें

प्रत्येक अपंगता के लिए चिह्नित पदों में मूक - दृष्टिहीनता शामिल है।

विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त कार्य स्थल को सुगम्य बनाया जा सके। 31 अक्टूबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (सम्यक) तथा इसके सहायक संगठनों में विभिन्न श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

1. पीईसी लिमिटेड

पीईसी में विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कर्मचारी संवर्ग के लिए पीईसी में एक समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम मौजूद है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों तथा विकलांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. मसाला बोर्ड

विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों एवं आरक्षण के मामलों को देखने के लिए मसाला बोर्ड ने एक संपर्क अधिकारी नामित किया है। वर्ष के दौरान, समूह 'क' श्रेणी में यूआर-पीडब्ल्यूडी (ओए / ओएल) के 1 पद आरक्षित किया गया है तथा उसे वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से 03 अप्रैल, 2018 को भरा गया है। खाली पदों को भरने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया है।

3. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को ऐसे पदों पर स्थानांतरित किया जाता है जो विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के उपयुक्त होते हैं।
- भर्ती एवं पदोन्नति की परीक्षाओं में उनके लिए लेखक की अनुमति है।

- विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों को वरीयत: कार्यालयों में भूतल पर तैनात किया जाता है।
- विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है।
- विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

4. कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड विकलांग कर्मचारियों के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन कर रहा है।

5. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) ऑफ इंडिया लिमिटेड

01 जनवरी, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018 की अवधि के दौरान विकलांग श्रेणी के 03 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जो क्षेत्र विशिष्ट तथा स्वभाव / प्रबंधकीय प्रशिक्षण थे।

6. एमएमटीसी लिमिटेड :

31 अक्टूबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार, 906 की कुल जनशक्ति में से 21 अधिकारी (2.32 प्रतिशत) विकलांग श्रेणी के हैं। विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्य सौंपे गए हैं जिसे वे दक्षता के साथ पूरा करते हैं। चलने फिरने में असमर्थ व्यक्तियों की सहज गतिशीलता के लिए कारपोरेट कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक स्थाई रैंप बनाया गया है ताकि व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले विकलांग कर्मचारी आसानी से आ जा सकें। कार्यालय भवनों में श्रव्य सिगनल हैं जो फ्लोर की घोषणा करते हैं। इनमें से कुछ में ब्रेल पद्धति में फ्लोर पहचान बटन लगे हैं। विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में सुगमता के लिए टोंटियों एवं शौचालयों को अनुकूलित किया गया है।

7. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

इस कार्यालय में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा भर्ती के संबंध में जारी किए गए निदेशों एवं अनुदेशों का पालन किया गया है तथा समूह 'ग' श्रेणी में ओर्थोपेडिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति के एक पद आरक्षित किया गया है तथा उसे समावेशन / स्थानांतरण द्वारा 07 नवंबर, 2106 को भरा गया है।

8. एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र :

विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यालय आने और जाने के लिए रैंप उपलब्ध कराया। विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विश्राम कक्षों का निर्माण किया गया है।

9. रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। संपर्क अधिकारी शिकायतों / परिवादों को दाखिल करने के लिए सांविधिक रजिस्टर तैयार करता है। रबर बोर्ड ऐसी शिकायतों, यदि कोई हों, की आवधिक आधार पर निगरानी करता है और ऐसी शिकयतों का समय से निस्तारण करता है। रबर बोर्ड प्रख्यात विकलांग व्यक्तियों के भाषणों का आयोजन करके हर साल 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस भी मनाता है तथा बोर्ड के ऐसे सभी कर्मचारियों को सम्मानित करता है जो विकलांग हैं।

10. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों / सेवाओं में आरक्षण के संबंध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों का भी पालन किया गया है।

महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग में एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके कार्य मोटेतौर पर निम्नलिखित हैं :

a) महिलाओं के कल्याण से संबद्ध मुद्दों के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

b) वाणिज्य विभाग की योजनागत स्कीमों तथा अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना और महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तीकरण से जुड़े पहलुओं का सुनिश्चित करना।

c) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति की तर्ज पर महिलाओं के समग्र विकास के लिए विभाग से संबंधित कार्य योजनाएं तैयार करना।

d) महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ जागरूकता सप्ताह मनाना।

e) इस विषय से संबंधित अन्य अनुषांगिक मामले।

1) <u>पीईसी लिमिटेड</u>

पीईसी लिमिटेड एक छोटा संगठन है जिसमें 31 अक्टूबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार 98 कर्मचारी हैं जिसमें से 21 महिलाएं हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण और प्रतितोष के लिए पीईसी में एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पीईसी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए एक व्यापक नीति अपनाई गई है।

फरवरी 2018 में एक कर्मचारी से एक शिकायत प्राप्त हुई है तथा नीति के प्रावधानों के अनुसार जांच पूरी हो गई है। 2018-19 में कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) <u>एमएमटीसी लिमिटेड</u>

(a) एमएमटीसी में महिला कल्याण से जुड़े कार्य राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति के विस्तृत दिशानिर्देशों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यू आई पी एस) के उद्देश्यों से चुने जाते हैं। एमएमटीसी का एक महाप्रबंधक, जो महिला अधिकारी होता है, इस मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के तहत उनकी क्षमता को मुख्य धारा में लाने / पेशेवर विकास के लिए विभिन्न पी एस ई, बैंकों एवं बीमा कंपनियों से महिलाओं के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफार्म का सृजन करना तथा संगठन के विकास के साथ महिलाओं के कल्याण को जोड़ना शामिल है।

(b) अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के तहत महिला कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शामिल है। एमएमटीसी में पदोन्नति नीति के तहत हर स्तर से बोर्ड स्तर तक योग्य एवं मेधावी उम्मीदवारों के चयन के लिए समान अवसर दिया जाता है तथा इस संबंध में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।

(c) महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण – कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013, डीपीई / वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों तथा कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने में कड़ाई से अनुपालन करने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा पारित किए गए आदेश के आधार पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में एक सक्रिय शिकायत समिति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला कर्मचारी शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। परिपत्रों के माध्यम से स्कीम के तहत

अपने अधिकारों के बारे में महिला कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए समय - समय पर प्रयास किए जाते हैं। घनिष्ठ निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की मासिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है।

(d) एमएमटीसी द्वारा कार्य एवं व्यवहार के संबंध में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के अच्छे प्रतिनिधित्व का सुनिश्चय किया जाता है।

3) <u>एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड</u>

महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

2. डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) द्वारा संचालित कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के लिए महिला कर्मचारियों को मनोनीत किया जाता है।

3. कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न पर एक समिति स्थापित की गई है।

4. भर्ती के लिए गठित पैनलों में महिला सदस्यों की नियुक्ति पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

4) <u>नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र</u>

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसका प्रमुख एक महिला अधिकारी हैं तथा 2 महिला सदस्य हैं जिसमें एक महिला एनजीओ सदस्य शामिल है।

5) <u>वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय</u>

महिलाओं के मामले में, महिलाओं के मामलों को देखने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

6) <u>विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र</u>

यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया।

7) मसाला बोर्ड

कठिनाइयों / समस्याओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए या संभावित समाधानों के लिए सुझावों के साथ उनको उच्च प्राधिकारियों की जानकारी में लाने के लिए बोर्ड की एक महिला अधिकारी को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर भी शीघ्रता से एवं समुचित ढंग से ध्यान दिया जाता है।

8) रबर बोर्ड

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार, आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है। इस समिति में 4 सदस्य हैं जिसमें से एक सदस्य बाहर का है जो समाज कार्य की गतिविधियों से भली-भांति परिचित है। समिति की हर तिमाही में बैठक हो रही है तथा अभी तब कोई शिकायत संदर्भित नहीं की गई है। समिति के सदस्यों के नाम रबर बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं।

9) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और इस संबंध में वाणिज्य विभाग को हर माह रिपोर्टें भेजी जा रही हैं।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

चयन समिति में महिलाओं को भी मनोनीत किया जाता है। कल्याणकारी उपाय के रूप में, प्रशासनिक पक्ष पर संस्थान के कर्मचारियों (जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं) को आई एस टी एम एवं अन्य संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मनोनीत किया जाता है।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता और संबद्ध गतिविधियाँ

अध्याय 10: पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां

नागरिक चार्टर

वाणिज्य विभाग व्यापार जगत एवं आम जनता के साथ अपने संव्यवहार में निष्ठा और विवेक, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तथा शिष्टाचार एवं समझ से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों को सभी सेवाएं एवं प्रतिबद्धताएं सबसे प्रभावी एवं कारगर ढंग से प्रदान की जाएंगी। वाणिज्य विभाग सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के लिए विदेश व्यापार नीति की प्रक्रियाएं विकसित करने का प्रयास करेगा तथा भूमंडलीकृत एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नियमों के तहत विभिन्न अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने ग्राहक समूहों से निरंतर परामर्श करेंगे और विभाग के लिए संगत कानून एवं प्रक्रियाओं में सभी परिवर्तनों का समय पर प्रचार करेंगे। प्रदान की गई सेवाओं के मानक:-

क्र. सं.	सेवाएं / लेनदेन	अधिकतम समय सीमा
1.	एमएआई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	ई एंड एमडीए प्रभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन
2.	निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टी आई ई एस) के तहत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता और निधियों की उपलब्धता के अधीन पहली किस्त जारी करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से 90 दिन।
3.	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के लिए अनुमोदन	i. राज्य सरकार की सिफारिशों तथा पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर मामलों को अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) के समक्ष रखना, ii. सुरक्षा क्लीयरेंस के अधीन, अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर मंजूरी पत्र जारी करना
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** I. सूचना प्रदान करना या आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करना II. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत की गई अपीलों का निस्तारण	I. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के अंदर। II. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के अंदर।
लोक शिकायत तंत्र		
5.	लोक शिकायतों का समाधान	60 दिन* (*पूर्ण ब्यौरों की प्राप्ति तथा शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्रत्युत्तर प्राप्त होने के अधीन) (# यदि अधिक समय लगने की संभावना होती है, तो शिकायतकर्ता को 60 दिन के अंदर अंतरिम जवाब के माध्यम से सूचित किया जाता है)।
6.	विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि द्वारा पारित किए गए सांविधक आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलों पर अपील समिति द्वारा कार्रवाई करने के लिए	3 माह के अंदर टिप्पणी **:** यह अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों से पूर्ण ब्यौरों / दस्तावेजों की प्राप्ति के अधीन है।

लोक शिकायत

लोक शिकायत प्रकोष्ठ त्वरित निवारण के लिए अपने अधीन कार्यालयों के विभागीय स्टाफ की समस्याओं का काम देखता है। गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली में सूचना एवं सुविधा काउंटर पर एक शिकायत पेटी रखी गई है।

सतर्कता

प्रभागीय प्रमुख के रूप में संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (जेएस एवं सीवीओ) के साथ विभाग में सर्तकता अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है : -

- आचरण नियमावली का कार्यान्वयन
- वार्षिक संपत्ति विवरणियों की प्रोसेसिंग
- सतर्कता संबंधी गतिविधियों पर सी वी सी को सी वी ओ की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- कार्मिक विभाग को एक समेकित तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए सतर्कता मामलों की तिमाही सांख्यिकी रिपोर्ट संकलित करना
- आचरण नियमावली के प्रावधान के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य।

सतर्कता अनुभाग निम्नलिखित गतिविधियों को भी संभालता है : -

- संवेदनशील कार्यालयों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करना
- ऐसी प्रक्रियाओं की समीक्षा करना एवं उनको सरल एवं कारगर बनाना, जिनके बारे में लगता है कि उनसे भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश है और विभाग एवं इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रष्टाचार एवं कदाचारों को रोकने, उनका पता लगाने के लिए अन्य उपाय शुरू करना तथा भ्रष्ट आचरण के लिए दंड
- विभाग में अवांछनीय व्यक्तियों की आवाजाही / गतिविधियों पर नजर रखना
- 'संदिग्ध निष्ठा'' वाले अधिकारियों की सूची / सहमत सूची तैयार करना और गैर संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी तैनाती करना।

वर्ष 2018-19 के दौरान (01 अप्रैल 2018 से 26 नवंबर 2018 तक), लगभग 103 अन्वेषण / जांच की गई तथा जांच की इन कार्यवाहियों के आधार पर संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों एवं वाणिज्य विभाग में लगभग 29 मामलों में छोटे / बड़े दंड लगाए गए।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जागरूकता सृजित करने के लिए 29 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 की अवधि के दौरान कार्यशालाओं / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ ग्रहण, पंफलेट का निर्गम आदि के माध्यम से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां - सूचना का अधिकार

वाणिज्य विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है तथा सभी आवश्यक प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को अपनी वेबसाइट पर डाला है।

जो नागरिक आरटीआई आवेदन / अपील जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आते हैं उनकी सहायता के लिए, उनसे आवेदन / अपील प्राप्त करने के लिए गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली पर सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इस समय विभाग ने निदेशक / उप सचिव स्तर के 40 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा 18 प्रथम अपीली प्राधिकारी (एफएए) हैं, जो अपर सचिव / संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रथम अपील (अपीलों) की सुनवाई करते हैं एवं निस्तारण करते हैं। श्री रजनीश, संयुक्त सचिव को वाणिज्य विभाग के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के क्षेत्राधिकार में 31 लोक प्राधिकारी (पी ए) हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इन सभी लोक प्राधिकारियों के अपने स्वयं के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकारी हैं।

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों / अपीली प्राधिकारियों द्वारा 901 आर टी आई अवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 420 आवेदन अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 69 अपीलों का भी निस्तारण किया गया।

अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2018 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 378 अवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 181 आवेदन अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 49 अपीलों का निस्तारण किया गया।

हिंदी राजभाषा

राजभाषा : राजभाषा प्रभाग हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की निगरानी करता है तथा विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपादित राजभाषा नीति को लागू करता है। 2018-19 के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

हिंदी सलाहकार समिति विभाग के तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न संगठनों के सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा के लिए सभी मंत्रालयों तथा विभागों से हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने की अपेक्षा होती है। इस विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा इसकी अधिसूचना संकल्प संख्या 11011/4/2009, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के माध्यम से जारी की गई है।

संसदीय राजभाषा समिति : वर्ष 2018-19 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने वाणिज्य विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों का निरीक्षण किया जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) और निदेशक (राजभाषा) या संयुक्त निदेशक (राजभाषा) मौजूद थे। इन बैठकों के दौरान जो आश्वासन दिए गए उन्हें जल्दी से पूरा करने के लिए संबंधित संगठनों को संप्रेषित किया गया।

संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड योजना यह प्रोत्साहन स्कीन कई वर्षों से विभाग में विभाग के संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत, राजभाषा के क्षेत्र में उनके निष्पादन के लिए कार्यालयों को शील्ड / ट्रॉफी प्रदान की जाती है। उनके द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप एवं संगत दस्तावेजों के आधार पर एक समिति द्वारा उनके निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इस स्कीम के परिणामों पर समिति विचार कर रही है।

निरीक्षण : विभाग के अधीन संगठनों में हिंदी के प्रयोग के प्रचार – प्रसार में हुई प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से तथा निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करना। आज तक की स्थिति के अनुसार, हिंदी प्रभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा वाणिज्य विभाग के 6 अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा निरीक्षण किए गए।

पत्राचार : विभाग राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन का सुनिश्चय करता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सभी कागजात / दस्तावेज द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाने चाहिए। राजभाषा नियमावली के नियम 5 के अनुपालन में हिंदी में प्राप्त पत्रों के जवाब अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाते हैं। 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से प्राप्त पत्रों के जवाब भी हिंदी में दिए जाते हैं।

सरकारी ई-मार्केट (जेम) एसपीवी

राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत धारा 6 कंपनी), के स्वामी के रूप में जेम एसपीवी जेम प्लेटफार्म का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण करता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा अपेक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रावधान करता है। जेम ने सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता, दक्षता एवं गति बढ़ाई है।

जेम एसपीवी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों / विभागों, केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू और एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के लिए पारदर्शी एवं दक्ष ढंग से सामान्य प्रयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रापण के लिए एक इंड टू इंड आनलाइन बाजार स्थल प्रदान करता है।

जीएफआर नियम 149 के अनुसार, जेम में उपलब्ध सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जेम के माध्यम से प्रापण अनिवार्य है।

राज्य सरकारों सहित गैर पीएफएमएस संस्थाअें के लिए, 10 लाख रुपए से अधिक के सभी क्रय के लिए जेम पूल लेखा में धन का अंतरण करना अनिवार्य है।

आज तक की स्थिति के अनुसार 6.52 लाख से अधिक उत्पाद एवं सेवाएं, लगभग 1.65 लाख विक्रेता एवं सेवा प्रदाता, 30,000 से अधिक क्रेता संगठन जेम का अंग हैं। 15,104 करोड़ रुपए मूल्य के 10.24 लाख से अधिक आर्डर को जेम के माध्यम से प्रोसेस किया गया है।

05 सितंबर, 2018 को राष्ट्रीय जेम मिशन लांच किया गया, जो प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एवं उनकी एजेंसियों (सीपीएसयू / पीएसयू, स्थानीय निकायों सहित) द्वारा जेम के त्वरित अंगीकरण एवं प्रयोग के लिए 17 अक्टूबर, 2018 को समाप्त हुआ।

वेतन एवं लेखा

वाणिज्य विभाग एवं कपड़ा मंत्रालय का वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली में चार, चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में दो - दो विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से दावों के भुगतान, लेनदेन के लेखांकन, लेखाओं के समेकन तथा अन्य संबद्ध मामलों जैसे कि डीडीओ की सहायता से पेंशन को अंतिम रूप देना एवं भुगतान करना तथा जीपीएफ के अंतिम मामलों का भुगतान, ऋण एवं अग्रिम, सहायता अनुदान का भुगतान, जीपीएफ / सीपीएफ, एनपीएस, एलएससी एवं पीसी आदि के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सीसीए कार्यालय पीएफएमएस (ईएटी / डीबीटी) के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है।

नई दिल्ली स्थित प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा इन विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों का नियंत्रण किया जाता है तथा मुख्य लेखा नियंत्रक विभाग के लेखा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। सीसीए बजट की निगरानी एवं व्यय के नियंत्रण में वित्तीय सलाहकार को सभी सहायता प्रदान करता है, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों में व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करता है, एफआरबीएम अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित प्रकटन विवरण, वार्षिक वित्त लेखा, गैर कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान तथा प्रवाह आदि तैयार करता है।
सीसीए कार्यालय द्वारा पीएफएमएस (ईआईएस, ईएटी, पेंशन, जीपीएफ, सीडीडीओ, पैकेज, एनटीआरपी, एलओए आदि) के सभी प्रचालनों की निगरानी की जा रही है। निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं लेखांकन का अध्ययन करने के लिए सीसीए के नियंत्रण में एक आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रकोष्ठ है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सही एवं पर्याप्त हों। मंत्रालय में पीएफएमएस का पेंशन एवं जीपीएफ मॉड्यूल क्रियाशील हो गया है।

पूर्ति प्रभाग - सतर्कता, न्यायिक मामलों एवं पेंशन में संशोधन आदि के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कोलकाता एवं दिल्ली में पूर्ति प्रभाग के दो पीएओ अभी भी अस्तित्व में हैं।

****

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग